मार्च, 2024 में अद्यतन

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख

(उक्त धारा के अन्तर्गत कुल 17 मैनुअल तीन भागों में बनाए गए हैं, जिनमें से भाग–1 में मैनुअल संख्या–1 से 4, भाग–2 में मैनुअल संख्या–5 तथा भाग–3 में मैनुअल संख्या–6 से 17 तक रखे गए हैं।)

भाग–1,2 तथा 3

अर्थ एवं संख्या विभाग
उत्तराखण्ड–देहरादून।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख(I)

भाग–1

मैनुअल संख्या–1 से 4

अर्थ एवं संख्या विभाग
उत्तराखण्ड–देहरादून।

अनुक्रमणिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख(V)

उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग के पत्र सं0–5152/उ0सू0आ0/2012 दिनॉक 02.01.2012 के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(1)ख के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या विभाग के मार्च 2023 तक अद्यतन कुल 17 मैनुअल तैयार किये गये है,जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या से	पृष्ठ संख्या तक
1	2	3	4
	भाग–1		
1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	01	08
2	विभागीय ढॉचे में सृजित पदों का विवरण	09	09
3	विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पदों का विवरण	10	10
4	विभाग के संगठनात्मक ढाचें का शासनादेश	11	44
5	विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं निदेशालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं की सूची	45	46
6	निदेशालय में समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 पासबुक की सूची	47	47
7	निदेशालय में समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित पासबुकों की सूची	48	48
8	वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय व्ययक की निर्गत वित्तीय स्वीकृतियॉ	49	61
9	वित्तीय वर्ष 2023–24 के बी0एम0–8 का विवरण	62	67
10	वित्तीय वर्ष 2023–24 का व्यय विवरण	68	68
	भाग–2		
11	सॉख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के परिचालन हेतु दिशा निर्देशों में संशोधन	69	87
12	वर्ष 2023–24 की जिला योजना संरचना से सम्बन्धित दिशा निर्देश	88	93

भाग–3			
13	जनपद अल्मोड़ा के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	94	94
14	जनपद बागेश्वर के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	95	95
15	जनपद चम्पावत के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	96	96
16	जनपद नैनीताल के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	97	97
17	जनपद उद्यमसिहंनगर के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	98	98
18	जनपद पिथौरागढ़ के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	99	99
19	कुमायूँ मण्डल,हल्द्वानी के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	100	100
20	जनपद चमोली के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	101	101
21	जनपद देहरादून के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	102	102
22	जनपद हरिद्वार के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	103	103
23	जनपद पौड़ी के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	104	104
24	जनपद टिहरी गढ़वाल के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	105	105
25	जनपद रूद्रप्रयाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	106	106
26	जनपद उत्तरकाशी के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	107	107
27	गढ़वाल मण्डल के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	108	108
28	अर्थ एवं संख्या निदेशालय अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	109	110
29	20 सूत्री कार्यकम कार्यान्वयन अधिष्ठान के अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल प्राप्त परिलब्धियॉ	111	111
30	लोक राज्य सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारी के नाम पदनाम	112	115

अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख(1)

भाग –1 (मैनुअल संख्या 1 से 4)

1– संगठन की विशिष्टियां :–

(क) अर्थ एवं संख्या विभाग :–उत्तराखण्ड राज्य के दिनांक 9.11.2000 को अस्तित्व में आने के उपरान्त विकास से संबंधित ऑकड़ों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण हेतु अर्थ एवं संख्या विभाग की उपादेयता एवं उपयुक्ता के दृष्टिकोण से विधान सभा के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश सं0 0054/6 वि–2001 दिनांक 06.04.2001 के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या विभाग को सम्मिलित करते हुए नियोजन विभाग का ढ़ॉचा स्वीकृत किया गया, जिसमें निदेशालय स्तर पर अपर निदेशक (अर्थ एवं संख्या) के साथ एक उप निदेशक तथा एक अर्थ एवं संख्याधिकारी का पद सृजित किया गया। मण्डल तथा जनपद स्तर के कार्मिक पूर्वानुसार ही रखे गये। निदेशालय स्तर पर अर्थ एवं संख्या विभाग का ढ़ॉचा उक्तानुसार सूक्ष्म रखा गया, क्योंकि तत्समय प्रलेखीकरण एवं विश्लेषण का कार्य वाह्य संस्था से कराये जाने का निर्णय लिया गया था। वाह्य संस्था से मात्र समन्वय स्थापित करने हेतु उक्त तीन पद यथेष्ठ थे, परन्तु व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था उपयुक्त सिद्ध नहीं हो पायी। अतः मंत्री परिषद उत्तरांचल ने अर्थ एवं संख्या निदेशालय के ढ़ाचे पर पुर्नविचार किया। तदोपरान्त शासनादेश सं0 221/नि0 अनु0 02–22 नि0वि0/ढ़ांचा/02 दिनांक 10.09.2002 तथा इसमें कतिपय संशोधनों के पश्चात शासनादेश संख्या 106/नि0अनु0/03–22/नि0वि0/ढ़ॉचा /02 दिनांक 28.04.2003 के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या विभाग का ढ़ॉचा निर्धारित किया गया।

उक्तानुसार विभाग के स्वीकृत ढांचें में समय–समय पर आवश्यकतानुसार सूक्ष्म परिवर्धन/संशोधन किये गये हैं। विवरण निम्नानुसार है :–

(1) शासनादेश संख्याः 38/XXVI–2/2006 दिनांकः 18.04.2006 के अन्तर्गत ढांचें में पूर्व स्वीकृत एक्स कैडर अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद को निरस्त करते हुये चीफ कार्टोग्राफर के पद का सृजन।

(2) शासनादेश संख्याः 111/XXVI/दो(13)/2006 दिनांकः 05.09.2008 के अन्तर्गत प्रोग्रामर के पद का सृजन किया गया।

(3) शासनादेश संख्याः 61/XXVI–दो(20)/2004 दिनांकः 04.03.2009 के अन्तर्गत विभाग के 63 अनुसचिवीय संवर्ग के पदों का पुर्नगठन किया गया था।

(4) शासनादेश संख्याः 226/XXVI–तीन(1)/2004 दिनांकः 28.10.2009 के अन्तर्गत बीस सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन विभाग में सृजित 15 पदों को अर्थ एवं संख्या विभाग के संरचनात्मक ढांचें में सम्मिलित किया गया।

(5) शासनादेश संख्याः 73/XXVI–दो(20)/2004 दिनांकः 10.08.2010 के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 67 पदों का पुर्नगठन किया गया। शासनादेश संख्याः 20/XXVI–दो(20)/2004 टी0सी0–1 दिनॉक 23 फरवरी 2017 द्वारा पुनः मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 67 पदों का पुर्नगठन किया गया।

(6) शासनादेश संख्याः 124/XXVI–दो(19)/2006 दिनांक 21.04.2015 के अन्तर्गत विभाग में संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) एवं उप निदेशक(कम्पयूटर) के एक–एक अस्थाई पद (मृत सवंर्ग) का सृजन किया गया।

(7) शासनादेश संख्याः 67/XXVI–दो(20)/2004 दिनांक 29.08.2019 के अन्तर्गत विभाग में अपर निदेशक का एक अतिरिक्त पद का सृजन किया गया, जिसे शासन के पत्र संख्या 1/103219/2023 दिनॉक 28 फरवरी 2024 द्वारा स्थायी किया गया है।

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान :–उत्तरांचल राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अनुश्रवण, समीक्षा तथा गुणवत्ता वृद्धि हेतु अर्थ एवं संख्या विभाग के अन्तर्गत पृथक से शासनादेश संख्याः 315/25–नि0अनु0/2003 दिनांक 11.09.2003 के अन्तर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का गठन किया गया जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर 15 पद अस्थाई रूप से स्वीकृत किये गए। उक्त अस्थाई पदों को शासनादेश संख्या 117/xxvi/दो(16)/2022 दिनॉक 25 जुलाई 2024 द्वारा स्थाई किया गया है। मण्डल तथा जिला स्तर पर पूर्वानुसार अर्थ एवं संख्या विभाग के कार्मिक ही तत्सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन कर रहे हैं।

2–अर्थ एवं संख्या विभाग के कर्तव्य :–सर्वेक्षणों के माध्यम से योजना संरचना के सुदृढ़ आधार के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रकार के आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा विश्लेषण, विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण तथा स्थलीय सत्यापन, प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, समीक्षा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं सांख्यिकीय के उपयोग कर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार आंकडों की पूर्ति करना इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रयोजन के लिए समय–समय पर विविध प्रकाशन भी किये जाते हैं।

3–अर्थ एवं संख्या विभाग के कृत्य :–

3.1 **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण** :–रा0प्र0स0 संगठन, भारत सरकार के साथ समन्वय रखते हुए विभाग द्वारा प्रतिदर्श इकाइयों में प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण कार्य कराया जाता है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का संकलन, परिनिरीक्षण तथा विश्लेषण कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। भारत सरकार में रा0प्र0स0 संगठन द्वारा सर्वेक्षण के विषय को निर्धारित किया जाता है।

3.2 **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण** :– रा0प्र0स0 संगठन भारत सरकार से समन्वय रखते हुए केन्द्रीय सांख्यिकीय अधिनियम 1948 के अन्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत कारखानों में पूंजी विनियोग, रोजगार, मजदूरी, प्रयुक्त ईधन, कच्चा माल, उत्पाद एवं विनिर्माण द्वारा आवर्धित मूल्य आदि से सम्बन्धित आंकड़े संग्रह कराये जाते हैं। इस प्रकार संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। यह कार्य नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष कराया जाता है।

3.3 **उपभोक्ता भाव सूचकांक** :– राज्य में 13 जनपदों के 74 शहरों (ग्रामीण/नगरीय) से नियमित रूप से प्रतिमाह उपभोक्त वस्तुओं के भावों का संग्रहण कर प्रतिमाह उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार किया जाता है।

3.4 **भवन निर्माण संबंधी सामग्री के भाव** :– समस्त जनपद मुख्यालय स्थित नगरों से भवन निर्माण सम्बन्धी मुख्य–मुख्य वस्तुओं के भाव, भवन निर्माण संगठन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूची में त्रैमासिक रूप से संग्रह कराये जा रहे हैं।

3.5 **मजदूरी की दरें** :–

3.5.1 **लोक निर्माण विभाग से मजदूरी की दरों का एकत्रीकरण** :– प्रत्येक त्रैमासान्त की अन्तिम तिथि–यथा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर के अनुसार प्रत्येक जनपद मुख्यालय में स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें का संग्रहण कार्य किया की जा रहा है ।

3.5.2 **स्थानीय निकायों का आय व्यय तथा पूंजी व्यय तथा रोजगार** :– राज्य के समस्त स्थानीय निकायों से वार्षिक रूप से आय–व्यय पूंजी–व्यय तथा रोजगार संबंधी आंकड़े संग्रह तथा संकलित कराये जा रहे हैं।

3.5.3 **स्थानीय निकायों के आय व्यय का आर्थिक एवं कार्य संबंधी वर्गीकरण**:– प्रदेश के समस्त जिला पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका परिषद, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण,

प्रत्येक जनपद की नगर पंचायत तथा प्रत्येक विकास खण्ड की एक–एक ग्राम पंचायत के आंकड़े वार्षिक रूप से संग्रह कराये जा रहे हैं।

3.6 **राज्य आय अनुमान** :–केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार से दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड में राज्य के आय के अनुमान तैयार किये जा रहे है। जिसमें राज्य का सकल घरेलू उत्पाद तैयार किया जाता है तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार राज्य के आय के अनुमान तैयार किये जाते है।

3.7 **आर्थिक सर्वेक्षण** :– प्रति वर्ष राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कर विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

3.8 **उत्तरांखण्ड "ऐट ए ग्लांस"** :– प्रति वर्ष राज्य की भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति का सूक्ष्म विवरण तैयार किया जाता है।

3.9 **सामुदायिक विकास कार्य** :– प्रत्येक माह नियमित रूप से ग्राम्य विकास कार्यकमों के महत्वपूर्ण मदों का विकास खण्ड, जनपद, एवं मण्डल स्तरीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर राज्य स्तरीय संकलन किया जाता है। विकास कार्यो से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रवाह में गति लाने के लिए एन0आई0सी0 के माध्यम से सूचनाओं के मूल स्रोत अर्थात विकासखण्डों से विभिन्न स्तरों पर सम्प्रेषण की व्यवस्था की गयी है।

3.10 **ग्रामवार आधारभूत आंकड़े** :– 31 मार्च के अनुसार प्रदेश के समस्त ग्रामों से आधारभूत आंकड़ों का वार्षिक संग्रह विकासखण्ड तथा जनपद स्तर पर किया जाता है।

3.11 **जिला विकेन्द्रीकृत योजना**:– प्रत्येक जनपद द्वारा जिला योजना तैयार कर अनुमोदित कराई जाती है तथा जिला योजना की नियमित मासिक प्रगति समीक्षा की जाती है।

3.12 **जिला सेक्टर योजना**:– जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष में दो चयनित योजनाओं के अन्तर्गत कराये गए कार्यो का शत प्रतिशत मूल्यांकन अध्ययन किया जाता है।

3.13 **विकास कार्यो के निरीक्षण**:– विकास कार्यो की प्रगति तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यो के नार्म निर्धारित करते हुए प्रत्येक जनपद के अर्थ एवं संख्याधिकारी से निरीक्षण तथा प्राप्त विसंगतियों के निवारण हेतु संबंधित कर्मियों से अनुपालन सुनिश्चित कराये जा रहे हैं।

3.14 **स0वि0अ0(सां0) द्वारा स्थलीय सत्यापन**:–विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित विकास कार्यो की प्रगति का यथासम्भव सत्यापन विकास खण्ड में कार्यरत स0वि0अ0(सां0) द्वारा कराये जा रहे हैं।

3.15 **रिक्त प्रपत्र तथा अनुसूचियों का मुद्रण**:–क्षेत्रीय कार्यो में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के रिक्त प्रपत्र तथा अनुसूचियों का मुद्रण, फोटोलिथो प्रेस रूड़की, हरिद्वार से कराकर विभिन्न जनपदों को आवश्यकता के अनुसार वितरित किये जा रहे है।

3.16 शासन तथा विभिन्न विभागों की आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण कार्य किये जाते है।

3.17 <u>आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशालायें</u>:– विभिन्न विषयों पर आकड़ो की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित कराये जा रहे हैं:–

3.16.1 सांख्यिकीय पद्धतियों के उपयोग सम्बन्धी कार्यशाला जिसमें विभिन्न विभागों को सम्मिलित किया जा रहा है।

3.16.2 राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण संबंधी राज्य स्तरीय तथा मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कराये जा रहे हैं।

3.16.3 राज्य स्तरीय विभागीय प्रावैधिक कार्यो का मुख्यालय पर प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जा रहा है।

3.16.4 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जा रहा है।

3.16.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर प्रशिक्षण कराया जाता है।

3.16.6 राज्य स्तर पर आर्थिक गणना के कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कराया जाता है।

3.16.7 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य हेतु विभिन्न तकनीकी कार्यो पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।

3.18 <u>प्रकाशन</u> :–

3.18.1 प्रत्येक जनपद से सांख्यिकीय पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन।

3.18.2 प्रत्येक जनपद से सामाजार्थिक समीक्षा का वार्षिक प्रकाशन।

3.18.3 उत्तराखण्ड राज्य की सांख्यिकीय डायरी का वार्षिक प्रकाशन।

3.18.4 उत्तरांचल ''ऐट ए ग्लांस'' का वार्षिक प्रकाशन।

3.18.5 रा0प्र0स0 के सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त परिणामों का प्रकाशन।

3.18.6 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के आधार पर विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का प्रकाशन।

3.18.7 आर्थिक गणना के आंकडों का प्रकाशन।

3.18.8 स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजीव्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं के विश्लेषण सम्बन्धी प्रकाशन।

3.18.9 राज्य आय अनुमान के आंकडों का प्रकाशन।

3.18.10 लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत राजकीय भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय दरों के विश्लेषण का प्रकाशन।

3.18.11 उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रतिमाह संग्रहित नगरीय फुटकर भावों के संकलन सम्बन्धी प्रकाशन।

3.18.12 आर्थिक सर्वेक्षण के कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कराया जाता है। का प्रति वर्ष प्रकाशन ।

4–अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों की कार्य प्रणालीः–

4.1 विकास खण्डः– प्रत्येक विकास खण्ड में एक–एक सहायक विकास अधिकारी (सांख्यकीय) का पद स्वीकृत है, जिसका मुख्य कार्य आधारभूत आंकडों का संग्रह, संकलन, सत्यापन तथा विभिन्न विकास कार्यो की प्रगति का रख–रखाव है। ग्रामीण मजदूरी की दरें, ग्रामीण फुटकर भाव, उपभोक्ता भाव सूचकांक, ग्रामवार आधारभूत आंकडें, ग्रामीण कार्यो की मासिक प्रगति तथा स्थलीय सत्यापन के प्रतिवेदन तैयार कर प्रत्येक माह जिले के अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना उसका मुख्य दायित्व है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य सांख्यिकीय कार्यो मे सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) का प्रमुख योगदान रहता है। आवश्यकता के अनुसार उसके द्वारा कतिपय विकास कार्य भी सम्पादित किये जाते है। विकास खण्ड स्तर पर उसके नियन्त्रक अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी है।

4.2 जनपद स्तरः–जनपद के सांख्यकीय कार्यों के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद मे एक पद अर्थ एवं संख्याधिकारी के रखे गये है। शासकीय कार्यों मे सुविधा के लिये अपर सॉख्यिकी अधिकारी, सहायक सॉख्यिकी अधिकारी, कार्टोग्राफिक असिस्टेंट, प्रशासनिक अधिकारी / प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, ड्राइवर तथा चपरासी के पद भी सृजित किये गये है। अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा विभागीय कार्यो के साथ–साथ जिला योजना की संरचना, प्रगति का अनुश्रवण तथा बीस सूत्रीय कार्याकम से सम्बन्धित मासिक अनुश्रवण का कार्य सम्पादित किये जाते है। अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में जनपद के विभिन्न विभागों तथा विकास खण्डों से प्राप्त आधारभूत सूचनाओं का संकलन कर मण्डल स्तर तथा राज्य स्तर तक उपलब्ध कराया जाता है।
जनपद में अर्थ एवं संख्याधिकारी के नियन्त्रक अधिकारी, जिलाधिकारी तथा मण्डल में संयुक्त निदेशक (अर्थ एवं संख्या) है।

4.3 मण्डल स्तरः– मण्डल के अन्तर्गत जनपदों के सांख्यिकीय कार्यो के सुचारु रुप से सम्पादन हेतु प्रत्येक मण्डल पर एक–एक उप निदेशक का पद स्वीकृत है। तदोपरान्त मण्डल के उप निदेशक पद को उच्चीकृत करते हुए संयुक्त निदेशक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मण्डलीय कार्यालयों मे अर्थ एवं संख्याधिकारी के एक–एक पद भी सृजित है, उनकी सहायता के लिये अपर सॉख्यिकी अधिकारी, कार्टोग्राफिक असिस्टेंट, आशुलेखक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, ड्राइवर तथा चपरासी है।

जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन, परिनिरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा विश्लेषण का कार्य मण्डल कार्यालय में सम्पादित किया जाता है। तदोपरान्त आवश्यकता के अनुसार तैयार प्रतिवेदनों को निदेशालय में उपलब्ध करा दिया जाता है। मण्डल कार्यालय निदेशालय तथा जनपद के मध्य की एक महत्वपूर्ण कडी है।

4.4 **राज्य स्तर** :– राज्य स्तर पर सांख्यकीय कार्यो के सम्पादन हेतु अर्थ एवं संख्या निदेशालय स्थापित है, जो कि निदेशक के नियन्त्रण तथा मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। निदेशालय में निदेशक के अतिरिक्त अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, अर्थ एवं संख्याधिकारी, चीफ कार्टोग्राफर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वैयक्तिक सहायक, अपर सॉख्यिकी अधिकारी, सहायक सॉख्यिकी अधिकारी, आशुलेखक, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, ड्राइवर तथा चपरासी के पद भी स्वीकृत है। शासन द्वारा स्वीकृत अर्थ एवं संख्या विभाग के ढांचे के अनुसार बीस सूत्री कार्यकम कार्यान्वयन को निदेशालय के एक अंग के रुप में रखा गया है। कतिपय महत्वपूर्ण विभागों में भी विभागीय अधिकारी स्वीकृत है।

सांख्यिकीय एवं कार्यकम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश तथा राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण, सत्यापन तथा मूल्यांकन, अध्ययन के साथ–साथ राज्य/जिला आय अनुमान तैयार करना अर्थ एवं संख्या विभाग के महत्वपूर्ण कार्यो में से है। जिला स्तर तथा मण्डल स्तर से प्राप्त सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण, प्रतिवेदन लेखन तथा प्रकाशन भी विभाग के नैत्यिक कार्य है।

4.5 बीस सूत्री कार्यकम :–

4-5.1 **अनुश्रवण** :– जनपद मण्डल तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक माह 20 सूत्री कार्यकम की प्रगति संकलित कर जनपदवार तथा विभागवार रैंकिग रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है।

4-5.2 **समीक्षा** :– जनपद तथा राज्य स्तर पर कमशः जनपद तथा शासन स्तरीय बैठकों का आयोजन कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

4-5.3 **सत्यापन** :–मा0 उपाध्यक्ष, बीस सूत्री द्वारा जनपद/ विकासखण्डों में भ्रमण कर योजनाओं का सत्यापन तथा बैठकें आयोजित कर विकास कार्यो के अवरोधों का स्थल पर ही यथा सम्भव निवारण कराये जा रहा है।

4-5.4 **टास्कफोर्स** :–विकास कार्यो की गुणवत्ता बढ़ाने, स्थलीय सत्यापन तथा फर्जी कार्यो को हतोत्साहित करने हेतु प्रत्येक मण्डल/जनपद/विकासखण्ड में टास्कफोर्स अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया है।

4-5.5 <u>समितियों का गठन</u> :–बीस सूत्रीय कार्यकम के कियान्वयन में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य, जनपद तथा विकासखण्ड स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यकम कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।

4-5.6 <u>लाभार्थियों की सूची का प्रकाशन</u> :–बीस सूत्रीय कार्यकम एक समयबद्ध कार्यकम है इसलिए प्रत्येक माह विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रगति के अनुसार पूर्ण विवरण के साथ लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध कराना तथा प्रकाशन कराया जाना अनिवार्य है। नियमानुसार प्रत्येक विभाग द्वारा प्रकाशित लाभार्थियों की सूची विकासखण्ड, जनपद, मण्डल तथा राज्य स्तर पर कमशः विकासखण्ड कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय, मण्डलीय संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या के कार्यालय तथा संयुक्त निदेशक, बीस सूत्रीय कार्यकम के कार्यालय में व्यवस्थित रखी जाएगी। सम्बन्धित विभाग का उत्तरदायित्व है कि जनप्रतिनिधियों/जनसाधारण की आवश्यकतानुसार उक्त सूचियां उपलब्ध करायें। उपयोग कर्ताओं को लाभार्थियों की सूचियों में कोई शंका होने पर उनका समाधान संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/अर्थ एवं संख्याधिकारी/संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या/संयुक्त निदेशक, बीस सूत्रीय कार्यकम से कराया जा सकता है।

अर्थ एवं संख्या विभाग के विभागीय ढॉचे में सृजित पद (मार्च 2024)

क्रमांक	सृजित पदों का पदनाम	वेतन मैट्रिक	लेवल	विकास खण्ड स्तर	जिला स्तर	मण्डल स्तर	बीस सूत्री कार्यक्रम	मुख्यालय स्तर	अन्य विभागों	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	निदेशक	₹ 131100-216600	Level13A	–	–	–	–	1	–	1	
2	अपर निदेशक	₹ 123100-215900	Level 13	–	–	–	–	2	–	2	
3	संयुक्त निदेशक	₹ 78800-209200	Level 12	–	–	2	1	2	–	5	
4	संयुक्त निदेशक(कम्प्यू0)	₹ 78800-209200	Level 12	–	–	–	–	1	–	1	मृतसंवर्ग
5	उप निदेशक	₹ 67700-208700	Level 11	–	–	–	–	7	2	9	
6	चीफ कार्टोग्राफर	₹ 56100-177500	Level 10	–	–	–	–	1		1	मृतसंवर्ग
7	अर्थ एवं संख्याधिकारी /शोध अधिकारी	₹ 56100-177500	Level 10		13	2	2	8	7	32	
8	मुख्य प्रशा0अधिकारी	₹ 56100-177500	Level 10	–	–	–	–	4		4	
9	वरिष्ठ प्रशा0अधिकारी	₹ 47600-151100	Level 8	–	1	1	1	2		5	
10	अपर सांख्यि0अधि0	₹ 44900-142400	Level 7	–	59	4	–	20	1	84	
11	प्रशासनिक अधिकारी	₹ 44900-142400	Level 7	–	2	1	–	2	–	5	
12	वैयक्तिक अधिकारी	₹ 44900-142400	Level 7	–	–	–	–	1	–	1	
13	निजी सचिव	₹ 35400-112400	Level 6	–	–	–	1		–	1	
14	सहा0सांख्यि0अधि0 / सहा0शोध अधिकारी	₹ 35400-112400	Level 6	95	26		2	2	–	125	
15	कार्टोग्राफिक असि0	₹ 35400-112400	Level 6	–	2	–	1	–	–	3	मृतसंवर्ग
16	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	₹ 35400-112400	Level 6	–	–	–	–	2	–	2	
17	प्रधान सहायक	₹ 35400-112400	Level 6	–	10	–	–	2	–	12	
18	वरिष्ठ सहायक	₹ 29200-92300	Level 5	–	13	2	1	3	–	19	
19	वैयक्तिक सहायक	₹ 29200-92300	Level 5	–	–	–	2	–	–	2	
20	कनिष्ठ सहायक	₹ 21700-69100	Level 3	–	13	2	2	5	–	22	
21	वाहन चालक	₹ 21700-69100	Level 3	–	10	2	1	1	–	14	
22	अनुसेवक	₹ 18000-56900	Level 1	–	36	4	2	9	–	51	मृतसंवर्ग
23	डाटा एन्ट्री आपरेटर	Out Source के माध्यम से		–	–	–	–	–	–		
	कुल स्वीकृत पद			95	185	20	16	75	10	401	

टिप्पणी :– क0सं0–13 निजी सचिव का पद विभागीय मूल ढॉचे में सम्मिलित नहीं है।

अर्थ एवं संख्या विभाग,उत्तराखण्ड की संरचना के अनुसार स्वीकृत पदों का विवरण (माह मार्च 2024 की स्थिति)

क्र0 सं0	अधिष्ठान का नाम	निदेशक	अपर निदेशक	संयुक्त निदेशक	संयुक्त निदे0 (का0)	उप निदे0	अर्थ एवं संख्या0	शोध अधि0	चीफ कार्टो0	मुख्य प्रशा0 अधि0	वरि0 प्रशा0 अधि0	निजी सचिव	अपर सां0 अधि0	कार्टो0 अधि0	सहा0 सां0 अधि0	सहा0 वि0 अधि0	सहा0 शोध अधि0	वैय0 अधि0	वरि0 वैय0 सहा0	वै0 सहा0	प्रशा0 अधि0	प्रधान सहा0	वरि0 सहा0	कनि0 सहा0	चालक	अनुसेवक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	निदेशालय	1	2	2	1	7	8	–	1	4	1		20	–	2	–	–	1	2		4	1	3	5	1	9	75
2	उत्तरकाशी	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	6	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	21
3	चमोली	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	9	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	24
4	टिहरी	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	9	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	24
5	देहरादून	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	6	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	21
6	पौड़ी	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	2	15	–	–	–	–	1		1	1	1	3	30
7	रुद्रप्रयाग	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	2	3	–	–	–	–	–	1	1	1		2	14
8	हरिद्वार	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	5	1	2	6	–	–	–	–	–	0	1	1	1	3	22
9	गढ़वाल मण्डल	–	–	1			1	–	–	–	–	–	2		0		–	–	–	1	1		1	1	1	2	11
10	अल्मोड़ा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5		2	11	–	–	–	–	1		1	1	1	3	26
11	बागेश्वर	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3		2	3	–	–	–	–	–	1	1	1	0	2	14
12	नैनीताल	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5		2	8	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	23
13	उधमसिंह नगर	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	6	1	2	7	–	–	–	–	–		1	1	1	3	24
14	पिथौरागढ़	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	5		2	8	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	23
15	चम्पावत	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3		2	4	–	–	–	–	–	1	1	1	0	2	15
16	कुमाऊँ मण्डल	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	0	–	–	–	–	1	–		1	1	1	2	12
17	वित्त विभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
18	पर्यटन/ राजस्व	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
19	शिक्षा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
20	सेवायोजन	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
21	समाज कल्याण	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
22	ग्राम्य विकास	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
23	नगर विकास	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
24	लोक सेवा आयोग	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
25	चिकित्सा	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26	कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
27	बीस सूत्री	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	2	1	2	13
	योग :–	1	2	5	1	9	30	2	1	4	5	1	84	3	28	95	2	1	2	2	7	10	19	22	14	51	401

संलग्नक-1
-67-

संख्या-221/नि0अनु0/02-22/नि0वि0/ढाँचा/02

प्रेषक,

अमेरन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन विभाग देहरादूनः दिनांक 10 अक्टूबर, 2002

विषय – अर्थ एवं संख्या, निदेशालय के संगठनात्मक ढाँचे के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न विषयों पर आंकड़ों के संग्रह विभिन्न सेक्टरों के मध्य सामंजस्य बनाये रखने तथा योजनाओं की संरचना हेतु वांछित आंकड़ों का संग्रह विश्लेषण तथा अनुश्रवण, आर्थिक समीक्षा एवं शोध, जिला एवं राज्य के आय के अनुमान का निर्धारण तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से समन्वय के उद्देश्य से अर्थ एवं संख्या, निदेशालय, के संगठनात्मक ढाँचे के पुर्नगठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त नियोजन विभाग के अर्न्तगत अर्थ एवं संख्या, विभाग उसकी समस्त क्षेत्रीय इकाईयों सहित निदेशालय के गठन तथा पूर्व सृजित पदों को परिवर्तित एवं परिवर्द्धन कर संलग्नक में उल्लिखित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा सेन्टर फार मनिटेरिंग इण्डियन इकानामी (सी0एम0आई0ई0) आंकड़ों के एकत्रीकरण विश्लेषण के कार्य हेतु समन्वय करके कार्य किया जायेगा। प्रावैधिक कार्य हेतु संयुक्त निदेशक के दो पदों में से संयुक्त निदेशक (प्रावैधिक–प्रथम) का पद भरा जायेगा किन्तु संयुक्त निदेशक (प्रावैधिक–द्वितीय) एवं उससे सम्बन्धित पदों को फिलहाल नहीं भरा जाये। यदि सी0एम0आई0ई0 से कार्य न कराने का निर्णय उसके कार्य की गुणवत्ता अथवा अन्य नीति विषयों के अन्तर्गत लिया जाता है तो संयुक्त निदेशक (प्रावैधिक–द्वितीय) एवं उससे सम्बन्धित पदों को भरा जायेगा।

पुर्नगठन के फलस्वरूप कार्टोग्राफिक असिस्टेन्टों को पदोन्नति का अवसर प्रदान करने हेतु अर्थ एवं संख्याधिकारी का एक एक्स–काडर पद, जो अर्थ एवं संख्या संवर्ग से बाहर था

[illegible] कार्टोग्राफिक असिस्टन्ट संवर्ग के मृत होने तक प्रस्तावित किया गया है। इसके उपरान्त [illegible] संख्याधिकारी का यह एक्स–काडर पद स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

नवसृजित जनपदों की स्थापना/ पदों के सृजन पर होने वाले आवर्तक एवं अनावर्तक [illegible] को वहन किये जाने के लिए कृपया यथा समय शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अर्थ एवं संख्या निदेशालय का मुख्यालय देहरादून में ही रहेगा। अर्थ एवं संख्या निदेशालय के निदेशक, अपर सचिव, नियोजन पदेन होगें।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या: 221 (1) / नि0अनु0/ 02–22/नि0वि0 / ढॉचा/ 02 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1-- सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
2-- महालेखाकार, उत्तरांचल सत्य निष्ठा भवन, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3-- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन।
4-- विशेषाकार्याधिकारी/ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।(विभागीय मंत्री)
5-- वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
6-- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल, उत्तरांचल।
7-- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8-- अपर सचिव, गोपन(मंत्री परिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
9-- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
11-- उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी/ गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
10– समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरांचल।
11–निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूड़की, (जनपद हरिद्वार) को शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ एवं 200 अतिरिक्त प्रतियॉं, अभिलेख सहित उपलब्ध कराने हेतु।
12–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

c:\mynoti\Go21\planningDirectorate

अर्थ एवं संख्या निदेशालय के लिये ढाँचे का स्वरूप

क्र सं0	पदनाम	वेतनमान	विकास खण्ड स्तर पर	जिला स्तर पर	मण्डल स्तर पर	मुख्यालय पर काडर में	मुख्यालय पर काडर के बाहर	प्रभाग में कुल पद	विभागीय अन्य विभागों	महायोग
1	निदेशक	16400-450-20000				1		1		1
2	अपर निदेशक	14300-400-18300				1		1		1
3	संयुक्त निदेशक	12000-375-16500				3		3	1	4
4	उप निदेशक	10000-325-15200			2	5		7	2	9
5	अर्थ एवं सांख्यधिकारी	8000-275-13500		13	2	8	1	24	7	31
6	सहा0 अर्थ एवं सं0	5000-150-8000		64	4	6		74	1	75
7	वैयक्तिक सहायक	5500-175-9000		0	0	1		1		1
8	कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट	5000-150-8000		8	2	0		10		10
9	अर्थ एवं सांख्याकीय निरीक्षक/ स0वि0अ0 (सांख्यिकीय)	4500-125-7000	95	29	0	6		130		130
10	मुख्य लिपिक	4500-125-7000				2		2		2
11	आशुलेखक	4000-100-6000			2	2		4		4
12	वरिष्ठ सहायक	4000-100-6000		23	2	4		29		29
13	कनिष्ठ सहायक	3050-75-4590		22	4	6		32		32
14	चालक	3050-75-4590		10	2	1		13		13
15	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-3200		36	4	9		49		49
16	डाटा ऐन्ट्री आपरेटर	दैनिक वेतन पर								
		योग	95	205	24	55	1	380	11	391

(14)

संलग्नक-2

(11)

-64-

संख्या– 106/ नि0 अनु0/ 03–22/ नि0वि0/ ढाँचा/ 02

प्रेषक,

अमरेन्द सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल देहरादून।

नियोजन विभाग

देहरादून: दिनांक 21 अप्रैल, 2003

विषय– अर्थ एवं संख्या निदेशालय के संगठनात्मक ढाँचे के सम्बन्ध में संशोधन।

महोदय,

प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न विषयों पर आंकड़ों के संग्रह विभिन्न सेक्टरों के मध्य सामंजस्य बनाये रखने तथा योजनाओं की संरचना हेतु वांछित आंकड़ों का संग्रह विश्लेषण तथा अनुश्रवण, आर्थिक समीक्षा एवं शोध, जिला एवं राज्य के आय के अनुमान का निर्धारण तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से समन्वय के उद्देश्य से अर्थ एवं संख्या निदेशालय के संगठनात्मक ढाँचे का पुर्नगठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या – 221/ नि0 अनु0/ 02–22/ नि0वि0/ ढाँचा/ 02 दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को एतद्द्वारा संशोधित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय मंत्री परिषद् के निर्णय दिनांक 3 अक्टूबर, 2002 के अनुपालन में नियोजन विभाग के अन्तर्गत अर्थ एव सख्या, विभाग उसकी समस्त क्षेत्रीय इकाईयों सहित निदेशालय के गठन तथा पूर्व सृजित पदों को परिवर्तित एवं परिवर्द्धन कर संलग्नक– 1 में उल्लिखित पदों के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3–अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा सेन्टर फार मनिटेरिंग इण्डियन इकानामी(सी0एम0आई0ई0) आंकड़ों के एकत्रीकरण विश्लेषण के कार्य हेतु समन्वय करके कार्य किया जायेगा। प्रारैधिक कार्य हेतु संयुक्त निदेशक के दो पदों में से

संयुक्त निदेशक (प्रावैधिक—द्वितीय) का पद भरा जायेगा किन्तु संयुक्त निदेशक (प्रावैधिक—द्वितीय) एवं उससे सम्बन्धित पदों को फिलहाल नहीं भरा जाये। यदि सी०एम०आई०ई० से कार्य न कराने का निर्णय उसके कार्यों की गुणवत्ता अथवा अन्य नीति विषयों के अन्तर्गत लिया जाता है तो संयुक्त निदेशक (प्रावैधिक—द्वितीय) एवं उससे सम्बन्धित पदों को भरा जायेगा। यदि इन पदों से सम्बन्धित कार्यों में विभाग पर अतिरिक्त कार्यभार पडता है तो मूल्यांकन आधार पर इन पदों को भरा जाना अपेक्षित होगा।

4—पुर्नगठन के फलस्वरूव कार्टोग्राफिक असिस्टेन्टों को पदोन्नति का अवसर प्रदान हेतु अर्थ एवं संख्याधिकारी का एक एक्स—काडर पद, जो अर्थ एवं संख्या संवर्ग से बाहर का होगा, कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट संवर्ग के मृत होने तक प्रस्तावित किया गया है। इसके उपरान्त अर्थ एवं संख्याधिकारी का यह एक्स—काडर पद स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

5— विभिन्न विभागों में आंकड़ों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, योजना संरचना तथा अनुश्रवण की श्रेष्ठता बनाये रखने के लिये विभागीय कैडर के अन्तर्गत (व्यय नियन्त्रण) विभाग में संयुक्त निदेशक का एक पद, पर्यटन एवं राजस्व संसाधन विभागों में उप निदेशक का एक—एक पद, शिक्षा, सेवायोजन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, नगर विकास, लोक सेवा आयोग तथा चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग में अर्थ एवं संख्याधिकारी का एक—एक पद तथा कृषि विभाग हेतु सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी के एक पद को अर्थ एवं संख्या विभाग के कैडर के अन्तर्गत सृजित किये गये है। विभागीय कैडर के उपर्युक्त पदों पर सामान्य नियन्त्रण अर्थ एवं संख्या विभाग का रहेगा किन्तु इन पदों पर होने वाले आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय आदि का वहन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।

6— नवसृजित जनपदों (रूद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर) में जीप चालक के पद सृजित नहीं किये गये हैं मितव्ययता को ध्यान में रखते हुये इन जनपदों के अधिकारियों / कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु गाड़ी किराया अनुबन्ध के आधार पर बाह्य स्त्रोतों से लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7— नवसृजित जनपदों की स्थापना/ पदों के सृजन पर होने वाले आवार्तक एवं अनावर्तक व्यय को वहन किये जाने के लिये कृपया यथा समय शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8— अर्थ एवं संख्या निदेशालय का मुख्यालय देहरदून में ही रहेगा। तथा अर्थ एवं संख्या निदेशालय में निदेशक, अपर सचिव, नियोजन रिक्त होने की स्थिति में पदेन निदेशक होंगे।

9– पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या– 165/ पुर्नगठन/ नियो0निदे0/ 2002–02 देहरादून दिनांक 25 जनवरी, 2002 तथा शासनादेश संख्या– 221/ नि0अनु0/ 02–22/ नि0वि0/ ढाँचा/ 02 दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को इस सीमा तक सशोधित समझा जाये।

10– उपर्युक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 106/ नि0अनु0/ 03–22/ नि0वि0/ ढाँचा/ 02 दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2– महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्य निष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– विशेष कार्याधिकारी/ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (विभागीय मंत्री)।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– आयुक्त, गढ़वाल/ कुमायूँ मण्डल।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8– अपर सचिव, गोपन(मंत्री परिषद्) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10– उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/ कुमायूँ मण्डल।
11– समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरांचल।
12– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (जनपद हरिद्वार) को शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ एवं 200 अतिरिक्त प्रतियाँ, अभिलेख सहित उपलब्ध कराने हेतु।
13– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

अर्थ एवं संख्या निदेशालय के लिये ढाँचे का स्वरूप

क्रम स0	पदनाम	वेतनमान	विकास खण्ड स्तर पर	जिला स्तर पर	मण्डल स्तर पर	मुख्यालय पर काडर में	मुख्यालय पर काडर के बाहर	प्रभाग में कुल पद	विभागीय अन्य विभागों	महायोग
1	निदेशक	16400—450—20000				1		1		1
2	अपर निदेशक	14300—400—18300				1		1		1
3	संयुक्त निदेशक	12000—375—16500				3		3	1	4
4	उप निदेशक	10000—325—15200			2	5		7	2	9
5	अर्थ एवं सांख्यधिकारी	8000—275—13500		13	2	8	1	24	7	31
6	सहा0 अर्थ एवं सं0	5000—150—8000		64	4	6		74	1	75
7	वैयक्तिक सहायक	5500—175—9000		0	0	~~1~~		1		1
8	कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट	5000—150—8000		8	2	0		10		10
9	अर्थ एवं सांख्याकीय निरीक्षक/ स0वि0अ0 (सांख्यिकीय)	4500—125—7000	95	29	0	6		130		130
10	मुख्य लिपिक	4500—125—7000				2		2		2
11	आशुलेखक	4000—100—6000			2	2		4		4
12	वरिष्ठ सहायक	4000—100—6000		23	2	4		29		29
13	कनिष्ठ सहायक	3050—75—4590		22	4	6		32		32
14	चालक	3050—75—4590		10	2	1		13		13
15	चतुर्थ श्रेणी	2550—55—3200		36	4	9		49		49
16	डाटा ऐन्ट्री आपरेटर	~~सं० के वेतन~~पर out sourcing से भरा जायेगा								
		योग	95	205	24	55	1	380	11	391

-62-

(29)

संलग्नक-3

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर सचिव,
नियोजन,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक 581 /स्था0/ढाँचा (भाग–2)/2011 दिनांक जून 16, 2015

विषयः अर्थ एवं संख्या विभाग के संरचनात्मक ढाँचे के अन्तर्गत बाह्य विभागों में सृजित पदों को विभाग के अन्तर्गत समायोजित करने के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 06–06–2015 को अर्थ एवं संख्या विभाग के संरचनात्मक ढाँचे के अन्तर्गत बाह्य विभागों में सृजित पदों को विभाग के अन्तर्गत समायोजित करने के संबंध में हुई शासन में हुई बैठक के सन्दर्भ में बाह्य विभागों में सृजित पदों को विभाग के अन्तर्गत समायोजित करने के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार वस्तुस्थिति प्रस्तुत की जा रही है:–

विभाग के ढाँचे में बाह्य विभागों में सृजित पदों की स्थिति निम्नानुसार है:–

क सं	विभाग जिसमे पद सृजित किया गया है।	सृजित पद का नाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या
1	वित्त विभाग	संयुक्त निदेशक	15600–39100 ग्रेड वेतन 7600	01
2	1–पर्यटन विभाग 2–राजस्व विभाग	उप निदेशक	15600–39100 ग्रेड वेतन 6600	01 01
3	1–शिक्षा विभाग 2–लोक सेवा आयोग 3–चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 4–समाज कल्याण 5–प्रशिक्षण एवं सेवा योजन 6–ग्राम्य विकास 7–नगर विकास	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	01 01 01 01 01 01 01
4	कृषि विभाग	अपर सां0अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	01
		कुल		11

बार–बार अनुरोध किया जा रहा है। उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम–2000 के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया था कि पूर्ववर्ती राज्य द्वारा सृजित पदों तथा पदोन्नति के अवसरों में कोई कमी नही की जायेगी जो कि विचारणीय है।

बाह्य विभागों हेतु सृजित पदों को विभाग के अन्तर्गत समायोजित करने के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं:–

1– अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती राज्य, उत्तर प्रदेश में नियोजन विभाग के अन्तर्गत निम्नानुसार 10 डिविजन कार्यरत थे जिसमें एक डिविजन अर्थ एवं संख्या विभाग भी सम्मिलित है:–

1- Economics & Statistics Division **2- Evaluatuion Division**

3- Planning & Research and Action Division

4- Training Division **5- Project formulation & Appraisal Division**

6-Perspective Planning Division **7- Man Power Planning Division**

8-Monitorting & Cost Management Division

9-Area Planning Division **10- Hill Division**

उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद नियोजन विभाग के अन्तर्गत केवल अर्थ एवं संख्या निदेशालय का ही गठन किया गया और पर्वतीय प्रभाग समाप्त कर उसके अधिकारी/कर्मचारियों को राज्य योजना आयोग में समायोजित कर दिया गया। इस प्रकार नियोजन विभाग के अन्तर्गत 10 डिविजनों के सापेक्ष मात्र अर्थ एवं संख्या निदेशालय को ही नियोजन से संबंधित सभी प्रकार के कार्य राज्य योजना आयोग व प्रशासनिक नियोजन विभाग द्वारा मुख्यतया सौपें गये हैं। नियोजन विभाग के अन्य 09 डिविजनों को सृजित नहीं करने से अर्थ एवं संख्या निदेशालय के कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य की वृद्धि हुई है।

2– उत्तराखण्ड राज्य में अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समय से नियोजन से संबंधित जो कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं उनमें से जिला योजना संरचना, मूल्यांकन, मार्ग निर्देश एवं अनुश्रवण, 13 वॉ वित्त आयोग, नवाचार योजना की स्वीकृति, चुनावी सर्वेक्षण, एन0पी0आई0, अर्थ एवं संख्या विभाग का सपोर्टिंग विंग के रूप में शाखावार सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव, नियोजन प्रकिया को लागू किया जाने हेतु विभागीय योजनाओं के अनुरक्षण तथा अध्ययन/ मूल्यांकन एवं यथा आवश्यक विभिन्न सर्वेक्षण अध्ययनों को सम्पादित करने का कार्य, क्षमता विकास, सांख्यिकीय पद्धतियों की जानकारी, जनगणना के कार्यों में सहयोग, आई0एस0एस0पी0 से

संबंधित कार्य सम्पादित करने हैं, इसके अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियोजन संबंधी विषयों से संबंधित कार्य व सुझाव मॉगे जाते रहे हैं।

यह भी उल्लेख करना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की संस्तुतियों तथा वर्ष 2006 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा **"विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली को प्रभावी बनाने एवं सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान किये जाने हेतु मण्डल/जिलास्तर पर नियोजन/अर्थ एवं संख्या कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण"** की घोषणा एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 624/ जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 में भी अर्थ एवं संख्या विभाग के जनपद/मण्डल/निदेशालय स्तरीय कार्यालयों यथावश्यक उच्चीकृत एवं सुदृढ़ करने के दिये गये निर्देशों के कम में संगठनात्मक ढॉचा तैयार कर प्रेषित किया गया था जो अभी शासनस्तर पर विचाराधीन है।

3– वर्तमान में जनपद एवं मण्डल स्तर पर जिला योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकरण प्रणाली के अन्तर्गत जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन किये जाने के फलस्वरूप अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा मण्डलीय उप निदेशक कार्यालय सामान्यतः जिला एवं मण्डल में जिला तथा मण्डल स्तरीय सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है, जिनके द्वारा जिला योजनाओं की संरचना, अनुश्रवण मूल्यांकन के अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृतियॉ भी जारी की जाती है। इसी कम में वर्तमान में **" जिला एवं राज्य स्तर पर सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना"** के अन्तर्गत 13 वें वित्त आयोग एवं **"राज्य सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण योजना"** में भी विभिन्न सर्वेक्षण, अध्ययनों, डेटा कलेक्शन आदि का कार्य व्यापक रूप से बढ़ चुका है।

4– भारत सरकार द्वारा विभाग को आर्थिक गणना का कार्य भी सौपा गया है, इसके अतिरिक्त पूर्व से ही लोक महत्व एवं नीति निर्धारण हेतु उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न सामाजार्थिक, औद्योगिक एवं दैनिक उपयोग के ऑकड़ों यथा जी0एस0डी0पी0 अनुमान तैयार करना, जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार करना, ग्रामीण एवं नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक निर्माण, भवन निर्माण सामग्री सूचकांक निर्माण, थोक भाव सूचकांक निर्माण, मजदूरी दर सूचकांक निर्माण, ग्रामीण तथा नगरीय उपभोक्ता व्यय अनुमान तैयार करना, गरीबी रेखा के अनुमान तैयार करना, समसामयिक विषयों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन, राज्य की आर्थिक समीक्षा एवं आर्थिक सर्वेक्षण करना, आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। जनपद तथा मण्डल स्तर पर कम पद सृजित होने से कार्मिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है तथा कार्य की प्रगति भी धीमी हो रही है

उक्त विभागों के साथ शासनस्तर पर कई बैठकें आयोजित की गई फिर भी विभागों द्वारा अपने विभाग में अर्थ एवं संख्या विभाग के पदों को सृजित नहीं किया गया केवल समाज कल्याण विभाग में 01 अर्थ एवं संख्याधिकारी का पद सृजित किया गया है। पूर्व में नगर विकास में 01 अर्थ एवं संख्याधिकारी का पद सृजित था परन्तु नगर विकास विभाग के वर्तमान ढॉचे में अर्थ एवं संख्याधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया हैं।

बाह्य विभागों द्वारा पद सृजित नहीं किये जाने के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार प्रकल्पित की जा रही है–

(1) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र संख्या 1945/149/अधि0/05–06 दिनांक 08 मार्च, 2007 द्वारा शासन को अवगत कराया है कि अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद की विभाग में आवश्यकता नहीं है।

(2) शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, तथा चिकित्सा विभाग ने अपने विभागीय ढॉचे में अर्थ एवं संख्याधिकारी का पद सृजित करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया परन्तु इन विभागों का ढॉचा स्वीकृत होने पर अर्थ एवं संख्या विभाग के पदों को सृजित नही किया गया।

(3) वित्त, पर्यटन, राजस्व, सेवायोजन, चिकित्सा तथा ग्राम्य विकास विभाग ने अर्थ एवं संख्या विभाग के अन्तर्गत सृजित पद को अपने विभागीय संरचनात्मक ढॉचे में रखने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(4) कृषि विभाग हेतु 01 सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी (वर्तमान में अपर सांख्यिकी अधिकारी) का सृजित है परन्तु कृषि विभाग द्वारा अपने विभाग में पद सृजित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

बाह्य विभागों द्वारा उक्त पदों को समायोजित नहीं किये जाने के कारण अर्थ एवं संख्या विभाग में जहॉ एक ओर संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, अर्थ एवं संख्याधिकारी एवं अपर सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर कम हो गये हैं वहीं दूसरी और विभाग में पूर्व राज्य की तुलना में कार्यों में वृद्धि होने के कारण अनेक प्रकार के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बाह्य विभागों के उक्त 10 (01 अर्थ एवं संख्याधिकारी का पद समाज कल्याण निदेशालय में सृजित हो जाने के कारण अब बाह्य विभागों में 10 पद सृजित हैं) पदों को विभाग के अन्तर्गत समायोजित करने के संबंध में अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा संघ द्वारा भी

जो कि विचारणीय है। ढाँचे के संबंध में बार–बार मौखिक रूप से भी प्रत्येक स्तर पर अवगत कराया गया है।

5– यह भी उल्लेख करना है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य में नियोजन हेतु अर्थ एवं संख्या विभाग का सुदृढीकरण कर राज्य की सांख्यिकी कार्य कलापों में कारगर तालमेल रखने व प्रत्येक विभाग के सांख्यिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा सबल संस्तुति दी है कि प्रत्येक स्तर पर सांख्यिकी कार्यों का सुदृढ़ीकरण व ऑकड़ों की गुणवत्ता कायम रखने पर बल दिया गया है इसके अतिरिक्त राज्य के प्रभावी नियोजन, विभागीय योजनाओं के अनुरक्षण तथा अध्ययन/मूल्यांकन एवं यथा आवश्यक विभिन्न सर्वेक्षण अध्ययनों, क्षमता विकास, सांख्यिकीय पद्धतियों की जानकारी आदि हेतु विभाग में अतिरिक्त अधिकारियों की आवश्यकता है।

6– यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन, नियोजन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 128/XXVI/दो (19)/2006 दिनांक 21 अप्रैल, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड, अर्थ एवं सांख्यिकी राजपत्रित सेवा नियमावली, 2015 का प्रख्यापन हो चुका है। इस सेवा नियमावली में विभाग में निम्नानुसार राजपत्रित अधिकारियों के पद सृजित किये गये हैं:–

क0सं0/पद नाम	स्थाई	अस्थाई	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
1– निदेशक	1	–	1
2– अपर निदेशक	1	–	1
3– संयुक्त निदेशक	4	1	5
4– उप निदेशक	9	–	9
5– अर्थ एवं संख्याधिकारी/शोध अधिकारी	30	02	32
6– चीफ कार्टोग्राफर	–	01	01
कम्प्यूटर भाखा (मृत संवर्ग)			
1–संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	–	1	1
2– उप निदेशक (कम्प्यूटर)	–	1	1
3– प्रोग्रामर	–	1	01
योग	45	07	52

राजपत्रित सेवा नियमावली, 2015 में उक्तानुसार सभी पदों को विभाग के अन्तर्गत की आमेलित किया गया है कोई भी पद बाह्य विभाग में सृजित किये जाने का उल्लेख नहीं है इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि विभाग में अब कोई भी पद बाह्य विभाग हेतु सृजित नहीं है।

उक्तानुसार बाह्य विभागों में सृजित 10 पदों को विभाग के अन्तर्गत समायोजित करने के के संबंध में अधिकारियों के मध्य संलग्न सूची के अनुसार कार्य विभाजन किये जाने का प्रस्ताव

अतः अनुरोध है कि विभाग के कार्यभार को देखते हुए बाह्य विभागों में सृजित संयुक्त निदेशक का 01 पद, उप निदेशक के 02 पद, अर्थ एवं संख्याधिकारी के 06 पद (01 पद समाज कल्याण निदेशालय में सृजित हो जाने के कारण 06 पद रह गये हैं) तथा 01 अपर साख्यिंकी अधिकारी के पदों को अर्थ एवं संख्या विभाग के संरचनात्मक ढॉचे में पद सृजित होने के कारण विभाग में समायोजित करने का कष्ट करें तॉकि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा आबंटित कार्यों का निस्तारण त्वरित गति से किया जा सके।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(वाई0एस0पांडती),
निदेशक।

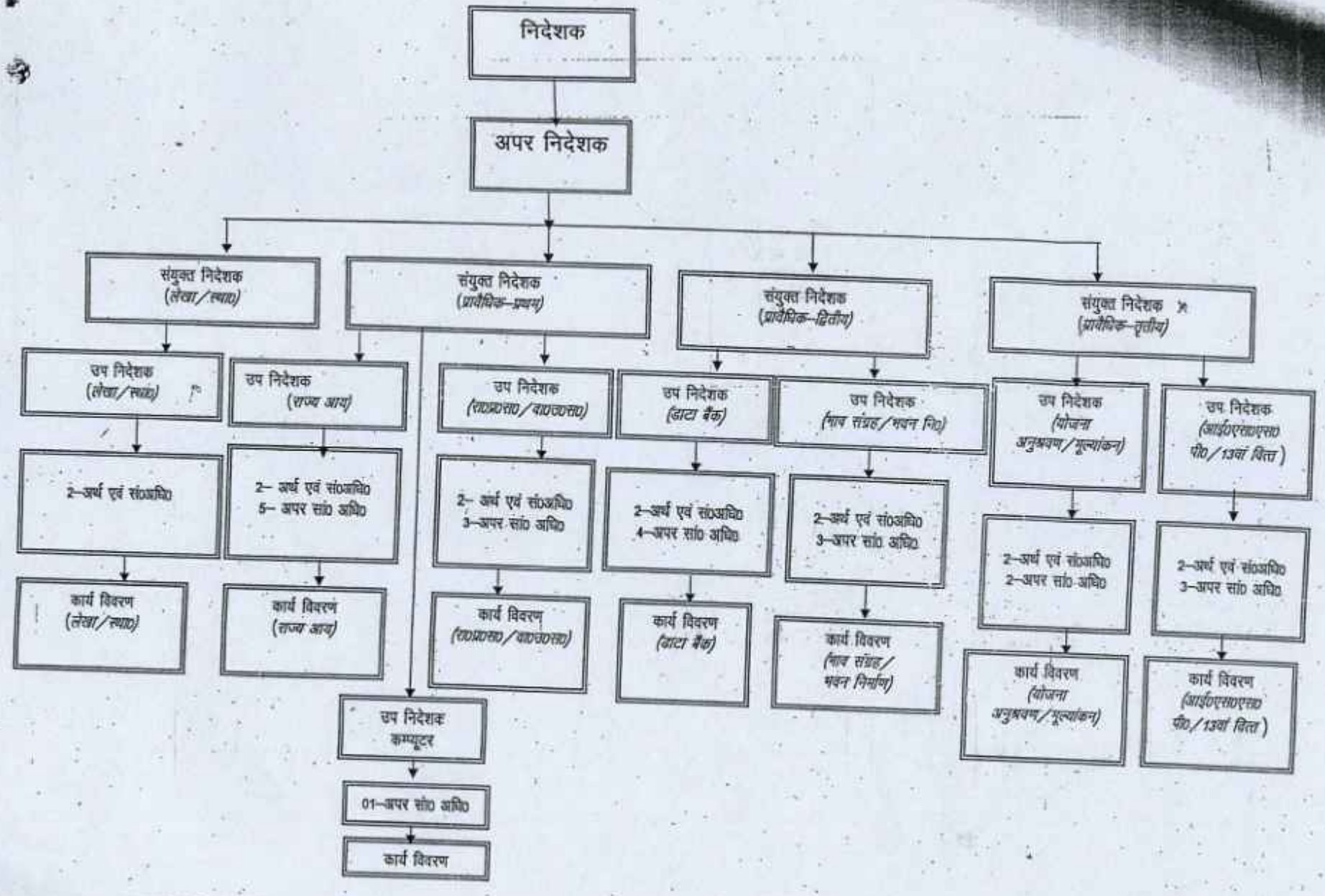
निदेशक
अपर निदेशक
संयुक्त निदेशक (लेखा/स्थाप)
संयुक्त निदेशक (प्रादेशिक–प्रथम)
संयुक्त निदेशक (प्रादेशिक–द्वितीय)
संयुक्त निदेशक (प्रादेशिक–तृतीय)
उप निदेशक (लेखा/स्थाप)
उप निदेशक (राज्य आय)
उप निदेशक (रा0अ0स0/बा0उ0स0)
उप निदेशक (डाटा बैंक)
उप निदेशक (भाव संग्रह/भवन नि0)
उप निदेशक (योजना अनुश्रवण/मूल्यांकन)
उप निदेशक (आई0एस0एस0 पी0/13वां वित्त)
2–अर्थ एवं सं0अधि0
2– अर्थ एवं सं0अधि0 5– अपर सां0 अधि0
2– अर्थ एवं सं0अधि0 3–अपर सां0 अधि0
2–अर्थ एवं सं0अधि0 4–अपर सां0 अधि0
2–अर्थ एवं सं0अधि0 3–अपर सां0 अधि0
2–अर्थ एवं सं0अधि0 2–अपर सां0 अधि0
2–अर्थ एवं सं0अधि0 3–अपर सां0 अधि0
कार्य विवरण (लेखा/स्थाप)
कार्य विवरण (राज्य आय)
कार्य विवरण (रा0अ0स0/बा0उ0स0)
कार्य विवरण (डाटा बैंक)
कार्य विवरण (भाव संग्रह/ भवन निर्माण)
कार्य विवरण (योजना अनुश्रवण/मूल्यांकन)
कार्य विवरण (आई0एस0एस0 पी0/13वां वित्त)
उप निदेशक कम्प्यूटर
01–अपर सां0 अधि0
कार्य विवरण

...क (लेखा/स्था0) ...र्य विवरण	उप निदेशक (राज्य आय) कार्य विवरण	उप निदेशक (रा0प्र0स0/वा0उ0स0)	उप निदेशक(डाटा बैंक) कार्य विवरण	उ[illegible]	उप निदेशक (योजना अनु0/मूल्यांकन) कार्य विवरण	उप निदे0(आई0एस0एस0पी0/13वां वित्त) कार्य विवरण	उप निदे[illegible] कार्य विवरण
...ीय संरचना (ढांचा) ...ये पदो का सृजन एवं नियुक्तियां/रोस्टर प्रतिनियुक्ति/...था स्थानान्तरण उ0प्र0 राज्य का पुर्नगठन मृतक आश्रित/ आंदोलनकारियों की नियुक्ति ➤ छटनी किये गये कर्मचारियों का आ...लन ➤ सेवा नियमावली ➤ स्थायीकरण/ज्येष्ठता सूची ➤ विभागीय पदोन्नति समिति/ प्रोन्नति का रोस्टर ➤ चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान ➤ स्पष्टीकरण /विभागीय जांच/पदावन्नति ➤ सेन्चर/प्रतिकूल प्रविष्टि /वेतनवृद्धि रोकना /सेवा समाप्ति ➤ समस्त प्रकार के अवकाश ➤ अवकाश यात्रा सुविधा ➤ शिक्षा/नियोजन हेतु अनापत्ति ➤ आदेश पंजिका, उपस्थिति पंजिका/कार्य आवंटन ➤ स्थानान्तरण, मानदेय ➤ सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र। ➤ वार्षिक प्रविष्टि ➤ व्यक्तिगत पत्रा0/सेवा पुस्तिका /भण्डार पंजिका। ➤ पत्र प्राप्ति/पत्र प्रेषण/ राज्यकीय डाक टिकटों की पंजिका/फैक्स *स्थायी/अस्थायी सामग्री क्रय सम्बन्धी निविदा/कोटेशन* स्टेशनरी/कम्प्यूटर सामग्री वितरण पंजिका। कम्प्यटर का रख–रखाव	➤ सी0एस0ओ0 के समन्वय से राज्य आय अनुमान तैयार करना तथा संकलित आंकड़ों को अन्तिम रुप प्रदान करना ➤ प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र के आंकड़ों हेतु सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क कर संग्रह, परिनिरीक्षण, संकलन तथा प्रतिवेदन लेखन के पश्चात विश्लेषणात्मक वार्षिक रिर्पोट तैयार करना। ➤ वार्षिक बजट अभिलेख से विभागवार, योजनावार विश्लेषण तथा सी0एस0ओ0 सापटवेयर के अनुरुप प्रकाशित किया जाना। ➤ जनपदवार घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार कर वार्षिक प्रकाशन निकालना। ➤ विभिन्न कार्यकर्मों का अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक विवरण। ➤ गैर पारिवारिक संस्थाओं द्वारा किये गये निर्माण का विश्लेषण। ➤ राज्य के आर्थिक क्षेत्रों हेतु पूंजी निर्माण/आगत–निर्गत तैयार कर वार्षिक प्रकाशन किया जाना ➤ समस्त स्थानीय निकायों के आय–व्यय वर्गीकरण। ➤ राज्य के गैर लाभकारी संस्थाओं के सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रह। 9– पर्यावरण सांख्यिकी।	➤ सम्बन्धित दौर का क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सर्वेक्षण हेतु प्रशिक्षण, अनुसूची वितरण, कार्य प्रगति का अनुश्रवण तथा प्रगति रिर्पोट का भारत सरकार को प्रेषण। ➤ जनपदों में सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण। ➤ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन का मूल्यांकन, परिनिरीक्षित अनुसूचियों का राज्य स्तरीय सुपर परिनिरीक्षण। ➤ भारत सरकार से प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को अनुसूचियों में सम्मिलित विषयक प्रशिक्षण प्रदान करना। ➤ निर्देश पत्रिका जारी करना, सर्वेक्षण सामग्री का वितरण तथा कार्य प्रगति का अनुश्रवण। ➤ जनपद स्तर पर आंकड़ों के संग्रहण हेतु सर्वेक्षण कार्य सम्पादित कराना। ➤ संग्रहित आंकड़ों का परिनिरीक्षण तथा विसंगतियों का निराकरण। ➤ आधारवर्ष परिवर्तन हेतु आवश्यक आइटम बास्केट तैयार करना। ➤ कार्य प्रगति का अनुश्रवण। ➤ औद्योगिक उत्पाद सूचकांक तैयार कर त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाना। 4– स्थानीय निकायों के आय–व्यय संबंधी कार्य सम्पादित किया जाना।	➤ सांख्यिकी डायरी हेतु आंकड़ा एकत्रित करना, विश्लेषण एवं प्रकाशन। ➤ उत्तराखण्ड एट अ ग्लांस/ जनपद एक दृष्टि हेतु आंकड़ा एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं प्रकाशन। ➤ जनपद तथा मण्डलीय स्थलीय सांख्यिकी पत्रिकाओं का परिनिरीक्षण। ➤ अर्न्तजनपदीय विषमताओं का विश्लेषण। ➤ आर्थिक समीक्षा/सर्वेक्षण । ➤ उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश के सांख्यिकी प्रकाशनों से प्राप्त आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन। ➤ समाजार्थिक समीक्षा तैयार करना। ➤ मुद्रणालय एवं प्रकाशन के आंकड़ों का संग्रह। ➤ विभिन्न विषयों का प्रकाशन। ➤ आधारभूत आंकड़ों का कार्य। ➤ विभाग के विभिन्न प्रकाशनों का रख–रखाव। ➤ केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्यों के सांख्यिकी प्रकाशनों का संग्रह, उपयोगकर्ताओं को वांछित प्रकाशन उपलब्ध कराने तथा आगत–निर्गत पंजिकाओं का रख–रखाव। ➤ क्षेत्रीय कार्यालय हेतु प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराना। ➤ जनगणना से सम्बन्धित प्राविधिक दिशा–निर्देश जारी करना तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण।	➤ [illegible] ...यों का [illegible] ...न। ➤ [illegible] ...के [illegible] फुटकर बाजार से आवश्यक वस्तुओं के भाव, साप्ताहिक फुटकर भाव का विश्लेषण, संग्रहकर्ताओं को दिशा–निर्देश प्रशिक्षण, संकलन, परिनिरीक्षण एवं राज्य स्तरीय प्रतिवेदन। ➤ प्रत्येक नगर से भवन निर्माण सामग्री का त्रैमासिक भाव संग्रह, संग्रहकर्ताओं का निर्देश परिनिरीक्षण, राज्य स्तरीय संकलन तथा केन्द्र सरकार को संकुलित भाव उपलब्ध कराना। ➤ रेशम कोया, सीमेंट, आयुर्वेदिक दवाईयां, पशुजन्य पदार्थो तथा अन्य विविध भावों के संग्रहण सम्बन्धी समस्त कार्य। ➤ समस्त विकासखण्डों के ग्रामीण/नगरीय बाजार से माहवार निर्धारित मजदूरी दरों के संग्रह हेतु प्रशिक्षण, दिशा– निर्देश, परिनिरीक्षण, संकलन एवं राज्य स्तरीय प्रतिवेदन। ➤ भवन निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को देय मजदूरी दरों का संग्रह तथा संकलन भारत सरकार को उपलब्ध कराना। ➤ के0 सां0 आ0 की संस्तुति के उपरान्त उपभोक्ता भाव सूचकांक का निर्माण। ➤ नगरीय उपभोक्ता भाव का अनुश्रवण तथा विश्लेषण। ➤ भवन निर्माण अनु0–1 व 2 ➤ श्रम ब्यूरो (रोजगार व बेरोजगार सर्वेक्षण)	➤ ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन। ➤ समस्त विकासखण्डों/जिला स्तरीय मासिक प्रगति का संकलन, अनुश्रवण, परिनिरीक्षण का राज्य स्तरीय संकलन तैयार कर विश्लेषणात्मक रिर्पोट शासन को उपलब्ध कराना। ➤ जिला/राज्य/केन्द्र पोषित/वाह्य सहायतित योजनाओं की राज्य स्तरीय मासिक प्रगति का संकलन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराना। ➤ प्रगति के अनुश्रवण हेतु समस्त विभागों से समन्वय। ➤ अधिकारीवार, जनपदवार स्थलीय सत्यापन रिर्पोट का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य। ➤ क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षण, यात्रा दिवस, रात्रि निवास से सम्बन्धित अनुश्रवण कार्य। ➤ विभाग के प्राविधिक कार्यों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर कार्य प्रगति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी करना। ➤ वार्षिक कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका का संकलन तथा प्रकाशन कर विधान सभा सदस्यों का ससमय उपलब्ध कराना। ➤ सिटीजन चार्टर तैयार किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश निर्गत किया जाना।	➤ राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी सूचनाओं का राज्य स्तरीय संकलन, परिनिरीक्षण, प्रतिवेदन, अनुश्रवण तथा नोडल एजेन्सी के निर्धारित कार्यों का सम्पादन कर आई0एस0 एस0पी0 का निर्माण। ➤ भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना के सम्बन्ध में समस्त कार्य। ➤ 13वें वित्त/जिला नवाचार निधि के अर्न्तगत समस्त कार्य ➤ राज्य एवं जनपद स्तर पर सांख्यिकी सुधार प्रणाली योजना के अन्तर्गत राज्बिजनेस रजिस्टर हेतु पंजिकृत/अपंजिकृत के साथ–साथ 07 Registering authorities से प्राप्त सूचियों में अंकित उद्यमों का सत्यापन। ➤ कृषि संगणना। ➤ (जनपद/मण्डल/निदेशाल य स्तर पर हार्डवेयर व साफ्टवेयर सम्बन्धी कार्यों का संचालन) एवं डाटा पुलिंग, विस्थापित जनसंख्या सर्वेक्षण। ➤ परम्परागत/गैर–परम्परागत कृषि सम्बन्धी आंकड़े। ➤ सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत समस्त कार्य। ➤ मानव विकास सूचकांक का समस्त कार्य	➤ रा0प्र0स0, वा0उ0स0, उपभोक्ता भाव सूचकांक तथा अन्य समस्त प्राविधिक कार्यों के संग्रहित आंकड़ों के संकलन, परिनिरीक्षण तथा विश्लेषण करना। ➤ विभाग के आवश्यकता के अनुरुप साफ्टवेयर तैयार करना। ➤ विभाग के कार्मिकों को आवश्यकतानुसार समय–समय पर कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान करना। ➤ विभाग के समस्त कम्प्यूटरों का अनुश्रवण एवं रख–रखाव।

अ[illegible] एवं संख्याधिकारी (सेवा)	अर्थ एवं संख्याधिकारी ([illegible])	अर्थ एवं संख्याधिकारी (राज्य आय)	अर्थ [illegible] संख्या[illegible] तथा [illegible]	[illegible] एवं संख्याधिकारी (पर्यावरण [illegible]की)	अर्थ एवं संख्याधिकारी (रा०न०स०सर्वेक्षण)	अर्थ एवं संख्याधिकारी (वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण आई०आई०पी०)
➢ वेतन बिल आदि सम्बन्धी समस्त कार्य ➢ व्यक्तिगत पत्रा० / भण्डार पंजिका। ➢ पत्र प्राप्ति / पत्र प्रेषण / राजकीय डाक टिकटों की पंजिका / फैक्स ➢ स्टेशनरी / कम्प्यूटर सामग्री वितरण पंजिका। ➢ कम्प्यूटर रख–रखाव	➢ विभागीय [illegible] (ढांचा) ➢ नये पदों का सृजन एवं नियुक्तियां / रोस्टर ➢ प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण ➢ उ०प्र० राज्य का पुनर्गठन ➢ मृतक आश्रित / आंदोलनकारियों की नियुक्ति ➢ छटनी किये गये कर्मचारियों का आमेलन ➢ सेवा नियमावली ➢ स्थायीकरण / ज्येष्ठता सूची ➢ विभागीय पदोन्नति समिति / प्रोन्नति रोस्टर ➢ चयन वेतनमान / प्रोन्नति वेतनमान ➢ स्पष्टीकरण / विभागीय जांच / पदावनति ➢ सेन्सर / प्रतिकूल प्रविष्टि / वेतनवृद्धि रोकना / सेवा समाप्ति ➢ समस्त प्रकार के अवकाश ➢ अवकाश यात्रा सुविधा ➢ शिक्षा / नियोजन हेतु अनापत्ति ➢ आदेश पंजिका, उपस्थिति पंजिका / कार्य आवंटन ➢ स्थानान्तरण, मानदेय ➢ सेवानिवृत्ति / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / त्याग पत्र ➢ वार्षिक प्रविष्टि	➢ सी०एस०ओ० के समन्वय से राज्य आय अनुमान तैयार करना तथा संकलित आंकड़ों को अन्तिम रूप प्रदान करना ➢ प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक क्षेत्र के आंकड़ों हेतु सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क कर संग्रह, प्रतिनिरीक्षण, संकलन तथा प्रतिवेदन लेखन के पश्चात विश्लेषणात्मक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ➢ वार्षिक बजट अभिलेख से विभागवार, योजनावार विश्लेषण तथा सी०एस०ओ० साफ्टवेयर के अनुरूप प्रकाशित किया जाना। ➢ विभिन्न कार्यक्रमों का अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक विवरण ➢ गैर पारिवारिक संस्थाओं द्वारा किये गये निर्माण का विश्लेषण ➢ राज्य के आर्थिक क्षेत्रों हेतु पूंजी निर्माण / आगत–निर्गत तैयार कर वार्षिक प्रकाशन किया जाना	➢ जनपदवार घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार कर वार्षिक प्रकाशन निकालना ➢ समस्त स्थानीय निकायों के आय–व्यय वर्गीकरण ➢ राज्य के गैर लाभकारी संस्थाओं से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रह	➢ वानिकी एवं पर्यावरणीय सूचकांक तैयार करना ➢ वानिकी एवं पर्यावरणीय लेखा तैयार करना	➢ सम्बन्धित दौर का क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सर्वेक्षण हेतु प्रशिक्षण, अनुसूची वितरण, कार्य प्रगति का अनुश्रवण तथा प्रगति रिपोर्ट का भारत सरकार को प्रेषण ➢ जनपदों में सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण ➢ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन का मूल्यांकन, परिनिरीक्षित अनुसूचियों का राज्य स्तरीय सुपर परिनिरीक्षण ➢ भारत सरकार से प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को अनुसूचियों में सम्मिलित विषयक प्रशिक्षण प्रदान करना। ➢ निर्देश पत्रिका जारी करना, सर्वेक्षण सामग्री का वितरण तथा कार्य प्रगति का अनुश्रवण ➢ जनपद स्तर पर आंकड़ों के संग्रहण हेतु सर्वेक्षण कार्य सम्पादित करना ➢ संग्रहित आंकड़ों का परिनिरीक्षण तथा विसंगतियों का निराकरण	➢ वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य ➢ आधार वर्ष परिवर्तन हेतु आवश्यक आइटम बास्केट तैयार करना ➢ कार्य प्रगति का अनुश्रवण ➢ औद्योगिक उत्पाद सूचकांक तैयार कर त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाना

अर्थ एवं संख्याधिकारी (डाटा बैंक)	अर्थ एवं संख्याधिकारी (शोध एवं प्रकाशन)	अर्थ एवं संख्याधिकारी (भाव संग्रह)	अर्थ एवं संख्याधिकारी (भवन निर्माण)	अर्थ एवं संख्याधिकारी (योजना)	अर्थ एवं संख्याधिकारी (आई0एस0एस0पी0 कार्यक्रम क्रियान्वयन)	अर्थ एवं संख्याधिकारी (प्रशिक्षण एवं समन्वयन)
➢ औद्योगिक उत्पादन हेतु आंकड़ा एकत्रित करना, विश्लेषण एवं प्रकाशन ➢ उत्तराखण्ड एट ए ग्लांस/जनपद एक दृष्टि हेतु आंकड़ा एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं प्रकाशन ➢ जनपद तथा मण्डलीय स्थलीय सांख्यिकी पत्रिकाओं का परिनिरीक्षण ➢ आधारभूत आंकड़ों का कार्य ➢ केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्यों के सांख्यिकी प्रकाशनों को वांछित प्रकाशन उपलब्ध कराने तथा आगत–निर्गत पत्रिकाओं का रख–रखाव ➢ जनगणना से सम्बन्धित प्राविधिक दिशा–निर्देश जारी करना तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण	➢ क्षेत्रीय/जनपदीय विषमताओं का विश्लेषण ➢ आर्थिक समीक्षा/सर्वेक्षण ➢ उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश के सांख्यिकी प्रकाशनों से प्राप्त आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन ➢ सामाजार्थिक समीक्षा तैयार करना ➢ मुद्रणालय एवं प्रकाशन के आंकड़ों का संग्रह ➢ विभाग के विभिन्न प्रकाशनों का रख–रखाव ➢ क्षेत्रीय कार्यालय हेतु प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराना	➢ समस्त विकासखण्डों के चयनित नगरीय/ग्रामीण फुटकर बाजार से आवश्यक वस्तुओं के भाव, साप्ताहिक फुटकर भाव का विश्लेषण, संग्रहकर्ताओं को दिशा–निर्देश प्रशिक्षण, संकलन, परिनिरीक्षण एवं राज्य स्तरीय प्रतिवेदन ➢ रेशम कोया, सीमेंट, आयुर्वेदिक दवाईयों, पशुजन्य पदार्थों तथा अन्य विविध भावों के संग्रहण सम्बन्धी समस्त कार्य ➢ समस्त विकासखण्डों के ग्रामीण/नगरीय बाजार से माहवार निर्धारित मजदूरी दरों के संग्रह हेतु प्रशिक्षण, दिशा–निर्देश, परिनिरीक्षण, संकलन एवं राज्य–स्तरीय प्रतिवेदन ➢ के0स0सं0का0 की संस्तुति के उपरान्त उपभोक्ता भाव सूचकांक का निर्माण ➢ नगरीय उपभोक्ता भाव का अनुश्रवण एवं विश्लेषण	➢ प्रत्येक नगर से भवन निर्माण सामग्री का त्रैमासिक भाव संग्रह, संग्रहकर्ताओं का निर्देश, परिनिरीक्षण, राज्य स्तरीय संकलित भाव उपलब्ध कराना ➢ भवन निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को देय मजदूरी दरों का संग्रह तथा संकलन भारत सरकार को उपलब्ध कराना ➢ भवन निर्माण अनु0–1व 2 ➢ श्रम ब्यूरो (रोजगार व बेरोजगार सर्वेक्षण	➢ ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन ➢ समस्त विकासखण्डों/जिला स्तरीय मासिक प्रगति का संकलन, अनुश्रवण, परिनिरीक्षण का राज्य स्तरीय संकलन तैयार कर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट ➢ जिला/राज्य/केन्द्र पोषित/वाह्य सहायतित योजनाओं की राज्य स्तरीय मासिक प्रगति का संकलन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराना ➢ प्रगति के अनुश्रवण हेतु समस्त विभागों से समन्वय ➢ अधिकारीवार, जनपदवार स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट को अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य ➢ क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षण, यात्रा दिवस रात्रि निवास से सम्बन्धित अनुश्रवण कार्य ➢ विभाग के प्राविधिक कार्यों के अनुश्रवण हेतु–प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर कार्य प्रगति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी करना ➢ वार्षिक कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका का संकलन तथा प्रकाशन कर विधान सभा सदस्यों का ससमय उपलब्ध कराना ➢ सिटीजन चार्टर तैयार किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश निर्गत किया जाना	➢ परियोजना के अन्तर्गत समस्त तकनीकी कार्यों का समन्वयन/अनुश्रवण आदि कार्यों का निष्पादन ➢ समस्त प्रकार के सर्वेक्षण/अध्ययन आदि हेतु format design module तैयार करने के साथ–2 अनुश्रवण, समन्वयन इत्यादि करना ➢ प्रत्येक सर्वेक्षण/अध्ययन का कार्य योजना तैयार करना ➢ विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना ➢ जा0पी0एस0 एसोसिएट/भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित कार्य ➢ केन्द्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों की कान्फ्रेंस (COCSSO) से सम्बन्धित कार्य	➢ समस्त प्रकार के विभागीय तथा रेखीय विभागों हेतु विकासखण्ड/जनपद/मण्डल स्तर तथा राज्य स्तर के प्रशिक्षण चिन्हित कर module तैयार करना ➢ प्रशिक्षण एजेन्सियों/संस्थाओं का चिन्हीकरण तथा उनसे समन्वयन स्थापित करना ➢ राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर समन्वयन करना ➢ समय–2 पर आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षणों का चिन्हीकरण, आयोजन एवं समन्वयन

प्रपत्र–4

(27)

संख्याः 473/XXVI/दो(3)/2004

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून

नियोजन अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 24 दिसम्बर, 2015

विषयः अर्थ एवं संख्या विभाग में अर्थ एवं संख्याधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के अन्तर्गत अधियाचन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 1892/स्था0/1–लो0से0आ0/2007–08, दिनांक 03.12.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अर्थ एवं संख्या विभाग में तैनात अर्थ एवं संख्याधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराई गई है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्याधिकारियों के वाह्य विभागों के अन्तर्गत सृजित 06 पदों को सम्मिलित करते हुए पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत 09 रिक्त पदों की पदोन्नति हेतु एवं सीधी भर्ती के 14 पदों पर (दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत्त होने वाले अर्थ एवं संख्याधिकारी की परिणामी रिक्ति को सम्मिलित करते हुए) अधियाचन तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव

E:\official\Planning\Planning G.O. 2011.doc - 273

(29)

संलग्नक-5

-61-

अनुलग्नक-1

संख्या- 315/25-नि0अनु0/2003

प्रेषक

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

...जन अनुभाग। देहरादूनः दिनांकः 11 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2003

विषयः- बीस सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन विभाग के कार्यकमों की स्थापना एवं पदों के सृजन तथा वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या-260/ढॉचा(बी0सू0कार्या0)/2003-04 दिनांक 10 मार्च, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजयपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 में बीस सूत्री कार्यकमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन विभाग के कार्यालय की स्थापना अर्थ एवं संख्या विभाग के अन्तर्गत पृथक से सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 29 फरवरी, 2004 तक बशर्ते कि यह इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय सृजित किये जाने तथा बीस सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन विभाग के अधिष्ठान हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि रू0 34.39 लाख (रुपये चौंतीस लाख उनतालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	संयुक्त निदेशक	1	12000-375-16500
2	शोध अधिकारी	2	8000-275-13500
3	निजी सचिव (मा0उपाध्यक्ष के निजी स्टाफ हेतु)	1	6500-200-10500
4	सहायक शोध अधिकारी	4	5000-150-8000
5	कनिष्ठ सहायक/डाटा इंट्री आपरेटर	4	3050-75-3950-80-4590
6	चालक	1	3050-75-3950-80-4590
7	अनु सेवक	2	2550-55-2660-60-3200
	कुल योग- (पन्द्रह मात्र)	15	

2- उक्त पदों पर वेतन के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।

3– उक्त पदो पर नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाय। यह सभी पद पूर्णत अस्थाई हैं और इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

4– उक्त पदो पर नियुक्ति संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुस आवश्यकतानुसार की जायेगी, परन्तु पदों पर नियुक्ति के लिए शासन की पूर्वानुमति अव प्राप्त की जायेगी बिना शासन की अनुमति के उक्त पदों पर की गयी नियुक्ति अनियमित माना जायेगा।

5– स्वीकृत कार्यो पर होने वाला व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बज मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन से समय–समय पर जा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

6– स्वीकृति की जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अव प्राप्त की जायेगी।

7– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय न क जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह अवश्य प्राप की ली जाय।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसा किया जायेगा। तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम–13 पर शासन क उपलब्ध कराया जायेगा।

9– उपकरणों आदि का क्रय डी0जी0एस0एन0डी0 की दरों अथवा टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

10– अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् ही चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक के पदों पर वाहन उपलब्ध होने की स्थिति में ही शासन की अनुमति से की जायेगी। लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद यथासम्भव प्रदेश के सरप्लस/छटनीशुदा कार्मिकों की ही नियुक्ति की जायेगी।

11– यदि मा0 उपाध्यक्ष के निजी स्टाफ हेतु कोई नि:संवर्गीय पद सृजित किया जाता है तो संवर्गीय पद पर नियुक्ति नि:संवर्गीय पद के उपलब्ध रहते हुए नहीं की जायेगी।

12– इस संबंध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–बीस सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1024 / वि0अनु0–3 / 2003 1 अगस्त, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
-यथोक्त।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

- 315(1) / 25–नि0अनु0 / 2003,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
निदेशक, राज्य योजना आयोग / नियोजन निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
निजी सचिव, उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम कियान्वयन समिति को मा0 उपाध्यक्ष के संज्ञानार्थ।
निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

%ABingrte103-04

उत्तराखण्ड ... संख्या निदेशालय,

(32)

संलग्नक-9 54

संख्या– 38/XXVI/2/2006

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग। देहरादून: दिनांक: 18 अप्रैल, 2006

विषय :– अर्थ एवं संख्या विभाग में कार्टोग्राफिक असिस्टेंट के पद धारकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से चीफ कार्टोग्रॉर के सवंर्गीय पद का सृजन।

महोदय,

अर्थ एवं संख्या विभाग में शासनादेश संख्या–106/नि0अनु0/3–2/नि0वि0/ढ़ाचाँ/2002 दिनांक 28–4–2003 द्वारा कार्टोग्राफिक असिंस्टेंट के 10 पद सृजित हैं। इनके पद धारकों को पदोन्नति का अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु अर्थ एवं संख्याधिकारी का एक निःसवंर्गीय पद वेतनमान रुपये 8000–13500 में सृजित किया गया है। नियमानुसार शासकीय नियमित कर्मचारी की निःसवंर्गीय पद पर पदोन्नति व्यवहारिक नहीं पाई गई। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में कार्टोग्राफिक असिस्टेंट के पदोन्नति हेतु चीफ कार्टोग्राफर के सवंर्गीय पद वेतनमान रुपये 8000–13500 में सृजित हैं। अतएव राज्यपाल महोदय अर्थ एवं संख्या विभाग में कार्टोग्राफिक असिस्टेंट के पदधारकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु शा0सं0–106/नि0अनु0/03–22/नि0वि0/ढ़ांचाँ/ 02 दिनांक 28–4–03 द्वारा सृजित अर्थ एवं संख्याधिकारी के निःसवंर्गीय पद को समाप्त करते हुए चीफ कार्टोग्राफर का एक अस्थाई सवंर्गीय पद वेतनमान रुपये 8000–13500 में दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक की अवधि के लिए, बशर्ते यह पद इससे पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– चीफ कार्टोग्राफर का उक्त पद कार्टोग्राफिक असिस्टेंट के पदधारको के सेवाकाल तक ही सृजित माना जायेगा। चूंकि कार्टोग्राफिक असिस्टेंट का पद मृत संवर्ग घोषित है। अतएव कार्टोग्राफिक असिस्टेंट का पद मृत संवर्ग घोषित है। अतएव कार्टोग्राफिक असिस्टेंट के पदधारक जैसे–जैसे सेवानिवृत होते जायेंगे चीफ कार्टोग्राफर का उक्त पद समाप्त हो जायेगा।

3– चीफ कार्टोग्राफर के पदधारकों का शासन द्वारा समय–समय पर अनुमन्य भत्ते एवं सुविधायें यथावत् अनुमन्य मानी जायेंगी।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्श 2006–07 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,
ह0/–
(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

प्रेषद

संख्या– 38 (1)/XXVI/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1– सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– विशेष कार्याधिकारी/निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (विभागीय मंत्री)
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8– अपर सचिव, गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
9– समस्त जिलाधिकारी/समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरांचल।
10– निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुड़की जनपद हरिद्वार को शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ एवं 200 अतिरिक्त प्रतियां अभिलेख सहित उपलब्ध कराने हेतु।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/–
(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

(34) संलग्नक-6

संख्या 226/XXVI/तीन(1)/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 28 अक्टूबर, 2009

विषयः– बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के कार्यक्रमों की स्थापना एवं पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–315/25–नि0अनु0/2003, दिनांक 11 सितम्बर, 2003 जिसके द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम की स्थापना एवं पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग हेतु सृजित निम्नलिखित पदों को तत्काल प्रभाव से अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढांचे में सम्मिलित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	पदनाम/वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
01	संयुक्त निदेशक 15600–39100 ग्रेड पे–7600	01	संयुक्त निदेशक संवर्ग में वृद्धि
02	शोध अधिकारी 15600–39100 ग्रेड पे–5400	02	अर्थ एवं संख्या विभाग के संरचनात्मक ढांचे के अर्थ एवं संख्याधिकारी संवर्ग में वृद्धि
03	निजी सचिव 9300–34800 ग्रेड पे–4200	01	–
04	सहायक शोध अधिकारी 9300–34800 ग्रेड पे–4200	04	अर्थ एवं संख्या निरीक्षक संवर्ग में वृद्धि
05	कनिष्ठ सहायक/डाटा इंट्री आपरेटर 5200–20200 ग्रेड पे–1900	04	अर्थ एवं संख्या विभाग के संरचनात्मक ढांचे में कनिष्ठ सहायक संवर्ग में वृद्धि
06	चालक 5200–20200 ग्रेड पे–1900	01	अर्थ एवं संख्या विभाग के संरचनात्मक ढांचे में चालक संवर्ग में वृद्धि
07	अनुसेवक 4440–7440 ग्रेड पे–1300	02	अर्थ एवं संख्या विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अनुसेवक संवर्ग में वृद्धि

2. इस आदेश के निर्गत होने के उपरांत बीस सूत्री कार्यक्रम की स्थापना एवं पदों के सृजन विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–315/25–नि0 अनु0/2003, दिनांक 11 सितम्बर, 2003 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

3. इस आदेश के निर्गत होने के उपरांत उपरोक्त पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति अर्थ एवं संख्या विभाग के संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी और उसी संवर्ग से बीस सूत्री कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विभाग हेतु उल्लिखित उपरोक्त पदों पर तैनाती सुनिश्चित की जायेगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–2113/XXVII(7)/2009, दिनांक 22, अक्टूबर 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या 226 (1)/XXVI/तीन(1)/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5– उप निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0 बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 124 / XXVI / दो(19) / 20(

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 21 अप्रैल, 2015

विषयः अर्थ एवं संख्या निदेशालय में संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) एवं उप निदेशक (कम्प्यूटर) के एक–एक अस्थाई पद (मृत संवर्ग) के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–111, दिनांक 05.09.2008 के द्वारा अर्थ एवं संख्या निदेशालय में प्रोग्रामर वेतनमान ₹ 8550–14600 एक अस्थाई पद इस आशय से सृजित किया गया था कि पद धारक की पदोन्नति/सेवानिवृत्ति के उपरांत ही स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

2– उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय में कम्प्यूटर संवर्ग (मृत संवर्ग) गठित करते हुए संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे 7600 एवं उप निदेशक (कम्प्यूटर) ₹ 15600–39100 ग्रेड पे 6600 के एक–एक अस्थाई पद शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28.02.2016 तक सृजन की, बशर्ते की इसके पूर्व इसे बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त पदों का सृजन मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–366(S/B)/2014 गौरी शंकर पाण्डेय बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2015 के अनुपालन में व्यक्ति विशेष हेतु किये जा रहे हैं। उक्त पद केवल उस अवधि तक ही रहेंगे जब तक उक्त व्यक्ति विशेष की पदोन्नति अथवा सेवानिवृत्ति न हो जाये। तदोपरांत उक्त सृजित पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। उक्त पदों हेतु अर्थ एवं सांख्यिकी राजपत्रित सेवा नियमावली, 2015 को शीघ्र ही प्रख्यापित कर दिया जायेगा।

4– उक्त संवर्ग की सेवानियमावली के अनुसार कम्प्यूटर प्रोग्रामर की पदोन्नति उप निदेशक (कम्प्यूटर) में होने पर प्रोग्रामर का पद एवं उप निदेशक (कम्प्यूटर) की पदोन्नति संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) के पद पर होने पर उप निदेशक (कम्प्यूटर) का पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। साथ पदधारक की सेवानिवृत्ति/पद त्याग पर यह संवर्ग समाप्त हो जायेगा।

5– उक्त पद के पदधारक को उक्त पद के वेतनमान के साथ–साथ समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी अनुमन्य होंगे।

E:\official\Planning\Planning G.O. 2011.doc - 241

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय में अनुदान सं0-7 के अधीन लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: 315/XXVI(7)/2015, दिनांक 17 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से किये जाने रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 रामस्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: /XXVI/दो(19)/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त विभाग (अनुभाग-7), उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

संलग्नक–10

37

संख्याः 67/XXVI/दो (20)/2004

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 29 अगस्त, 2019

विषयः– अर्थ एवं संख्या निदेशालय में अपर निदेशक के एक अतिरिक्त पद के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2474/स्था0/ढांचा/2008–III, दिनांक 13 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अर्थ एवं संख्या निदेशालय में कार्यों में व्यापक बढ़ोत्तरी, विशेषकर सतत् विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण एवं समन्वयन, सपोर्ट फॉर स्टैस्टिकल स्ट्रैन्थिंग प्रोजेक्ट के कियान्वयन, आर्थिक सर्वेक्षण, मानव विकास रिपोर्ट, जी0आई0एस0 आधारित अनुश्रवण व्यवस्था आदि के कार्यों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अर्थ एवं संख्या निदेशालय में अपर निदेशक वेतनमान 123100–215900 (लेवल–13) में एक अतिरिक्त अस्थायी पद दिनांक 29.02.2020 तक बशर्ते कि उक्त पद इससे पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, शासनादेश निर्गत करने की तिथि से सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त बिभाग के अशासकीय संख्या–434, दिनांक 26.08.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः– /XXVI/दो(20)/2004, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 नियोजन मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।

E:\Planning 2017\Planning\Planning G.O 2011 doc - 393

10. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या गढ़वाल / कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
11. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद हरिद्वार को इस गजट में प्रकाशनार्थ।
13. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

संख्या–20 /XXVI/दो (20)/2004 टी0सी–1

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

6033
23/2/17

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक: 23 फरवरी, 2017

विषयः अर्थ एवं संख्या विभाग के मिनीस्ट्रियल ढाँचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 2449/ढ़ांचा/(अ0एवंसं0)/2008, दिनांक 10.01.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो अर्थ एवं संख्या विभाग के मिनीस्ट्रियल ढ़ांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में है।

2– उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग के शासनादेश संख्याः 221/02–22/नि0वि0/ढ़ांचा/2002, दिनांक 10.10.2002, संख्याः 106/नि0अनु0/XXVI/नि0वि0/ढ़ांचा–02, दिनांक 28.04.2003 तथा संख्याः 39/XXVI/दो(20)/2004 दिनांक 05.09.2008 द्वारा सृजित मिनीस्ट्रियल संवर्ग के 63 पदों तथा नियोजन विभाग के शासनादेश संख्याः 226/XXVI/तीन(1)/2004, दिनांक 28.10.2009 द्वारा अर्थ एवं संख्या विभाग में सम्मिलित बीस सूत्री कार्यक्रम के कनिष्ठ सहायक के 04 पदों अर्थात कुल 67 पदों को कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः सं0–90/XXX(2)/2016–30(51), दिनांक 26.07.2016 में दी गई व्यवस्थानुसार श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

SAO 27/2/17

क सं	कुल सृजित पद	पद का नाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	वर्तमान स्टाफिंग पैटर्न में निर्धारित प्रतिशत	वर्तमान में स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न में निर्धारित प्रतिशत	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत पुर्नगठित पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	67	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	32 %	21	32 %	22
2		वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	28 %	19	28 %	19
3		प्रधान सहायक	9300–34800	4200	18 %	12	18 %	12
4		प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	10 %	07	08 %	05
5		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4800	10 %	07	08 %	05
6		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600–39100	5400	2 %	01	06 %	04
		योग				67		67

3- उक्तानुसार पुनर्गठित किए जा रहे पदों की संख्या एवं वेतनमान की व्यवस्था सेवा नियमावली में तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

4- शेष शर्तें एवं प्रतिबंध पूर्व निर्गत शासनादेशों के अनुसार ही रहेंगी।

भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।

पृ0संख्या- 20 /XXVI/दो (20)/2004 टी0सी0-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
3- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4- वित्त (वे0आ0-सा0वि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एस0 शाही)
उप सचिव।

संलग्नक - 14 -

ई–मेल / समयबद्ध
संख्या:– 154684ई /2023

प्रेषक,

डॉ० अहमद इकबाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून: दिनांक 18 सितम्बर, 2023।

विषय– राष्ट्रीय बचत निदेशालय को समाप्त करते हुए, विभाग के कार्मिकों का समायोजन करने तथा विभाग द्वारा सम्प्रति किये जा रहे कार्यों को जिलाधिकारी कार्यालय को हस्तांतरित करने एवं राज्य स्तर पर समन्वय हेतु निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को दायित्व प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया, अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 146607/XXVII (6)/ई 33668/2023, दिनांक 16 अगस्त, 2023 एवं सपठित शासनादेश संख्या–147573/XXVII (6)/ई– 33668/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा राष्ट्रीय बचत निदेशालय को समाप्त करते हुए मानव संसाधन के प्रबंधन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गये हैं।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के माध्यम से शासन द्वारा की गयी अपेक्षा यथा– कार्मिकों का समायोजन, चल–अचल सम्पत्तियों हस्तान्तण, विभागीय देनदारियों का भुगतान, अवशेष बजट का समर्पण आदि के सम्बन्ध में आपके स्तर से की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में सूचना एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 15-09-2023 22:32:41
(डॉ० अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

JD(F&AI)

Sri Dhyani (CAO)

संख्या-117/XXVI/सं(16)/2022

संलग्नक-7

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक/विभागाध्यक्ष
अर्थ एवं संख्या/बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

25/07/2024

नियोजन अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 25 जुलाई, 2024

विषयः- बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग में सृजित 15 अस्थाई पदों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-238, दिनांक 08.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- नियोजन विभाग के शासनादेश सख्याः 315/25-नि0अनु0/2003 दिनांक 11 सितम्बर, 2003 के द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग हेतु निम्नानुसार पद स्वीकृत किये गये हैं:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	संयुक्त निदेशक	01	15600-39100 ग्रेडपे-7600 पुनरीक्षित वेतनमान- 78800-209200 (Level-12)
2	शोध अधिकारी	02	15600-39100 ग्रेडपे-5400 पुनरीक्षित वेतनमान-56100-177500 (Level-10)
3	निजी सचिव (मा0उपाध्यक्ष के निजी स्टाफ हेतु)	01	9300-34800 ग्रेडपे-4200 पुनरीक्षित वेतनमान-35400-112400 (Level-6)
4	सहायक शोध अधिकारी	04	9300-34800 ग्रेडपे-4200 पुनरीक्षित वेतनमान-35400-112400 (Level-6)
5	कनिष्ठ सहायक	04	5200-20200 ग्रेडपे-1900 पुनरीक्षित वेतनमान-21700-69100 (Level-3)
6	चालक	01	5200-20200 ग्रेडपे-1900 पुनरीक्षित वेतनमान-21700-69100 (Level-3)
7	अनुसेवक	02	4440-7440 ग्रेडपे-1300 पुनरीक्षित वेतनमान-18000-56900 (Level-1)

3– उल्लेखनीय है कि बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग में सृजित 15 अस्थाई पदों की वर्ष 2003–04 से दिनांक 29.02.2024 तक की निरन्तरता बढ़ाये जाने की स्वीकृति समय समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा प्रदान की गई है।

4– इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोंपरान्त लिऐ गये निर्णय के अनुसार अर्थ एवं संख्या विभाग के अन्तर्गत बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मे सृजित 15 अस्थाई पदों को स्थायी किये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश सं0–118(1)/XXVII(7)/2006, दिनांक 31.08.2006 में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैं।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सवेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यकी–112–आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी–04–बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. - निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. - समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. - आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. - समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. - निदेशक/विभागाध्यक्ष अर्थ एवं संख्या/बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
10. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

निदेशालय में उपस्थित समस्त अधिकारियों एंव कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की सूची

क्र0सं0	नाम(श्री/सुश्री)	पदनाम	कुल संख्या
1	सुशील कुमार	निदेशक	1
2	पंकज नैथानी	अपर निदेशक	2
3	डॉ0 मनोज कुमार पन्त	अपर निदेशक	2
4	गौरी शंकर पाण्डेय	संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर)	1
5	राजेन्द्र तिवारी	संयुक्त निदेशक	1
6	चित्रा	संयुक्त निदेशक	2
7	गीतांजली शर्मा	संयुक्त निदेशक	1
8	दिनेश चन्द बडोनी	संयुक्त निदेशक	1
9	तिलोक सिंह अन्ना	संयुक्त निदेशक	1
10	अमित पुनेठा	उप निदेशक	1
11	डा0 इला पन्त बिष्ट	उप निदेशक	1
12	मनीष राणा	उप निदेशक	1
13	रश्मि हलधर	उप निदेशक	1
14	निर्मल कुमार शाह	उप निदेशक	1
15	जीवन चन्द्र चन्दोला	चीफ कार्टोग्राफर	2
16	ललित चन्द्र आर्य	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
17	ललित मोहन	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
18	ज्योति जोशी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
19	राजेश कुमार	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
20	आनन्द सिंह जंगपांगी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
21	डी0एन0 गोस्वामी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
22	संजय शर्मा	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
23	शशिकान्त गिरी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
24	नफील जीमल	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
25	महेश चन्द्र कपिल	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
26	गोपाल गुप्ता	अर्थ एवं संख्याधिकारी	2
27	अतुल आनन्द	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
28	श्वेतांक प्रताप सिंह	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
29	सुरेश कुमार गोयल	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1
30	अशोक कुमार	अपर सां0 अधि0	1
31	राजेन्द्र सिंह	अपर सां0 अधि0	1
32	सन्दीप पाण्डेय	अपर सां0 अधि0	1
33	आलोक कुमार	अपर सां0 अधि0	1
34	सीमा घिवान	अपर सां0 अधि0	1

35	रितेश कुमार	अपर सां0 अधि0	2
36	योगेन्द्र सिंह रौथाण	अपर सां0 अधि0	1
37	ऋतेश शर्मा	अपर सां0 अधि0	1
38	शालिनी राठौर	अपर सां0 अधि0	1
39	बृजेश कुमार	अपर सां0 अधि0	1
40	गायत्री देवी	अपर सां0 अधि0	1
41	अरविन्द कुमार	अपर सां0 अधि0	1
42	मनोज कुमार	अपर सां0 अधि0	1
43	सी0एल0ध्यानी	मुख्य प्रशा0 अधि0	2
44	बी0सी0काण्डपाल	मुख्य प्रशा0 अधि0	1
45	भावना बिष्ट	मुख्य प्रशा0 अधि0	1
46	जगदीश चन्द्र	मुख्य प्रशा0 अधि0	2
47	दीपक काण्डपाल	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0	1
48	बिनीता कोहली	प्रशासनिक अधिकारी	1
49	आलोक मैठाणी	प्रशासनिक अधिकारी	1
50	बीर सिंह नेगी	प्रशासनिक अधिकारी	1
51	सुलोचना रतूड़ी	वैयक्तिक अधिकारी	1
52	दीप्ती डडवाल	प्रधान सहा0	1
53	राहुल कुमार	वरिष्ठ सहा0	2
54	सुरेन्द्र पोखरियाल	वरिष्ठ सहा0	2
55	भूपदेव प्रसाद	कनिष्ठ सहा0	1
56	अनुप कुनियाल	कनिष्ठ सहा0	1
57	दीपक कुमार	कनिष्ठ सहा0	1
58	कविता रतूड़ी	कनिष्ठ सहा0	1
59	भूपेन्द्र सिंह रावत	कनिष्ठ सहा0	1

22/08/24
(दीप्ती डडवाल)
प्र0स0

निदेशालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एंव कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 पासबुक की सूची

क0सं0	नाम(श्री / सुश्री)	पदनाम	जी0पी0एफ0 लेखा सं0	कुल संख्या
1	सुशील कुमार	निदेशक	GAU/72649	2
2	पंकज नैथानी	अपर निदेशक	GAU/74402	1
3	डॉ0 मनोज कुमार पन्त	अपर निदेशक	GAU/73393	2
4	गौरी शंकर पाण्डेय	संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर)	GAU/79300	2
5	चित्रा	संयुक्त निदेशक	GAUA/84240	1
6	जीवन चन्द्र चन्दोला	चीफ कार्टोग्राफर	GAU/72341	2
7	निर्मल कुमार शाह	उप निदेशक	CPU/57468	1
8	डी0एन0 गोस्वामी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/50680	1
10	ज्योति पंत	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/76225	1
11	संजय शर्मा	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/82686	1
12	ललित मोहन जोशी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/48724	1
13	राजेश कुमार	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAUA/48560	1
14	अतुल आनन्द	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/83143	2
15	गोपाल गुप्ता	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/58943	1
16	मोनिका श्रीवास्तव	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/81681	1
17	राजेन्द्र सिंह	अपर सां0 अधि0	CPU/58009	1
18	अशोक कुमार	अपर सां0 अधि0	CPU/57582	1
19	सी0एल0ध्यानी	मुख्य प्रशा0 अधि0	GAU/68182	1
20	बी0सी0काण्डपाल	मुख्य प्रशा0 अधि0	GAU/68109	2
21	भावना बिष्ट	मुख्य प्रशा0 अधि0	GAU/75737	2
24	जगदीश चन्द्र	मुख्य प्रशा0 अधि0	GAU/79564	2
25	दीपक चन्द्र काण्डपाल	वरिष्ठ प्रशा0 अधि0	GAU/80165	1
27	बिनीता	प्रशासनिक अधि0	GAU/81148	1
28	आलोक मैठाणी	प्रशासनिक अधि0	GAU/81149	1
29	बीर सिंह नेगी	प्रशासनिक अधि0	GAU/80427	1
30	राहुल कुमार रवि	वरिष्ठ सहायक	GAUA/84281	2

22/04/24
(दीपा डंगवाल)
प्र0स0

निदेशालय में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित पासबुक की सूची

क0 सं0	नाम श्री/सुश्री	पदनाम	खाता/PRAN संख्या	कर्मचारी वेतन कोड
1	दिनेश चन्द्र बडोनी	संयुक्त निदेशक	110000973382	41002111561
2	टी0एस0 अन्ना	संयुक्त निदेशक	111000967204	10093244
3	रश्मि हलधर	उप निदेशक	111002097338	10093251
4	अमित पुनेठा	उप निदेशक	110080967	37009741081
5	मनीष राणा	उप निदेशक	111001225928	400014835
6	डा0 इला पन्त बिष्ट	उप निदेशक	110040967207	70013567
7	सन्दीप पाण्डेय	अपर सां0 अधिकारी	110012400963	60010091
8	आलोक कुमार	अपर सां0 अधिकारी	111002400964	420027785
9	रितेश कुमार	अपर सां0 अधिकारी	110060376150	41009015
10	सीमा धिवान	अपर सां0 अधिकारी	110090979961	420027305
11	शालिनी राठौर	अपर सां0 अधिकारी	1100633434206	750019913
12	योगेन्द्र सिंह रौथाण	अपर सां0 अधिकारी	110070978682	40010105
13	ऋतेश शर्मा	अपर सां0 अधिकारी	110001157508	90007848
14	गायत्री देवी	अपर सां0 अधिकारी	110062263012	10099635
15	ब्रिजेश कुमार	अपर सां0 अधिकारी	110030975624	410025057
16	सुन्दर सिंह तोमर	अपर सां0 अधिकारी	110030985361	400015498
17	सुरेश नौटियाल	अपर सां0 अधिकारी	110050978117	410025107
18	धीरेन्द्र प्रताप सिंह	अपर सां0 अधिकारी	110070985518	400015516
19	अरविन्द कुमार	अपर सां0 अधिकारी	UKS/CPSN-0027428	410027001
20	मनोज कुमार	अपर सां0 अधिकारी	110090979717	88008527
21	सुलोचना	वैयक्तिक अधिकारी	110003797	29340313F00006
22	दीप्ती डडवाल	प्रधान सहायक	110040985075	10097303
23	सुरेन्द्र पोखरियाल	वरिष्ठ सहायक	110020968388	10088809

22/08/24
(दीप्ती डडवाल)
पु०स०

(49)

संख्याः 114 /XXVI/दो (21)/2022

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 13 अप्रैल, 2023

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–11/3–ले0/01–बजट/2023–24, दिनांक 03.04.2023 एवं वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/ XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजस्व व्यय के अनुदान सं0–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 112–आर्थिक सलाह और सांख्यिकी, 03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान, लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 800–अन्य व्यय, 03–एन0आई0सी0 स्टेट यूनिट को अनुदान, लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 800–अन्य व्यय, 05–जी0आई0एस0 प्रकोष्ठ एवं जिओ पोर्टल की स्थापना, लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 112–आर्थिक सलाह और सांख्यिकी, 05–राज्य एकीकृत सांख्यिकी प्रणाली तथा लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 112–आर्थिक सलाह और सांख्यिकी, 06–सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्य के अधीन संलग्न विवरणानुसार धनराशि *₹ 260965000 + 500000 + 8256000 + 10000000 + 2000000 = ₹ 281721000/– (₹ अट्ठाईस करोड़ सत्रह लाख ईक्कीस हजार मात्र)* की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश संख्या–111469, दिनांक 31.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार ही किया जायेगा एवं उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित

Generated from eOffice by MALTI LOHANI, SO-PLANNING 2-ML, SECTION OFFICER-PLANNING-SEC-2, Planning Department on 13/04/2023 05:16 PM

I/114576/2023

50

किया जायेगा।

3. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अंतर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय किया जाय और न ही पुनिर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवशय प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से स्तर से प्राप्त की जाय।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 (यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. एन0आई0सी0 द्वारा आहरित धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों हेतु किया जायेगा, जो कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृत हों तथा उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु स्वीकृति धनराशि व्यय नहीं की जायेगी ।
7. संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण नियमित रूप से प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक बी0एम0–8 (पुराना बी0एम0–13) पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
8. उक्त व्यय संलग्नक में अंकित तालिकानुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के अनुदान सं0–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454 के सुसंगत उपलेखाशीर्षकों के अधीन डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

3. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 तथा तदकम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन दिये गये निर्देशों के कम में सॉफ्टवेयर से किये गये बजट आवंटन संबंधी आंवटन 'प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 13-04-2023 17:02:09
(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

Generated from eOffice by MALTI LOHANI, SO-PLANNING 2-ML, SECTION OFFICER-PLANNING-SEC-2, Planning Department on 13/04/2023 05:16 PM

51

पु0सं0– /XXVI/दो (21)/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. - निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. - मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. - वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5. - वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6. - निदेशक, समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Prem Prakash Arya
(प्रेम प्रकाश, आर्य)
Date: 13-04-2023 17:08:29
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– /XXVI/दो (21)/2022, दिनांक का संलग्नक।

तालिका–01

राजस्व व्यय (धनराशि हजार ₹में)

शीर्षक	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	
	मतदेय	भारित
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 112–आर्थिक सलाह और सांख्यिकी 03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान		
01–वेतन	127400	127400
02–मजदूरी	280	280
03–मंहगाई भत्ता	61200	61200
04–यात्रा व्यय	2475	2475
06–अन्य भत्ते	15300	15300
07–मानदेय	60	60
08–पारिश्रमिक	28750	28750
09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	100	100
10–प्रशिक्षण व्यय	1000	1000
11–अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	100	100
20–लेखन सामग्री और छपाई	1500	1500
21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2000	2000
22–कार्यालय व्यय	2000	2000

Generated from eOffice by MALTI LOHANI, SO-PLANNING 2-ML, SECTION OFFICER-PLANNING-SEC-2, Planning Department on 13/04/2023 05:16 PM

I/114576/2023

52

23–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	2500	2500
24–विज्ञापन, बिकी, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	1500	1500
25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	1500	1500
26–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर व अनुरक्षण	1200	1200
27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4500	4500
28–कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	-	–
29–गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	7000	7000
40–मशीन उपकरण, सज्जा एवं संयत्र	300	300
42–अन्य विभागीय व्यय	300	300
योग:–	260965	260965

(₹ छब्बीस करोड़ नौ लाख पैंसठ हजार मात्र)

तालिका–02

एन0आई0सी0 स्टेट यूनिट को अनुदान

राजस्व व्यय (धनराशि हजार ₹ में)

शीर्षक	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	
	मतदेय	भारित
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 800–अन्य व्यय 03–एन0आई0सी0 स्टेट यूनिट को अनुदान		
56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	500	–
योग:–	500	–

(₹ पांच लाख मात्र)

तालिका–03

राजस्व व्यय (धनराशि हजार ₹में)

शीर्षक	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	
	मतदेय	भारित
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 800–अन्य व्यय 05–जी0आई0एस0 प्रकोष्ठ एवं जियो पोर्टल की स्थापना		
02–मजदूरी	1	–
08–पारिश्रमिक	8250	
10–प्रशिक्षण व्यय	1	–

Generated from eOffice by MALTI LOHANI, SO-PLANNING 2-ML, SECTION OFFICER-PLANNING-SEC-2, Planning Department on 13/04/2023 05:17 PM

53

20–लेखन सामग्री एवं छपाई	1	–
21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1	–
22–कार्यालय व्यय	1	–
26–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर व अनुरक्षण	1	–
योगः–	8256	–

(₹ बयासी लाख छप्पन हजार मात्र)

तालिका–04

राज्य एकीकृत सांख्यिकी प्रणाली

राजस्व व्यय (धनराशि हजार ₹ में)

शीर्षक	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	
	मतदेय	भारित
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 112–आर्थिक सलाह और सांख्यिकीय 05–राज्य एकीकृत सांख्यिकी प्रणाली		
27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10000	–
योगः–	**10000**	–

(₹ एक करोड़ मात्र)

तालिका–05

सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्य

राजस्व व्यय (धनराशि हजार ₹ में)

शीर्षक	आय–व्ययक अनुमान 2023–24	
	मतदेय	भारित
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 112–आर्थिक सलाह और सांख्यिकीय 06–सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्य		
27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2000	–
योगः–	**2000**	–

(₹ बीस लाख मात्र)

(प्रेम प्रकाश आर्य)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MALTI LOHANI, SO-PLANNING 2-ML, SECTION OFFICER-PLANNING-SEC-2, Planning Department on 13/04/2023 05:17 PM

(54)

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Planning(S036)

HOD-Director Economic (2934)

आवंटन पत्र संख्या - xxvi/Two(21)2022
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S23040070120
आवंटन पत्र दिनांक-13-APR-2023

लेखा शीर्षक	3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
	112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी	03-अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान 34540200103 से स्थानान्तरित
	00--	Voted

3	4	5	4	0	2	1	1	2	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
01-वेतन	0	127400000	0	127400000
02-मजदूरी	0	280000	0	280000
03-महंगाई भत्ता	0	61200000	0	61200000
04-यात्रा व्यय	0	2475000	0	2475000
06-अन्य भत्ते	0	15300000	0	15300000
07-मानदेय	0	60000	0	60000
08-पारिश्रमिक	0	28750000	0	28750000
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	100000	0	100000
10-प्रशिक्षण व्यय	0	1000000	0	1000000
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	0	100000	0	100000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	1500000	0	1500000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	2000000	0	2000000
22-कार्यालय व्यय	0	2000000	0	2000000
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	2500000	0	2500000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	1500000	0	1500000
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	0	1500000	0	1500000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	1200000	0	1200000
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	4500000	0	4500000
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	7000000	0	7000000
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	0	300000	0	300000
42-अन्य विभागीय व्यय	0	300000	0	300000
योग	0	260965000	0	260965000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.26,09,65,000 (Rupees Twenty Six Crores Nine Lacs Sixty Five Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(54)

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Planning(S036)

HOD-Director Economic (2934)

आवंटन पत्र संख्या -xxvi/two(21)/2022
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S23040070121
आवंटन पत्र दिनांक-13-APR-2023

लेखा शीर्षक

3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
800-अन्य व्यय
00-एनआईसी स्टेट यूनीट को अनुदान

02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
03-एनआईसी स्टेट यूनीट को अनुदान
Voted

3	4	5	4	0	2	8	0	0	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	500000	0	500000
योग	0	500000	0	500000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.5,00,000 (Rupees Five Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(56)

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Planning(S036)

HOD-Director Economic (2934)

आवंटन पत्र संख्या -XXVI/two(21)2022
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S23040070122
आवंटन पत्र दिनांक-13-APR-2023

लेखा शीर्षक	3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
	800-अन्य व्यय	05-जी0आई0एस0 प्रकोष्ठ एवं जिओं पोर्टल की स्थापना
	00---	Voted

3	4	5	4	0	2	8	0	0	0	5	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
02-मजदूरी	0	1000	0	1000
08-पारिश्रमिक	0	8250000	0	8250000
10-प्रशिक्षण व्यय	0	1000	0	1000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	1000	0	1000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	1000	0	1000
22-कार्यालय व्यय	0	1000	0	1000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	1000	0	1000
योग	0	8256000	0	8256000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.82,56,000 (Rupees Eighty Two Lacs Fifty Six Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(57)

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Planning(S036)

HOD-Director Economic (2934)

आवंटन पत्र संख्या -XXVI/Two(21)/2022
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S23040070124
आवंटन पत्र दिनांक-13-APR-2023

लेखा शीर्षक	3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी 00--	02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 06-सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्य Voted

3	4	5	4	0	2	1	1	2	0	6	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	2000000	0	2000000
योग	0	2000000	0	2000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,00,000 (Rupees Twenty Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

58

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Planning(S036)

HOD-Director Economic (2934)

आवंटन पत्र संख्या -XXVI/Two(21)/2022
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S23040070123
आवंटन पत्र दिनांक-13-APR-2023

लेखा शीर्षक	3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
	112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी	05-राज्य एकीकृत सांख्यिकी प्रणाली
	00--	Voted

3	4	5	4	0	2	1	1	2	0	5	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	10000000	0	10000000
योग	0	10000000	0	10000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,00,00,000 (Rupees One Crore Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

59

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2024]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी

02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

03-अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान

34540200103 से स्थानान्तरित

00--

3 4 5 4 0 2 1 1 2 0 3 0 0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
01-वेतन	12,37,16,627	12,37,16,627	41,79,713	12,37,16,627	100%	-	
02-मजदूरी	2,48,200	2,48,200	62,500	2,48,200	100%	-	
03-महंगाई भत्ता	5,56,94,865	5,56,94,865	19,42,523	5,56,94,865	100%	-	
04-यात्रा व्यय	16,71,540	16,71,540	4,51,529	16,71,540	100%	-	
06-अन्य भत्ते	1,00,04,248	1,00,04,248	3,46,721	1,00,04,248	100%	-	
07-मानदेय	47,250	47,250	47,250	47,250	100%	-	
08-पारिश्रमिक	2,17,63,064	2,17,63,064	25,67,899	2,17,63,064	100%	-	
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,62,254	1,62,254	-	1,62,254	100%	-	
10-प्रशिक्षण व्यय	3,35,100	3,35,100	66,752	3,35,100	100%	-	
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	10,81,913	10,81,913	5,23,358	10,81,913	100%	-	

21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8,17,593	8,17,593	7,19,367	8,17,593	100%	-	
22-कार्यालय व्यय	19,07,827	19,07,827	7,50,896	19,07,827	100%	-	
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	20,12,730	20,12,730	1,52,194	20,12,730	100%	-	
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	14,77,389	14,77,389	5,12,274	14,77,389	100%	-	
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	11,86,082	11,86,082	2,05,768	11,86,082	100%	-	
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	14,99,730	14,99,730	7,15,062	14,99,730	100%	-	
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	31,59,100	31,59,100	1,11,441	31,59,100	100%	-	
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	83,54,617	83,54,617	20,22,629	83,54,617	100%	-	
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	24,367	24,367	-	24,367	100%	-	
42-अन्य विभागीय	1,59,886	1,59,886	1,05,390	1,59,886	100%	-	

61

व्यय							
51-अनुरक्षण	-	-	-	-	0%	-	
कुल योग	**23,54,04,382**	**23,54,04,382**	**1,55,63,266**	**23,54,04,382**		-	

(62)

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2024]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
800-अन्य व्यय
03-एनआईसी स्टेट यूनीट को अनुदान
00-एनआईसी स्टेट यूनीट को अनुदान

3	4	5	4	0	2	8	0	0	0	3	0	0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	4,56,281	4,56,281	2,56,586	4,56,281	100%	-	
कुल योग	**4,56,281**	**4,56,281**	**2,56,586**	**4,56,281**		-	

(61)

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2024]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी — 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

800-अन्य व्यय — 05-जी0आई0एस0 प्रकोष्ठ एवं जिओं पोर्टल की स्थापना

00---

3	4	5	4	0	2	8	0	0	0	5	0	0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
02-मजदूरी	-	-	-	-	0%	-	
08-पारिश्रमिक	72,23,457	72,23,457	7,29,440	72,23,457	100%	-	
10-प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	0%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	-	-	-	-	0%	-	
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	-	-	-	-	0%	-	
22-कार्यालय व्यय	-	-	-	-	0%	-	
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	-	-	-	-	0%	-	
कुल योग	**72,23,457**	**72,23,457**	**7,29,440**	**72,23,457**		-	

64

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2024]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी 06-सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्य

00--

3	4	5	4	0	2	1	1	2	0	6	0	0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,36,713	10,36,713	8,88,201	10,36,713	100%	-	
कुल योग	**10,36,713**	**10,36,713**	**8,88,201**	**10,36,713**		-	

65

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2024]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी

02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
04-बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान 345402001004 से स्थानान्तरित

00--

3	4	5	4	0	2	1	1	2	0	4	0	0

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
01-वेतन	29,13,314	29,13,314	34,267	29,13,314	100%	-	
02-मजदूरी	65,825	65,825	5,675	65,825	100%	-	
03-महंगाई भत्ता	13,10,654	13,10,654	16,472	13,10,654	100%	-	
04-यात्रा व्यय	43,048	43,048	-	43,048	100%	-	
06-अन्य भत्ते	2,16,970	2,16,970	-	2,16,970	100%	-	
07-मानदेय	3,16,383	3,16,383	64,250	3,16,383	100%	-	
08-पारिश्रमिक	14,41,988	14,41,988	3,24,859	14,41,988	100%	-	
10-प्रशिक्षण व्यय	94,233	94,233	94,233	94,233	100%	-	
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	1,99,950	1,99,950	1,99,950	1,99,950	100%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	89,657	89,657	500	89,657	100%	-	
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	68,430	68,430	68,430	68,430	100%	-	

(66)

22-कार्यालय व्यय	49,618	49,618	3,000	49,618	100%	-	
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	4,31,273	4,31,273	1,17,620	4,31,273	100%	-	
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	35,144	35,144	35,144	35,144	100%	-	
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	57,311	57,311	-	57,311	100%	-	
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	1,85,945	1,85,945	1,68,601	1,85,945	100%	-	
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	56,060	56,060	-	56,060	100%	-	
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईधन आदि की खरीद	8,03,256	8,03,256	1,87,707	8,03,256	100%	-	
30-आतिथ्य व्यय	6,684	6,684	-	6,684	100%	-	
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	84,750	84,750	84,750	84,750	100%	-	
42-अन्य विभागीय व्यय	-	-	-	-	0%	-	
51-अनुरक्षण	-	-	-	-	0%	-	
कुल योग	**84,70,493**	**84,70,493**	**14,05,458**	**84,70,493**		-	

(67)

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2024]

(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-007 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

लेखा शीर्षक 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
112-आर्थिक सलाह और सांख्यिकी
01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
01-भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना का कार्यान्वयन एवं प्रबन्धन (100%के0स0)
3454020010101 से स्थानान्तरित

3	4	5	4	0	2	1	1	2	0	1	0	1

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
42-अन्य विभागीय व्यय	14,69,000	14,69,000	-	14,69,000	100%	-	
कुल योग	**14,69,000**	**14,69,000**	**-**	**14,69,000**		**-**	

अर्थ एवं संख्या निदेशालय (अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान) का व्यय विवरण
वर्ष 2023–24 माह:–31 मार्च, 2024 तक के बजट की स्थिति

क्र0सं0	मद	अनुमोदित परिव्यय	शासन से प्राप्त	अवमुक्त धनराशि	31 मार्च, 2024 तक व्यय	शासन से प्राप्त के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्व व्यय						
1-	अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान	261028.00	261028.00	235404.38	235404.38	**90.18**	–
2-	एन0आई0सी0	500.00	500.00	500.00	456.28	**91.26**	–
3-	जी0आई0एस0	8256.00	8256.00	7478.61	7223.46	**87.49**	
4-	राज्य एकीकृत सांख्यिकी प्रणाली	10000.00	10000.00	0.00	0.00	**0.00**	
5-	सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्य	2000.00	2000.00	2000.00	1036.71	**51.84**	
6-	20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	19181.00	19181.00	19181.00	8470.49	**44.16**	
7-	भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (100 प्रतिशत के0स0)	1469.00	1469.00	1469.00	1469.00	**100.00**	
	योग:–	**302434.00**	**302434.00**	**266032.99**	**254060.32**	**84.01**	

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख(I)

भाग–2

मैनुअल संख्या–5

अर्थ एवं संख्या विभाग
उत्तराखण्ड–देहरादून।

(69)

File No.: I-12012/1/2024/State-Unit

भारत सरकार / Government of India

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय / Ministry of Statistics and Programme Implementation

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय / National Statistical Office

राज्यइकाई / State Unit

***

खुर्शीदलाल भवन / Khurshid Lal Bhawan,

जनपथ, नई दिल्ली -110001 / Janpath, New Delhi – 110001.

दिनांक:सितम्बर, 2024/ Dated:29 October, 2024.

To,

The Director

Directorate of Economics and Statistics

Sub.: Revision of operational guidelines of the existing Support for Statistical Strengthening (SSS) sub-scheme– reg.

Sir/Madam,

As you are aware Support for Statistical Strengthening (SSS) is an ongoing central sector sub – scheme of MoSPI under which financial support is provided to the States / UTs for undertaking statistical activities.

2. Based on feedback from the State/UTs and the experience so far, the guidelines of the Scheme have been revised to facilitate optimum fund availability and utilization by all States / UTs. The major revisions are:

- Implemented States/UTs will be allowed to seek further funds (upto 50% of their original allocation) and Goa & Chandigarh (which had not signed letter of participation) can also seek funds.
- Mode of implementation changed from MoU to project based approvals and the Project proposal can be under **any or all** of the 9 components of the sub –Scheme
- States / UTs have the flexibility to undertake intercomponent reallocation and mid – course corrections.
- Deputy Director General (or the officer in-charge) of the State Capital Regional Office of FOD of MoSPI may be kept as a member of the State High Level Steering Committee.

3. With the approval of Hon'ble Minister of State (I/C), MoSPI, the revised operational guidelines are issued herewith for information and necessary action.

Yours sincerely,

Soumya

(Soumya P Kumar)

Deputy Director General

Copy to:

1. PS to Hon'ble MOS(IC) for MoSPI
2. The Chief Secretaries of State Governments/Administrators of UT Administration
3. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Planning and Statistics)
4. AS & FA, MoSPI
5. DDG(PFC-II),D/o Expenditure, M/o Finance
6. Director(IFD), MoSPI
7. The Head of State Capital Regional Office (SCRO)
8. Joint Director, Web Unit (DIID) for uploading the revised guidelines on the website of MoSPI.

सत्यमेव जयते

SUPPORT FOR STATISTICAL STRENGTHENING

REVISED OPERATIONAL GUIDELINES

[2024]

Data for Development

National Statistical Office
Ministry of Statistics and Programme Implementation
Government of India

69(I)

INDEX

Contents

1. The Scheme and its objective .... - 2 -
2. Components under the Scheme .... - 3 -
3. Implementation Mechanism .... - 4 -
4. Approval process .... - 4 -
5. Implementing Authority .... - 4 -
6. Coverage and State / UT – wise Allocations: .... - 5 -
7. State High Level Steering Committee .... - 6 -
8. State Implementation Committee .... - 6 -
9. Central High-Level Steering Committee .... - 7 -
10. Central Project Monitoring Committee .... - 8 -
11. Flexibility in component–wise reallocation and mid-course correction .... - 9 -
12. Fund Flow Procedure and Release of funds .... - 9 -
13. Monitoring Mechanism .... - 9 -
14. Period of implementation .... - 10 -
15. Completion of the Project .... - 10 -
16. Ownership of Assets (wherever applicable) .... - 10 -
17. Outcomes .... - 10 -
18. Documentation .... - 10 -
19. Dissemination through web .... - 11-

Annexure 1: Background of SSS sub – scheme

Annexure 2: Template of State / UT Programme/ Proposal

Annexure 3: Fund Flow Guidelines of DoE

Annexure 4: Undertaking for Remittance of Interest

Annexure 5: Template of Financial and Physical Progress Report

1. The Scheme and its objective:

1.1 The 'Support for Statistical Strengthening' (SSS) is an on-going central sector sub-scheme of M/o Statistics & Programme Implementation (MoSPI), which aims to improve / strengthen the statistical capacity and operations of state statistical system for collecting, compiling and disseminating reliable official statistics. The sub-scheme is implemented through the State Directorates / Bureaus of Economics & Statistics (DESs), as per the approved activities/targets/outputs.

1.2 The objective of the SSS sub-scheme is to assist state/UTs in fulfilling Centre's statistical requirement as well as support the State to fulfill its own requirement. Bringing in uniformity in the statistical systems of States / UTs is imperative to have comparable data. The project aims to strengthen state's participation in the rounds of NSS and help them tabulate & generate results and augment the level of collection, undertake compilation and dissemination of timely and reliable official statistics like GSDP, State / UT level CPI, IIP, etc. and to strengthen compilation and monitoring of SDG indicators.

1.3 The SSS scheme was approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in March, 2010 as the "India Statistical Strengthening Project", then a Centrally Sponsored Scheme for improving the statistical capacity and operations of state statistical system. The project was later renamed as "Support for Statistical Strengthening" (SSS). Later, SSS Scheme was made a Central Sector Sub-Scheme with 100% funding from the Centre under the Umbrella Scheme 'Capacity Development' of the Ministry. Background of the scheme is placed at **Annexure 1**.

1.4 The Centre also aims to create an enabling environment in States for online collection, compilation of survey data and tabulation of results of NSS, ASI and other surveys, as these surveys are going to be based on extensive IT platform.

1.5 It is also envisaged that the project would help both in improving compilation of national level socio economic statistics and indicators based thereon and also in improving the execution of State level planning and policy formulation tasks. Twenty key statistical activities had been identified for being taken up in the Scheme. A list of the key activities is given in the Box below.

Key Statistical Activities

Sl. No.	Core Statistical Activity
1	Estimation of State Domestic Product
2	Estimation of Capital Formation and Savings
3	Estimation of District Domestic Product
4	Estimation of the Contribution of Local Bodies
5	Compilation of Data on Major Fiscal Variables

6	Participation in conduct of the Annual Survey of Industries
7	Compilation of Index of Industrial Production
8	Estimation of Crop Area and Production Statistics
9	Compilation of Wholesale Price Index numbers
10	Compilation of Consumer Price Index numbers
11	Collection and compilation of Health, Morbidity, Mortality & Family Welfare Statistics
12	Collection and compilation of Education & Literacy Statistics
13 (a)	Labour Statistics
13 (b)	Employment Statistics
14	Collection and compilation of Housing Statistics
15	Birth and Death Registration Statistics and Population
16	Compilation of Electricity Production & Distribution Statistics
17(a)	Forestry Statistics
17(b)	Water Supply and Sanitation Statistics
18	Participation in rounds of NSS including the Periodic Labour Force Survey (PLFS), Annual Survey of Services Sector Enterprises (ASSSE), Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE), Time Use Survey (TUS);
19(a)	Motor Vehicle Registration Statistics
19(b)	Road Statistics
19(c)	Traffic Accident Statistics
19(d)	Passenger Traffic Statistics
20	Collection and compilation of Statistics for Local Area Planning including Strengthening Monitoring Framework for Sustainable Development Goals (SDGs)

2. Components under the Scheme

For strengthening and improving the capacity and operations of the state statistical systems the interventions basically fall under nine major components:

1. Statistical Applications and enabling IT support including Hardware and software (upto 30% of total allocation of State / UT)
2. Preparation of State Strategic Statistical Plan (SSSP) and signing of MOU by States with Govt. of India (seed money already released for this purpose)
3. Implementation of recommendations of Technical Groups/Bodies for filling up existing and expected/emerging data gaps, including State/UT specific additionalities (including booking of expenses of PMU*)
4. HRD issues, with a focus on Training for Capacity Development and Skills Enhancement/ upgradation, including support to Regional Training Centres.
5. Introduction of Innovative Techniques and Methodologies for improving the efficacy of statistical processes and operations

6. Holding of regular/periodic (say once every year) User-Producer dialogues, stakeholders' consultations and Conduct of periodic (say annual) surveys on user-satisfaction.
7. Dissemination of Annual Reports on the performance of State Statistical Systems and improving the cost effectiveness and ease of data access.
8. Data quality and efficiency improvement measures-
    - Participation in rounds of NSS including the Periodic Labour Force Survey(PLFS), Annual Survey of Services Sector Enterprises (ASSSE), Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises (ASUSE), Time Use Survey (TUS);
    - Strengthening Monitoring Framework for Sustainable Development Goals (SDGs)
9. Advocacy Issues viz. Publicity and IEC (Information, Education and Communication) to improve usage of Statistical Products & services.

* Booking of expenditure related to Contractual manpower, etc. for a particular activity may be done under the component in which the activity is being undertaken.

3. Implementation Mechanism

States / UTs will submit a project proposal, seeking Grants in Aid (GIA) adhering to a component – wise ceilings of allocations. The Project proposal will be under any or all of the 9 components of the sub – scheme and would indicate activities proposed to be undertaken in components as per prescribed template (**Annexure 2**). The project proposal will first be approved at the level of States / UTs and subsequently, by MoSPI.

4. Approval process

At the State level, the State Implementation Committee (SIC) would recommend the project proposal for consideration of State / UT level High Level Steering Committee (SHLSC). The proposal submitted to the Centre with the approval of the SHLSC will be examined by State Unit and placed before the central Project Monitoring Committee (PMC), which in turn will recommend the proposal for consideration of approval by the Central High-Level Steering Committee (CHLSC) of the Ministry.

5. Implementing Authority

At the State/UT level, the State/ UT Directorates/Bureau of Economics & Statistics (DESs) have been identified as the implementing authority for the Scheme. The DES would be responsible for day to day monitoring of the scheme, submission of all

physical and financial reports / certificates to the Ministry as per the prescribed templates and booking of expenditure under PFMS.

6. Coverage and State / UT – wise Allocations:

6.1 All States / UTs of the country are eligible to be covered under the sub – scheme.

6.2 Allocation of Implemented and Implementing States / UTs (as on 01st September, 2024) are as below:

Statement of allocation of Implemented and Implementing States / UTs (in Rs. Crores) of States / UTs					
Implemented States / UTs			Implementing States / UTs		
No	State/UT	Allocation	No	State/UT	Allocation
1	Andhra Pradesh	14.99	1	Arunachal Pradesh	7.52
2	Bihar	20.23	2	Assam	25.38
3	Gujarat	28.57	3	Chhattisgarh	11.72
4	Jharkhand	12.68	4	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	2.34
5	Karnataka	27.07	5	Haryana	5.09
6	Kerala	15.09	6	Himachal Pradesh	18.82
7	Manipur	20.69	7	Jammu and Kashmir	5.61
8	Mizoram	15.27	8	Lakshadweep	1.10
9	Odisha	28.91	9	Maharashtra	18.05
10	Rajasthan	34.71	10	Meghalaya	11.02
11	Sikkim	16.68	11	Nagaland	7.52
12	Tamil Nadu	19.42	12	Puducherry	8.05
13	Telangana	12.4	13	Uttarakhand	20.38
14	West Bengal	20.52	14	Uttar Pradesh	43.86
			15	Tripura	7.52
Note: Remaining states/UTs (Punjab, Delhi, Madhya Pradesh, Goa, A&N Islands, Ladakh, and Chandigarh) are yet to be on-boarded in the SSS sub-scheme.					

6.3 Implemented States/UTs are allowed to seek additional funds subject to the condition that their added budgetary support would only be up to 50% of their approved allocation (as above).

6.4 The allocation of the Implementing States/ UTs are divided further under different components, as per their signed MoUs.

6.5 States / UTs have the flexibility to undertake intercomponent reallocation and mid – course corrections as per details given in Section 11 on Flexibility in component–wise reallocation and mid-course correction.

7. State High Level Steering Committee

7.1 States/ UTs will constitute a State High Level Steering Committee (SHLSC), under the Chairpersonship of Chief Secretary of State or a senior officer nominated by Chief Secretary / Adviser to Hon'ble Administrator of UT. Deputy Director General (or the officer in-charge) of the State Capital Regional Office of FOD of MoSPI may be kept as a member. The Committee will preferably meet at-least twice a year or as and when required to review the implementation of SSS sub – scheme in the State/UT. It will have *inter alia* representatives of State finance department and administrative Secretary of the department, in which State/ UT Directorates/Bureau of Economics & Statistics located.

7.2 SHLSC would, *inter–alia*, have the following roles & responsibilities: -

a) Be the apex authority for monitoring of the Scheme at the state level
b) Approve the Project proposal of the State /UT for consideration of Centre, along with intercomponent reallocation, if any.
c) Approve Inter-component reallocation during project implementation for consideration of Centre.
d) Approve replacement of activities within a component (in case there are no changes required in intercomponent allocations).

8. State Implementation Committee

8.1 State/UTs will constitute a State Implementing Committee (SIC), under the Chairpersonship of Secretary (Planning).

8.2 SIC would be the implementation arm in the State/UT and will be empowered to take all decisions on matters relating to execution of activities, mode of execution, award of tenders, hiring of consultants, coordination with the Line Departments and executing agencies and monitoring, etc. Wherever required, SIC will seek guidance of State High Level Steering Committee (SHLSC) in successful completion of activities under SSS in the State/UT. State Implementing Committee will meet at-least once every quarter, or as and when required to review the implementation of SSS sub–scheme in the State/UT.

8.3 Roles and responsibilities of the State Implementation Committee would, *inter-alia*, include:

a) Recommend the project proposal at the State / UT level including cost estimates of each activity, for consideration of State HLSC.
b) Monitor the Implementation of Project activities at the State /UT level
c) Recommend Inter-component reallocation during project implementation, for consideration of State HLSC.
d) Recommend replacement/dropping of activities within a component and without any inter-component reallocation, for consideration of State HLSC.
e) Approve incorporation of new activities within a component, without replacing approved activities and without any inter-component reallocation.

8.4 The administrative Secretary of the department, in which State / UT Directorates/Bureau of Economics & Statistics located, would be the designated nodal officer in-charge for implementation and monitoring of SSS scheme in a state/UT.

8.5 The State DESs would follow the extant State Government procedures/rules/regulations, for executing all the activities, as decided/approved for execution by the Competent Authority. All the extant rules and regulations prevailing in State Financial Rules may be adhered to.

8.6 No diversion of funds to other schemes or activities outside the scheme will be permitted.

9. Central High-Level Steering Committee

9.1 Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI) will constitute a Central High-Level Steering Committee (CHLSC) under the Chairpersonship of Secretary (MoSPI). The committee will have the following composition:

i. Secretary (MoSPI)- In chair
ii. SS/AS &FA- Member
iii. DG (Central Statistics)-Member
iv. DG (Data Governance)- Member
v. DG (National Sample Survey)-Member
vi. ADG (In-charge State Unit)- Member
vii. Representative of NITI Aayog- Member
viii. DDG (State Unit)- Member Secretary
ix. Head of the DES of the States/UTs whose proposal is under consideration.

The committee can co-opt any other member as required.

9.2 The committee will have following indicative Terms of Reference:

a) To formulate all policy directives related to the Support for Statistical Strengthening Scheme.
b) To approve the Projects delineating the State/UT programmes, including relaxations in component-wise allocation/restrictions.
c) To approve mid-term corrections, if any, in terms of activities to be undertaken by State / UT under various components, and having total financial implications of inter-component reallocation more than 25% of the total allocation of the State / UT as per the signed MoUs / approved projects.
d) CHLSC may review the progress of implementation of overall scheme from time to time.

The Committee will meet at-least twice a year to review the implementation of the SSS sub–scheme.

10. Central Project Monitoring Committee

10.1 Ministry will constitute a central Project Monitoring Committee (PMC) under the Chairpersonship of Director General in-charge of SSS Scheme in MoSPI. The committee will have the following composition:

i. DG (Data Governance)- In chair
ii. ADG (In-charge State Unit)
iii. DDG (NAD)- Member
iv. DDG (State Unit)- Member
v. Director/ DS (IF)- Member
vi. Director/ JD (State Unit)- Member Secretary.
vii. Head of the DES of the State/ UT whose proposal is under consideration.

10.2 The committee will have the following indicative Terms of Reference:

a) To examine and recommend project proposals of States/UTs to Central HLSC for approval.
b) To provide directions on matters which are not covered in the Operational Guidelines of the SSS Scheme
c) To approve the mid - term corrections, if any, in terms of activities to be undertaken by State / UT under various components, and having total financial implications of inter-component reallocation upto 25% of the total allocation of the State / UT as per the signed MoUs / approved projects.
d) Any other matter related to operation of SSS Scheme.

11. Flexibility in component-wise reallocation and mid-course correction

Allocation to State/UTs are prescribed as per the ceilings under different components. However, State/UTs have the flexibility to undertake following intercomponent reallocation and mid – course corrections:

Sr. No.	Flexibility allowed in case of	Approval Authority
A. Involving Inter-component re-allocation		
1.	Inter-component reallocation at the time of initial project approval	State HLSC and Central HLSC
2.	Inter-component reallocation during project implementation	State HLSC and Central HLSC
B. Involving Intra-component modifications		
3.	Replacement/dropping of activities within a component	State HLSC
4.	Incorporation of new activities within a component without replacing existing activity(s)	State Implementation Committee (SIC)

In respect of cases involving intra-component modifications, State/UT would inform the Ministry with justification in the prescribed format (**Annexure-2**), within 15 days of such corrections are made.

12. Fund Flow Procedure and Release of funds

The funds allocated to State/UTs would be released in installments in the form of Grant-in-Aid in accordance with the Ministry of Finance (DoE) guidelines, as amended from time to time. Current fund flow guidelines are placed at **Annexure 3**. The first installment of funds in the form of Grant-in-Aid would be released after approval of the Project. The subsequent installments would be released as per the Utilization Criteria prescribed in the fund flow procedure by the Department of Expenditure, Ministry of Finance as well as on achievement of commensurate physical progress. The DES would be required to submit Financial progress (UC as per GFR along-with component wise expenditure statement), Physical progress certificate to this effect and undertaking for remittance of interest as per template prescribed (**Annexure 4**) at the time of raising request for further installments.

13. Monitoring Mechanism

13.1 The monitoring of SSS Scheme at the Central level would be done through Project Monitoring Committee, which will review the Physical and Financial progress of implementation of the scheme in the States / UTs from time to time.

13.2 The scheme would be monitored at the State level through the State High Level Steering Committee (SHLSC); the meeting of the SHLSC should be held at least twice every year, in which, if required, the representative from MoSPI may also be invited. The SHLSC would review the detailed financial and physical progress.

13.4 State/UTs may furnish to the Ministry every month activity-wise progress reports on the Physical and Financial progress achieved as per prescribed templates (**Annexure 5**).

13.5 The Ministry would also review the implementation from time to time, through review meetings, Joint Review Meetings (JRMs) and participation in the SHLSC / SIC meetings held in the States.

14. Period of implementation

The existing approval of the of SSS Scheme is until 31st March, 2026.

15. Completion of the Project

All the activities should be completed by the implementing State by the end of the project period. A detailed completion Report, has to be forwarded to the Ministry with the approval of the State/UT High Level Steering Committee.

16. Ownership of Assets (wherever applicable)

The ownership of all the buildings/assets created in a state and ownership of assets/machines procured under the Scheme will rest with the respective State Governments. The State Government is obligated to maintain these assets and use them properly.

17. Outcomes

17.1 The aim of implementation of this sub - scheme is to generate tangible statistical indicators/products/outcomes by the end of the scheme period in each States/UT. This may be achieved by successfully and timely accomplishing the various outputs under different heads/items.

17.2 More importantly, the implementation will necessarily ensure that the quality of the outcome is statistically good/robust and they are able to be churned out year after year on a sustainable basis.

18. Documentation

The outputs of the Scheme need to be properly compiled and documented, as:-

a) Most of the activities, especially the statistical and auxiliary activities are action – oriented and need to be recorded

b) The outcomes and the outputs accruing to a state as result of implementation may have to be assessed/examined at the end of the project period and also from time to time during implementation
c) It helps in better execution of the activities and enables mid-course corrections, if required
d) Most importantly, it facilitates institutionalizing the improvements and carrying forward on a sustainable basis, both the tangible and intangible gains.
e) Asset Register / output register, wherever required, would be maintained as per extant norms.

19. Dissemination through web

19.1 Wider dissemination of data and more transparency in statistical operations of the State Statistical Systems is one of the objectives of the Scheme. In line with these objectives, and also the emphasis being given towards more *transparency* in governance, wider dissemination should be given priority for the achievements. The statistical outcomes and activities undertaken under the Scheme, will facilitate more exchange of ideas, methods, best practices, etc. among the state statistical systems for further development.

19.2 At the end of the Scheme period, State DESs may upload in their respective websites, the achievements made under the Scheme, the statistical outcomes, the outputs under different sectors, activities undertaken etc.

******

Annexure 1

Background of Support for Statistical Strengthening (SSS) sub - scheme

I BACKGROUND

1.1 The Scheme:

1.1.1 The Indian Official Statistical System has the responsibility to provide adequate, relevant, reliable and timely official statistics/data sets for informed decision making and for the formulation of plans and programmes. This task/function is performed at the national level by the statistical system consisting of the National Statistical Office (NSO), Registrar General of India (RGI), the various line Ministries/Departments and Organizations of the Government of India. The Statistical System in the States, which is almost similar to that at the center, is generally decentralized over the departments of State/UT Governments. At the apex level in the States/UTs, there usually exists a Directorate or Bureau of Economics and Statistics, which is responsible for the coordination of the statistical activities in the States/UTs.

1.1.2 Much of the administrative data flows from the State Statistical Systems to the National Statistical Systems. The State Statistical System is therefore an integral part of the National Statistical System and improvements in State Statistical Systems are critical to the improvement to the National Statistical System.

1.1.3 The National Statistical Commission (NSC) under the Chairmanship of Dr. C. Rangarajan in its Report submitted to the Government of India in 2002, considered the different deficiencies and data gaps in the Statistical System. The Commission desired that integrated systems at the National, State and Sub-State Level should be built up in each sector of the economy. In the context of effectively addressing the various problems faced by the State Statistical System, it was observed that over the years State Governments had not taken much initiative to address this issue.

1.1.4 With a view to improve the State Statistical Systems, a World Bank assisted Scheme 'India Statistical Strengthening Project (ISSP) was formulated based on extensive consultations and discussions with the concerned stakeholders, including the States/UTs. The Project was essentially based on the outcomes of 35 detailed State/UT reports with regard to "Identifying the Specific Requirements for Strengthening of State Statistical Programmes" and was designed to re-organize the State/UT DES for efficient and effective functioning.

1.1.5 The India Statistical Strengthening Project then a Centrally Sponsored Scheme with World Bank aid of 80% was approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs in March, 2010 and subsequently by the World Bank in July, 2010. It was originally to be implemented during the 11th plan i.e. by March, 2012. It aimed at improving the Statistical Capacity and Infrastructure of the State Statistical System for Collecting, Compiling and Disseminating relevant and reliable official statistics for policy making and to promote

their usage at the State/District and Block Levels. The Project was designed to support State/UT specific interventions appropriately, in the following areas:

a) Improving the Coordination and Management of Statistical Activities in the States/UTs.
b) Human Resource Development.
c) Developing Statistical Infrastructure.
d) Investing in Physical Infrastructure, including Information Technology, and
e) Improving Statistical Operations, especially those supporting the cause of improvement in the quality and dissemination of statistical data.

Box- 1.1

The Expenditure Finance Committee decided to recommend the proposal for implementation of the Scheme viz. 'India Statistical Strengthening Project' as a Centrally Sponsored Scheme during the remaining part of the Eleventh Plan period (2007-12) at an estimated cost of Rs. 650.43 crores (Rupees six hundred and fifty crores and forty three lakhs only) of which 80% would be funded through a World Bank loan and 20% would be borne by the Government of India.

1.1.6 As the States/UTs had wide disparities and heterogeneities in statistical developments and as they were allowed to participate in the project, as and when they took the decision to do so, the Scheme started to be implemented in only 13 States and 1 UT with an allocation of Rs. 648.97 crore out of total allocation of Rs. 650.43 crores. Allocations were finalized on State-to-State basis by the respective State High Level Steering Committees (SHLSCs) under the Chairmanship of Chief Secretary of the State and by the High Level Steering Committee (HLSC) on ISSP chaired by Secretary, S&PI and finally approved by the Hon'ble Minister in charge of MoSPI. Thereafter MoUs were signed between the MoSPI and the concerned State/UT.

1.1.7 The States were divided into 3 groups based on an assessment of their current statistical capabilities viz. their participation in the rounds of National Sample Surveys (NSS), and the extent of their processing capabilities and dissemination of the results.

Box- 1.2

Group 1- Not participating in rounds of NSS.
Andaman & Nicobar, Dadra & Nagar Haveli, Lakshadweep

Group II- Participating in rounds of NSS though matching State sample, but not tabulating results
Arunachal Pradesh, Bihar, Chandigarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Punjab, Sikkim, Tripura

Group III- Participating in rounds of NSS as well as tabulating results
Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Delhi, Daman and Diu, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh and West Bengal

In 2013-14, another scheme of the Ministry namely Basic Statistics for Local Level Development (BSLLD) was merged with ISSP and the project was renamed as Support for Statistical Strengthening (SSS).

1.2 Revisiting and Extension of the Scheme:

1.2.1 Till August 2014, the Ministry was continuously emphasizing the importance of the project period to the individual States and the need to stick to doable activities which could be completed within the time period. As the activities were still to be completed for all States, the project period needed to be extended. Additionally it was noted that though the scheme was intended to cover the entire country, the remaining 19 States/UTs who had shown their willingness to participate could not be taken on board due to non-availability of funds.

1.2.2 While approving the extension of the Scheme for the XII Plan period, i.e up to March, 2017, the Competent Authority had stipulated certain mid-term corrective measures to address the implementation issues.

1.2.3 Accordingly, States were requested to revisit and revise their SSSPs as per the approved project parameters. Information was also elicited from the states on the completed/ongoing/yet to be started activities. Then a major review-cum-revisiting exercise of the SSSPs/MoUs of the currently implementing States was carried out based on the revised proposals/the information on activities received from the States, and keeping in mind the under mentioned principles : -

i. Adhering to the ceilings fixed for capital costs (Civil and IT infrastructure) to the extent feasible,
ii. Adhering to the sharing pattern between Centre and State for Civil infrastructure,
iii. Considering only doable activities that could be completed within time frame,
iv. Giving priority to core statistical activities to the extent possible,
v. Wherever expenditure had been incurred in accordance with the existing MoU, in civil infrastructure, including from States funds in anticipation of Central funds, the expenditure was to be taken into consideration.

1.2.4 From the revisiting exercise, a revised allocation to the initial 14 implementing states / UTs was made. Meanwhile, the UT of Lakshadweep had expressed its inability to participate in the ISSP and therefore on its withdrawal, the amount allocated to the UT (except for seed money) was also a saving. From a total allocation of Rs. 650.43 crore for

the project, subtracting the amount required for the 14 states / UTs implementing States, the balance amount of Rs. 360.90 crore was allocated/ earmarked for the remaining 19 willing States. As by then the bifurcation of the State of Andhra Pradesh into Telangana and Andhra Pradesh had been finalized, the funds, activities/functions and functionaries i.e. officials for the Scheme had to be bifurcated on mutually agreed terms. Revised allocation in the table therefore gave cognizance to this bifurcation and separate allocations were provided.

1.2.5 The allocations for the remaining 19 States/UTs, who wanted to join the project was worked out on an objective basis keeping in mind the approved Cabinet norms, namely :-

i. The EFC/Cabinet had approved allocation for 3 Groups of States based on their participation in NSO activities [Box 1.2]. The savings/funds made available, from the revisiting exercise, for each Group of States has therefore been arrived by considering the Group totals approved by the cabinet.

ii. Amount to individual State, within each group, is then calculated on the basis of the number of districts in each State, excepting in Group I [where the allocation has been done equally for both the UTs which have 1 or 2 districts].

iii. For groups II and III, if the allocation to a State is more than double of the group average (allocation per state) allocation for such states is restricted to the double of the group average.

iv. Considering the group-wise average allocation and also number of smaller and bigger States in the respective Group on the basis of number of districts, if the allocation is more than Rs. 15 crore for Group II and Rs. 20 crore for Group III, then allocations as obtained at (ii) above are retained.

v. Remaining amount in each of Group II and Group III is re-distributed proportionately on the basis of number of districts to the remaining States/UTs.

1.2.6 By this system of allocation, the item-wise proportions within each group was maintained, as approved by the Cabinet. The financial break-up of the revisiting exercise and its consequential tentative allocations to the remaining but willing States was also approved by the Competent Authority.

1.2.7 Consequent to the completion of the revisiting exercise in December, 2014, the revised allocations were intimated to the currently implementing states, with a request

to revise their MoUs and targets accordingly. Then in early January, 2015, the new States were intimated of their respective allocations and they were requested to finalize their State Programmes and MoUs.

1.2.8 While the implementation of ISSP was approved for the XII Plan period, i.e. up to March, 2017 the individual project periods of the current implementing States had been considered for extension.

1.3 SSS became a Central Sector Scheme:

1.3.1 Following up a letter regarding the Funding Patterns of Central Sponsored Scheme of the Ministry of Finance, it was informed that the Scheme Support for Statistical Strengthening was no more a Centrally Sponsored Scheme of the Government of India. However, given the importance of Strengthening Statistical System in the Country among the rationalized Schemes, SSS was made a Central Sector Sub-Scheme with 100% funding from the Centre under the umbrella Scheme 'Capacity Development' of the Ministry.

1.3.2 It was pointed out that under the revised scenario, a number of changes were needed to be brought into the Scheme pertinent among which were: (i) Who should be the implementing Authority for the Scheme (ii) Funding to be 100% by Central Government (iii) decision regarding ownership of constructed Building/Capital assets (iv) Process of flow of funds from the Central Government to the implementing authority, the vendors and other agencies, spending the funds and the process of the acceptance of Utilization Certificate. Accordingly, it was decided that funds could no longer be released through the major head 3601 and 3602. It was also proposed to make the State Directorate of Economics and Statistics, the implementing agencies for the Scheme. Different other operational formalities in the changed scenario are to be firmed up and documented guidelines have to be prepared. Together this document should lay down the modalities that henceforth all releases to the State should be through the PFMS [Public Financial Management System]

1.3.3 The Operational Guidelines of the sub – scheme were formulated in August 2016 with the approval of Department of Expenditure, Ministry of Finance and circulated to all States / UTs.

1.4 Extension of the sub – scheme

1.4.1 Consequent to this while seeking extension for continuation of the sub – scheme beyond the 12th Five Year Plan, i.e. upto March 2020, it was decided internally in the Ministry that the components of Physical Infrastructure and IT hardware be discontinued for funding in the States / UTs with which the MoUs were yet to be signed. Based on the revised set of 9 components, during the subsequent phase of implementation, MoUs were signed with 12 more States / UTs.

1.4.2 When the final approval of CCEA for continuation of the scheme till March 2020 was received in September, 2018, an amount of only Rs. 264 crores was received for the 3 year period from 2017 – 18 to 2019 – 20. As till the end of financial year 2016 -17 (i.e. 31st March, 2017), an amount of Rs. 260.461546 crores had already been released, the overall allocation of the Scheme was thus taken to be reduced from Rs. 650.43 crores to 524.461546 crores. After taking into account the committed liability of the 20 implementing States as per the signed MOUs, an amount of Rs. 109.61crores remained available for the remaining 13 States / UTs. Thus, the allocations of the 13 States / UTs (as per revisiting exercise) stand reduced. The allocations of 8 components (apart from seed money) of the 13 States / UTs are reduced by a ratio of the amount which is available now to their original allocation (after adjustment of amounts already released as seed money). Later on, the UT of Lakshadweep showed willingness to participate and hence an amount of Rs.1.01 crore was allocated to the UT of Lakshadweep.

1.4.3 It had been felt at various fora, that there is a need to revamp the scheme to give adequate weightage to the emerging statistical requirement of the Centre in the State Programmes. These include participation by all states/UTs in rounds of NSS, ASI with equal matching basis, compilation of data on a uniform set of SDG indicators and their monitoring, etc. In the discussions held in the 26th meeting of COCSSO (15th – 16th November, 2018) and previously also it had been stressed that as the new surveys of NSS are going to be extensively based on IT platform, in order to encourage States / UTs to participate in these surveys there is a need to support an enabling environment in States/UTs. Thus, support for IT hardware needs to be rebuilt in the sub scheme once again. A Technical Advisory Committee (TAC) was formed for modification of the guidelines of the sub – scheme in consultation with Department of Expenditure, Ministry of Finance. The revised guidelines of SSS sub – scheme, which were issued in 2019 were result of the recommendations of the TAC made in its meeting held on 27th November, 2018. The current validity of the sub-scheme is upto 31st March, 2026. At present, the allocation of the Sub – Scheme is Rs.510.47 crores.

1.5 Seed Money:

1.5.1 Seed Money For participating in the Scheme, the State DESs were to draw-up a programme based on their priorities within the overall national vision. For this purpose the States were to study the ground realities and the Statistical development in the State without prejudice. Based on these the States were to draw-up the priority/doable activities with logical timelines and budget lines. For the study and preparation of the State Programme, the States were encouraged to engage expert assistance. Seed money was allocated to each State/UT for completing this job. Most States have prepared their State's document, the State Statistical Strategic Plan (SSSP), which forms the basis of the Scheme.

1.5.2 Hence, those States for which MoUs have been approved, signed and funds released, and who have started implementing the Scheme, are called, the 'Implementing States'.

Annexure 2

Template of State / UT Programme/ Proposal

Theme/Component (as applicable)		Activity Proposed (#)	Activity wise Allocation (in Rs Lakhs)	Timeline (MM/YY)	Sector (*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Statistical Applications and enabling IT support including Hardware and software				
2	.....				
.	.....				
.	.....				
.	.....				
9	Advocacy Issues viz. Publicity and IEC (Information, Education and Communication) to improve usage of Statistical Products & services				

Note: (*) Sectors represent Subject Matter Divisions of the Ministry (namely, National Accounts Division, Economic Statistics Division, Social Statistics Division, National Sample Survey Office, Price Statistics Division, Computer Centre, Policy Implementation and Monitoring Division, etc.)

Note(#): A brief note on physical outcomes and action plan for each activity may be given in a separate Annexure

F. No. 3/(06)/PFMS/2023
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
PFMS Division

North Block
New Delhi, 21st May, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Master Circular - Procedure for release of funds under the Central Sector Schemes (CS) and monitoring utilization of the funds released.

The undersigned is directed to refer to DoE's guidelines dated 9th March, 2022, commonly known as the Central Nodal Agency (CNA) model regarding revised procedure for flow of funds under Central Sector Schemes.

2. Based on the feedback received from Ministries/Departments, various amendments/clarifications regarding the CNA model have been issued by the Department of Expenditure from time to time. Further, attention is also invited to this Department's OM of even no dated 5th February, 2024 wherein the decisions to (i) implement all Central Sector Schemes with annual outlay of Rs. 100 crore or more through Model 1 w.e.f. 01.06.2024, and to (ii) develop a hybrid TSA system to facilitate onboarding of Sub Agencies, whose account cannot be opened in RBI, on Model-1 were conveyed.

3. The enclosed Master circular is being issued in compliance of the aforesaid DoE's OM and to consolidate all the instructions / guidelines issued on the CNA guidelines till date. Instructions issued by this Department but inadvertently not included in the Master circular should also be followed by the Ministries/Departments.

4. This issues with the approval of competent authority.

Prateek K Singh 21/5/24
(Prateek Kumar Singh)
Director
Tel. No. 011-23094961

To,

1. All Secretaries to the Government of India
2. All Financial Advisors to the Government of India
3. All Pr. CCAs/CCAs of all Ministries/Departments

Copy to:

1. PSO to Finance Secretary & Secretary (Expenditure)
2. PPS to CGA
3. PSO to AS (PFC-II)/AS (Pers)/AS(PFS)/JS(PFC-I)
4. Addl. CGA (PFMS), O/o CGA, INA, New Delhi

F. No. 3/(06)/PFMS/2023

Master Circular on the 'CNA Model' - Procedure for release of funds under the Central Sector Schemes (CS) and monitoring utilization of the funds released

Contents

Sl No	Particulars	Page No.
A	Model - 1: Implementation through Treasury Single Account (TSA)	3
B	Model – 1A: Implementation through Hybrid TSA	6
C	Model – 2: Implementation through scheduled commercial banks	8
D	Fund releases exempted from CNA model	11
E	Annexures – I & II	12-13

Pratik ... 21/5/24

80

Master Circular on the 'CNA Model' - Procedure for release of funds under the Central Sector Schemes (CS) and monitoring utilization of the funds released

The following procedure shall be followed by the Ministries/ Departments of Government of India for flow of funds under the Central Sector Schemes and monitoring utilization of funds released.

2. Every Ministry/ Department will designate a Central Nodal Agency (CNA) for implementing each Central Sector Scheme. CNA shall be referred to as 1st level agency of the scheme.

3. If there are other agencies involved in implementation of the scheme down the ladder, which get funds from the CNA, these Implementing Agencies (IAs) will be notified as Sub-Agencies (SAs) of the CNA.

4. SAs immediately below CNA are referred to as 2nd level agencies; SAs below 2nd level SAs are referred to as 3rd level agencies and so on.

5. Depending on (i) Budget Estimate of the scheme, (ii) number of levels of implementing agencies in the scheme, and (iii) nature of implementing agencies i.e. whether Government or private, Ministries/Departments have to select one of the following Models to implement the Central Sector scheme -

A. Model - 1: Implementation through Treasury Single Account (TSA)

6. This model will be applicable for schemes –

i. Having Budget Estimate of Rs 100 crore or more in a Financial Year (FY), and

ii. which are being implemented through only two level of Central/State Government agencies eligible to open account in Reserve Bank of India (RBI). Agencies may be a Central Autonomous Body or a Central Public Sector Enterprise or a State Government Agency.

Onboarding of Government Implementing Agencies

7. For each Central Sector Scheme, the concerned Ministry/Department will designate an Autonomous Body or a Central Public Sector Enterprise or a State Government Agency as the Central Nodal Agency (CNA) to implement the scheme.

8. The CNA will open an account with the Reserve Bank of India (RBI) in e-Kuber. Even in cases where the CNA is already registered in the TSA module and has a bank account in e-Kuber for some other grant, it will open separate account in e-Kuber for funds to be provided under each Central Sector Scheme.

Pratah 21/5/24

9. The relevant details of account of the CNA opened with RBI shall be mapped in the TSA module of PFMS as per the extant guidelines on TSA.

10. If besides CNA, there are 2nd level Central/State Government agencies involved in implementation of the scheme, these Implementing Agencies (IAs) will be known as Government Sub-Agencies (SAs) of the CNA.

11. The Government SAs will also open scheme-wise bank accounts with RBI in e-Kuber and shall be mapped in the TSA module of PFMS.

12. RBI will function as the primary banker to the Ministries/ Departments in this regard without involvement of an agency bank.

13. The CNA and SAs shall not open/operate/ park scheme funds in any other bank account except under the provisions made in these guidelines.

Assignment Limits for CNA and Government SAs

14. All accounts of CNA/Government SAs in RBI will be "Assignment Accounts". A limit up to which expenditure can be incurred by the CNA/ SAs shall be assigned to these accounts from time to time by the Pay and Accounts Office (PAO) concerned through PFMS.

15. Assignment will be based on an expenditure sanction issued by the Programme Division (PD) and the bill preferred by the Drawing and Disbursing Officer (DDO). The e-format of the assignments and Sub-assignments shall have requisite details required for accounting and reconciliation of transactions. The e-Kuber bank account details of the CNA/SAs shall be incorporated in the sanction order.

16. The assignments shall be uploaded on the TSA module and received electronically by the CNAs as per the existing protocols of TSA module. The CNA may issue e-Sub-assignments in PFMS against this assignment setting limits of expenditure for the SAs.

17. Control of limits shall be at the Standard Object Head level.

18. Consequent upon receipt of the sanction order for release of funds to the CNA along with bills from the Drawing and Disbursing Officer (DDO), the concerned Pay and Accounts Officers (PAOs) shall, through assignments, advise RBI, after exercising all necessary checks, to honor the payment instructions issued by the concerned CNA/SA up to the, "assigned limit" in the advice.

19. The PAO shall debit the concerned Head of Account for appropriation but not transfer the cash directly to the CNA. It shall be retained in an interim account in respect of the CNA listed under the parent Ministry/ Department in the public account.

Pratik M G 21/5/24

20. CNAs & SAs shall adhere to all due process while incurring expenditure from the assignment limit sanctioned through PFMS. CNAs shall also ensure that sufficient limit is available in the relevant account before issue of assignment to SAs.

21. The system will be digital and fully online on PFMS with no physical flow of assignments to RBI or expenditure by CNAs/SAs on assignment basis. The electronic file containing a unique sanction ID and necessary details of the sanction order will travel directly from PAO to RBI and concerned CNAs. RBI will maintain individual ledgers in respect of the accounts of the CNAs for watching the availability of assignment.

22. PFMS Division in CGA will design requisite reports to enable all Program Division (PDs), Pay & Accounts Officers (PAOs), and other stakeholders to view details of sanction orders, summary and budget balance of assignments/sub-assignments, and expenditure details.

23. Ministries/ Departments administering the schemes concerned should strive to make realistic estimation of Budget under the Central Sector schemes and issue sanction orders according to actual requirements. The savings in the assignments should be anticipated well in advance particularly in the third quarter of Financial Year and Ministries/Departments shall ensure suitable savings/surrenders are informed to Budget Division during the pre-budget meetings.

24. Unutilized assignments will lapse to the Government at the close of the Financial Year as per the extant norms of Budget execution and will not be available to the CNAs /SAs for expenditure in the next financial year. In PFMS too, all e-assignments/e-sub assignments shall cease to exist after the close of financial years and shall be flushed out from the system as per the current practice in TSA module.

25. In respect of some transactions like payment of TDS, Income Tax and GST, Opening of Letter of Credit in favor of foreign suppliers, scholarships to foreign students not having account in India, and payment of salaries of the month of March to be paid in 1st week of April, CNAs/SAs may utilize the services of their existing account at commercial banks. They may transfer funds "just in time" to the extent required for meeting such transactions. However, in no case the money transferred under this provision will be parked in a Commercial Bank beyond a period of two weeks except in case of opening Letter of Credit in favor of foreign suppliers in which case the funds can be held in the bank account for the duration required as per purchase order/contract agreement.

26. Unutilized amount of past releases under the scheme available in the bank account of CNA & SAs shall be deposited in the Consolidated Fund of India.

21/5/24

B. Model – 1A: Implementation through Hybrid Treasury Single Account (TSA)

27. This Model is applicable –

i. To schemes having Budget Estimate of Rs 100 crore or more in a FY, and

ii. Where there is a private Sub-Agency (SA) involved in implementation of the scheme which cannot open an account in the Reserve Bank of India (RBI); and/or

iii. Where there are more than two level of Government/Private SAs involved in implementation of the scheme as RBI does not provide facility to open accounts for 3rd & below level agencies.

Onboarding of Government and Private Implementing Agencies

28. For each Central Sector Scheme, the concerned Ministry/Department will designate an Autonomous Body or a Central Public Sector Enterprise or a State Government Agency as the Central Nodal Agency (CNA) to implement the scheme. 2nd level Government agencies involved in implementation of the scheme will be designated as Government SAs.

29. CNA and 2nd level Government SAs will open assignment accounts in RBI and will be given assignments as per the procedure described in Model 1 above.

30. CNA and Government SAs may also function as 'Funding Agencies' to provide funds to Private SAs at 2nd level and to Government/Private SAs at 3rd level respectively. The Private SAs as 2nd level and Government/Private SAs at 3rd level will be referred to as Recipient SAs.

31. Each Recipient SA will open a savings bank account in a scheduled commercial bank. If there are SAs below the Recipient SA, they will open a Zero Balance Subsidiary Account (ZBSA) in the bank of the Recipient SA.

32. If Recipient SAs and SAs below it already have bank accounts as per para 31 above, same bank accounts may be used & there is no need to open new accounts subject to the condition that funds in the existing bank accounts shall be deposited in Consolidated Fund of India before onboarding.

33. The network of CNA and various types of SAs is explained in the illustrations given in Annexure I and Annexure II.

Procedure to incur scheme related expenditure

34. CNA and Government SAs having an account in RBI will incur expenditure directly from their RBI accounts as per the procedure in Model 1. The procedure for incurring

expenditure by Recipient SA and SAs below who have to incur expenditure from their account in scheduled commercial bank is described below.

i. The bank account of recipient SA will be assigned a drawing limit by its concerned Funding Agency. Similarly, ZBSAs will be assigned a drawing limit by the agency immediately up the ladder. The available drawing limit will get reduced by the extent of utilization.

ii. When a Recipient SA/other SA down its ladder has to make payment to vendors/ beneficiaries under the scheme, the SA concerned will prepare (i) a payment file in PFMS containing details of the beneficiaries and vendors to whom the payment is to be made and (ii) a demand file containing amount of funds needed to make the payments as per the payment file.

iii. The amount claimed in the demand file shall not exceed the drawing limits assigned to that SA.

iv. While the payment file will be retained by the respective SA, the demand files generated by the Recipient SA and SAs below it shall be consolidated daily in PFMS. The consolidated demand file will be sent to the concerned Funding Agency.

v. The demand received by the Funding Agency in PFMS till the cut-off time of 3 PM on a working day will be processed and sanction for the amount demanded will be generated on the same working day. Sanction for the consolidated demand received beyond the cut-off time of 3 PM will be generated on the next working day.

vi. After sanction, the sanction will be sent to RBI for debiting the assignment account in RBI of the concerned Funding Agency and crediting the sanctioned amount in the bank account of the Recipient SA concerned.

vii. Immediately on receipt of funds, the Recipient SA will disburse them to vendors/beneficiaries through its bank account or through ZBSA accounts as per the payment files generated by respective SAs.

35. The funds shall not be retained in any commercial bank account of Recipient SA for more than 2 working days. Interest accrued in the commercial bank accounts shall be deposited in Consolidated Fund of India as per provisions of GFR.

36. Provision in respect of transactions like payment of TDS, Income Tax and GST etc. shall be the same as described in Model 1.

37. CNA and SAs shall not open/operate/park funds in any other bank account except the bank accounts opened/operated as per these guidelines.

Preetish K Sir
21/5/24

C. **Model – 2: Implementation through scheduled commercial banks**

38. This Model shall be applicable for Central Sector Schemes with Budget Estimate of less than Rs 100 crore. However, Ministries/Departments may also opt for Model 1/1A to implement such schemes.

39. Every Ministry/ Department will designate a Central Nodal Agency (CNA) for implementing each Central Sector Scheme.

40. The CNA will open a Central Nodal Account (savings bank account) for each Central Sector Scheme in a scheduled commercial bank authorized to conduct Government business by the Ministry/ Department concerned.

41. Implementing Agencies (IAs) down the ladder will be designated as Sub-Agencies (SAs). The SAs will use the CNA's accounts with clearly defined drawing limits set for that account. However, depending upon operational requirements, Zero Balance Subsidiary Accounts for each scheme may also be opened by the SAs.

42. All ZBSAs will have allocated drawing limits to be decided by the CNA concerned from time to time and will draw on real time basis from the Central Nodal Account of the scheme as and when payments are to be made to beneficiaries, vendors etc. The available drawing limit will get reduced by the extent of utilization.

43. For seamless management of funds, the main account and all zero balance subsidiary accounts should be maintained with the same bank. However, Ministry/ Department may choose different banks for opening Central Nodal Accounts of different Central Sector Schemes.

44. Only banks having a robust IT system and adequate branch network should be chosen for opening Central Nodal Account and the zero balance accounts of SAs of each Central Sector Scheme. The bank chosen should have the facility to open the required number of subsidiary zero balance accounts and a robust MIS for handling accounting and reconciliation at each level. The bank should also provide necessary reports and a user-friendly dashboard to officers at various levels to monitor utilization of funds by SAs.

45. The bank's software system should be able to monitor the drawing limits of the SAs who should be able to draw funds on real time basis from the CNA's account as and when payments are to be made. The selected bank should ensure proper training and capacity building of branch managers and other staff for smooth operation of these accounts.

46. Ministries/ Departments will release the scheme funds for each Central Sector Scheme to the account of CNA concerned strictly on the basis of requirement, keeping in view the balance funds of the scheme available with the CNA as per PFMS or scheme-specific portals fully integrated with PFMS in consonance with Rule 232(v) and 230(vii) of the General Financial Rules, 2017.

Pratik 2/5/24

47. The Ministries/ Departments and the CNAs shall ensure that the interest earned from the funds released is mandatorily remitted to the Consolidated Fund of India in terms of Rule 230(8) of GFR, 2017. Interest amount should be deposited in CFI only through Bharatkosh (NTRP) using PFMS process flow and no other mode should be adopted.

48. The Ministries/ Departments shall release the funds as far as possible in 'Just-In-Time' manner keeping the float in CNAs account to the minimum possible and shall in no case release more than 25% of the amount earmarked for the scheme in a financial year at a time. Additional funds (not more than 25% at a time) will be released only upon utilization of at least 75% of the funds released earlier and in compliance with the conditions of previous sanction.

49. In case Ministries/Departments are unable to sanction new projects in PFMS due to availability of sufficient funds lying in the CNA's Bank Account, sanction orders for token amount not exceeding Rs. 1 (one) in each case can be generated for new project. Once the sanction order is issued, CNA can assign adequate financial limit to the new project in PFMS to enable utilization from the amount balance in the CNA's bank account.

50. The drawing limits assigned to CNA/SA for various projects/activities may be modified based on the pace of utilization of funds as per the following procedure –

i. The redistribution of drawing limits among SAs for various projects/activities pertaining to same object head can be done through a revised sanction order issued by the Ministry/Department.

ii. The redistribution of drawing limits among SAs for various projects/activities pertaining to different object heads can be done through a revised sanction order issued by the Ministry/Department only if the original and revised sanction orders are issued in the same financial year backed up by necessary re-appropriation/supplementary as per DFPR etc.

iii. While doing inter object head redistribution, Program Division and IFD should ensure that the total funds released under an object head in a financial year as per original/revised sanctions should not exceed the annual budget allotted under that object head unless the budget is augmented through re-appropriation/supplementary etc.

iv. The intra/inter object head redistribution as per (i) and (ii) above shall be accompanied by necessary transfer entries in the books of accounts and the provisions of NS/NIS limits and rule 10 of DFPR shall apply.

v. To avoid issue of multiple revised sanction orders in a financial year, Program Division of the Department/Ministry, in consultation with IFD, may give flexibility to the CNA to redistribute drawing limits among SAs during a financial year, subject

to issue of a consolidated revised sanction order as per (i), (ii), (iii), and (iv) above at the fag end of the financial year.

vi. Funds lying unutilized with the SAs under an object head, which the Ministry/Department is unable to redistribute to other projects/activities as per aforesaid procedure, may be returned by the CNA to the Ministry.

vii. Ministries/Departments should develop an internal mechanism to monitor/track revision of sanction orders and project/activity wise utilization of funds for the purpose of submitting Utilization Certificates as per GFR provisions.

viii. The sanction module of PFMS will enforce budgetary controls at the line item and object head level.

51. For administrative convenience and efficiency, the Program Division may obtain approval of the competent authority and concurrence of the Financial Advisor for more than 25% at a time. But release of funds shall not exceed 25% in one instalment.

52. After opening of Central Nodal Account of the scheme and before opening zero balance subsidiary account of SAs or assigning them drawing rights from CNA's account, the SAs at all levels shall return all unspent amounts of the scheme lying in their accounts to the Central Nodal Account of the CNA.

53. It will be the responsibility of the Ministry/ Department concerned to ensure that the entire unspent amount of the scheme is returned by all the SAs to the Central Nodal Account of the CNA concerned before releasing funds to CNAs.

54. Ministries/ Departments will ensure that releases under all Central Sector Schemes are made strictly as per the actual requirement on the ground, without resulting in any material float with the implementing agencies at any level.

55. Ministry/ Department will register the CNAs and all SAs on PFMS and use the unique PFMS ID assigned to the CNA and SAs for making all payments to them. Bank accounts of the CNAs, SAs, vendors and other organizations receiving funds will also be mapped in PFMS.

56. Payments will be made from the zero balance subsidiary accounts up to the drawing limit assigned to such accounts from time to time. Transactions in each Subsidiary Account will be settled with the Central Nodal Account daily through the core banking solution (CBS) on the basis of payments made during the day.

57. CNAs and SAs will mandatorily use the EAT module of PFMS or integrate their systems with the PFMS to ensure that information on PFMS is updated by each SA at least once every day.

58. CNAs will keep all the funds received in the Central Nodal Account only and shall not transfer the funds to any other account or not divert the same to Fixed Deposits/ Flexi-Account/ Multi-Option Deposit Account/ Corporate Liquid Term Deposit (CLTD) account etc. The funds released to CNA shall not be parked in bank account of any other agency.

59. Release of funds by the Ministries/ Departments towards the end of the financial year should be avoided to prevent accumulation of unspent balances with CNAs.

60. Provision in respect of transactions like payment of TDS, Income Tax and GST etc. shall be the same as in Model 1.

D. Fund releases exempted from CNA model

61. Following categories of fund releases by a Ministry/Department will be exempted from following these guidelines and may continue in existing mode:

(i) Fund released by Ministries/Departments in Direct Benefit Transfer (DBT) mode or reimbursement mode.

(ii) Fund releases involving payment of equity share or extension of loan by the Government to a company.

(iii) Fund releases where 100% payments are made by the Ministry/Department directly to the vendors/beneficiaries against the bills/claims raised by the vendors/beneficiaries.

(iv) Fund releases by the Ministry/Department directly to multiple Implementing Agencies (IAs) where amount transferred to any agency does not exceed Rs. 10 lakhs per annum.

(v) Fund releases in which funds are transferred to the Indian Missions abroad for implementation of the scheme.

(vi) *Fund releases for a corpus/revolving fund approved by the Cabinet.* **[Stands Deleted]**

(vii) Fund releases based on authorization where expenditure is incurred on real time basis with no float. However, in such cases Ministry/Department shall avoid the mode of transfer of funds through Civil Deposit and the option of Letter of Authorization should be adopted.

62. UTs without legislature work directly in PFMS and should be given Letter of Authorization (LoA). There is no need for them to open a Central Nodal Account. They will ensure that the funds are released on the basis of LoA to the vendors/ beneficiaries 'Just-In-Time'.

63. This issues with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).

Peter h 21/5/24

Annexure I

Case where Government SA is Funding Agency for Recipient SA at 3rd level

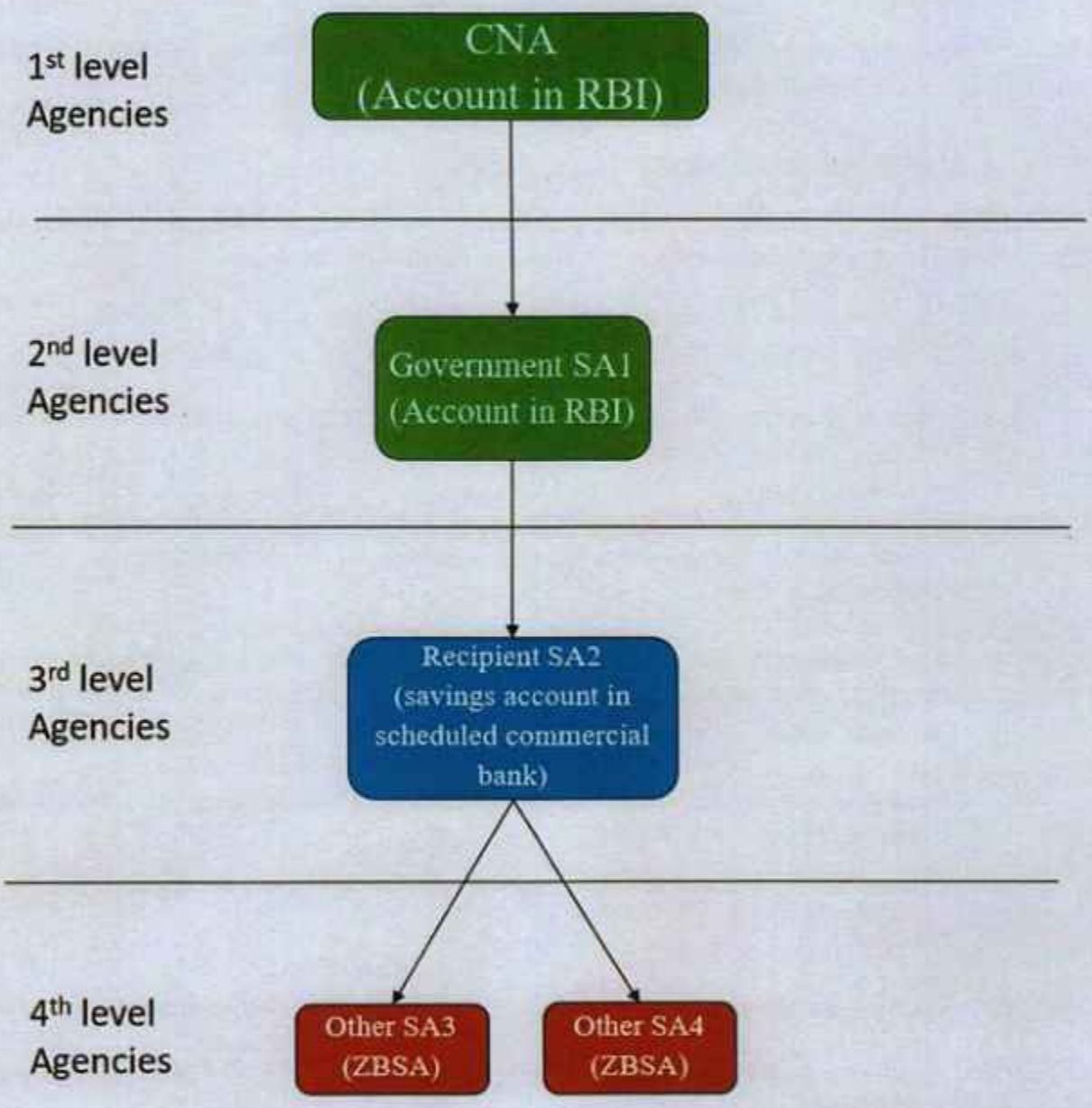

85

Annexure II

Case where CNA is Funding Agency for Recipient SA at 2nd level

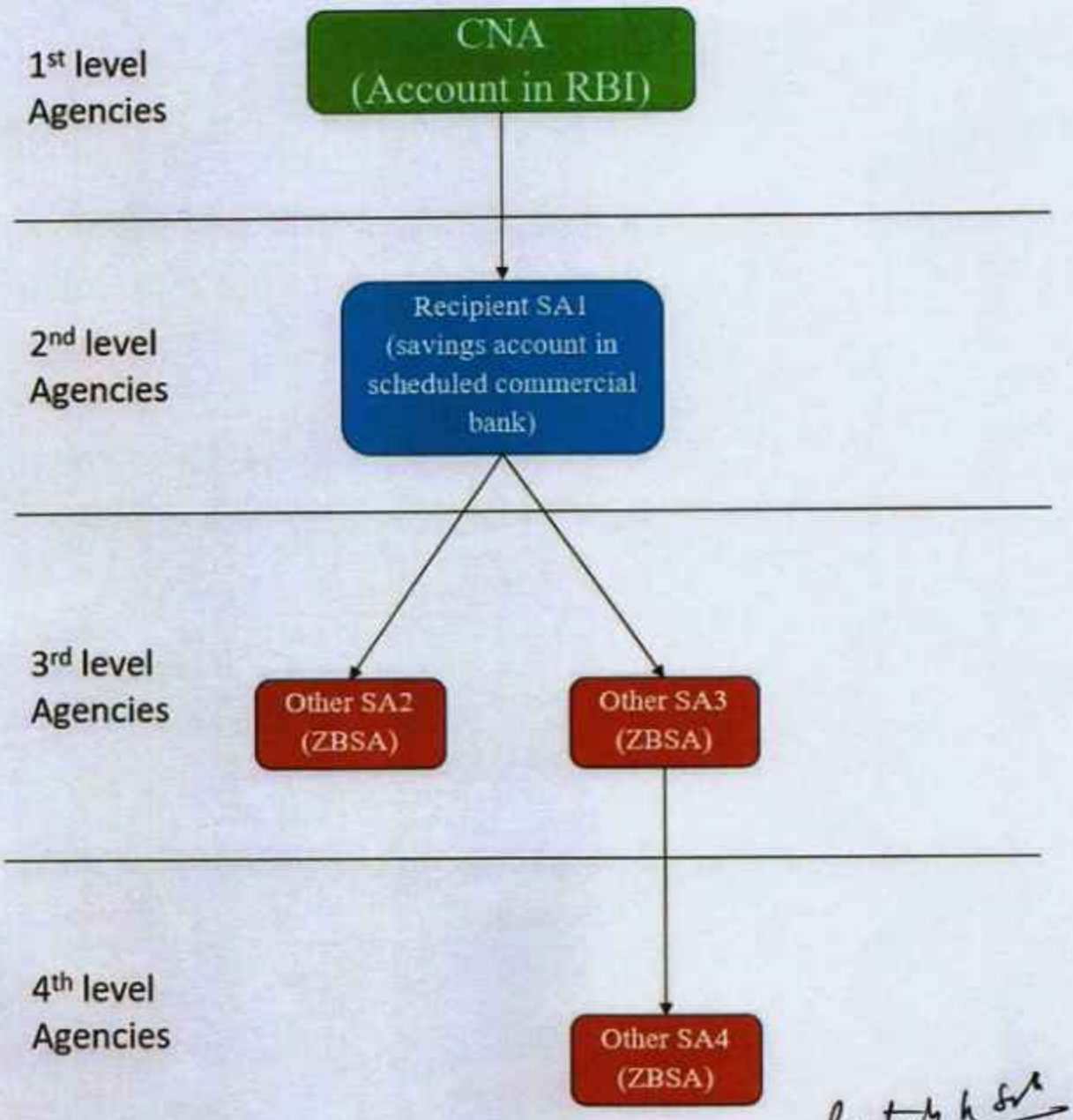

21/5/24

Annexure-4

UNDERTAKING FOR REMITTANCE OF INTEREST

This is to certify that Directorate of Economics and Statistics, Govt of ..... which is one of the designated CNAs under Support for Statistical Strengthening (SSS) sub scheme has remitted the accrued interest earned (upto DD/MM/YYYY) on the releases made under the sub scheme to Consolidated Fund of India. Copy of the Bank Statement for FY ..... is attached for confirmation of the same.

(.....Signature with seal.....)

(.....name of the officer.....)

Director / Nodal Officer

DES, ...

Dated:.....

Place:.....

Annexure 5

Template of Financial Progress Report and Physical Progress Report

GFR 12 – C

[(See Rule 239)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE (FOR STATE GOVERNMENTS)
(Where expenditure incurred by Govt. bodies only)

SI NO.	Letter No. and Date	Amount	
	Total		Certified that out of Rs.....Of grants sanctioned during the year.....in favour of .....under the Ministry/Department Letter No. given in the margin and Rs.....on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs.....has been utilized for the propose of .....for which it was sanctioned and that the balance of Rs.....remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Government (vide No. .....dated.....)/will be adjusted towards the grants payable during the next year.....

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the propose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised

1.
2.
3.

Signature.....
Designation.....
Date.....

PS: The UC shall disclose separately the actual expenditure incurred and loans and advances given to suppliers of stores and assets, to construction agencies and like in accordance with scheme guidelines and in furtherance to the scheme objectives, which do not constitute expenditure at the stage. These shall be treated as utilized grants but allowed to be carried forward.

Annexure:

1. Component wise expenditure
2. Certified Physical Progress report

Component wise Expenditure

Sl. No.	Component	Expenditure
1	Statistical Applications and enabling IT support including Hardware and software	
2	Preparation of State Strategic Statistical Plan (SSSP) and signing of MOU by States with Govt. of India	Not Applicable
3	Implementation of recommendations of Technical Groups / Bodies for filling up existing and expected / emerging data gaps, including State/UT specific additionalities (including booking of expenses of PMU)	
4	HRD issues, with a focus on Training for Capacity Development and Skills Enhancement/ up gradation, including support to Regional Training Centres	
5	Introduction of Innovative Techniques and Methodologies for improving the efficacy of statistical processes and operations	
6	Holding of regular/periodic (say once every year) User-Producer dialogues, stakeholders' consultations and Conduct of periodic (say annual) surveys on user-satisfaction.	
7	Dissemination of Annual Reports on the performance of State Statistical Systems and improving the cost effectiveness and ease of data access.	
8	Data quality and efficiency improvement measures	
9	Advocacy Issues viz. Publicity and IEC (Information, Education and Communication) to improve usage of Statistical Products & services	

Signature.....
Designation.....
Date.....

Physical Progress

Sl. No.	Component	Activity	Detailed progress
1	Statistical Applications and enabling IT support including Hardware and software	1	
		2	
		3	
2	Preparation of State Strategic Statistical Plan (SSSP) and signing of MOU by States with Govt. of India	Not Applicable	
3	Implementation of recommendations of Technical Groups / Bodies for filling up existing and expected / emerging data gaps, including State/UT specific additionalities (including booking of expenses of PMU)	1	
		2	
		3	
4	HRD issues, with a focus on Training for Capacity Development and Skills Enhancement/ up gradation, including support to Regional Training Centres	1	
		2	
		3	
5	Introduction of Innovative Techniques and Methodologies for improving the efficacy of statistical processes and operations	1	
		2	
		3	
6	Holding of regular/periodic (say once every year) User-Producer dialogues, stakeholders' consultations and Conduct of periodic (say annual) surveys on user-satisfaction.	1	
		2	
		3	
7	Dissemination of Annual Reports on the performance of State Statistical Systems and improving the cost effectiveness and ease of data access.	1	
		2	
		3	
8	Data quality and efficiency improvement measures	1	
		2	
		3	
9	Advocacy Issues viz. Publicity and IEC (Information, Education and Communication) to improve usage of Statistical Products & services	1	
		2	
		3	

Signature.....
Designation.....
Date.....

******

109473/2023

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

प्राथमिकता/समयबद्ध

अर्द्धशा0 पत्र सं0–460/168/वा.जि.यो./रा.यो.आ./2016–17
देहरादून दिनांक 24 मार्च, 2023
रा0यो0आ0, नियोजन विभाग।

महोदय/महोदया,

राज्य के नियोजित विकास एवं विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के सिद्धान्तों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधित) अध्यादेश 2020 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 की जिला योजना संरचना का कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप में पूर्ण किया जाना है। जनपद स्तर पर जिला योजना संरचना का कार्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होने के दृष्टिगत जिला योजना संरचना के कार्यों को विशेष महत्ता प्रदान करते हुए जिले की आवश्यकताओं/प्रतिबद्धताओं का गहन परीक्षण कर जिला योजना तैयार की जाय।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 की जिला योजना हेतु ₹ 925.61 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गई है। उक्त धनराशि का एस.सी.एस.पी एवं टी.एस.पी. मदों सहित जनपदवार फाँट परिशिष्ट–I में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। जिला योजना संरचना हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

(1) जनपदों के विकास हेतु जिला योजनाओं का समय से कियान्वयन होना आवश्यक है। कुछ विभाग यथा–वन, कृषि, उद्यान, लोक निर्माण विभाग आदि की योजनायें सामयिक (seasonal) होने के दृष्टिगत योजनाओं का समय से अनुमोदन न होने के कारण ऐसी योजनायें पूर्ण नहीं हो पाती है, जिससे जनपद के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक जनपद द्वारा जिला नियोजन समिति (डी0पी0सी0) की बैठक में जिला योजना का अनुमोदन कर अनुमोदित जिला योजना माह अप्रैल, 2023 तक अनिवार्य रूप से नियोजन विभाग, राज्य योजना आयोग को उपलब्ध करा दी जाय।

(2) जिला योजना संरचना में ₹ 3.00 लाख की कुल लागत से कम की योजनाओं को जिला योजना में सम्मिलित न किया जाय।

(3) जिला योजना में ऐसी योजनाओं/कार्यों का ही चयन किया जाय जिन कार्यों को उसी वित्तीय वर्ष या अधिकतम 02 वर्ष में पूर्ण किया जा सके ।

(4) अवशेष/चालू कार्यों हेतु सर्वप्रथम धनराशि इस प्रकार आवंटित की जाय, ताकि उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्ण हो जाय।

(5) पुराने चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि आवंटित किये जाने के उपरान्त ही ₹ 3.00 लाख से अधिक की धनराशि के नये कार्य चयनित किये जायें।

(6) नये कार्यों हेतु सम्पूर्ण धनराशि का प्राविधान वर्ष 2023–24 की कार्य योजना में ही किया जाय। यदि किसी कारण यह संभव न हो तो कुल लागत की न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में व अवशेष धनराशि आगामी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से प्रस्तावित की जाय।

(7) जिला योजना संरचना में जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र की योजनाओं का समानुपातिक रूप से चयन किया जाय। किसी क्षेत्र विशेष हेतु अधिकतम योजनाओं का चयन न किया जाय। यदि किसी कारण से किसी विशेष क्षेत्र हेतु अधिकतम योजनाओं का चयन किया जाता है तो उनका कारण सहित उल्लेख किया जाय।

(8) जिला योजना के अन्तर्गत निर्मित योजनाओं के रख–रखाव हेतु धनराशि का प्राविधान करते समय मितव्यवता का ध्यान रखा जाये व पूँजीगत निर्माण कार्यो हेतु यथासम्भव अधिक धनराशि का प्राविधान रखा जाये।

(9) **स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा** देने हेतु उद्यान, पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, आदि विभागों तथा आजीविका से सम्बन्धित कार्यों के प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाय। इस हेतु अन्य केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं से Convergence तथा Cluster approach को बढ़ावा दिया जाय। स्वरोजगार से सम्बन्धित योजनाओं में कम से कम 15% धनराशि के प्रस्तावों को जिला योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाय।

(10) जिला योजना में ऐसी योजनायें/कार्यक्रमों को प्रायः न रखा जाय जो राज्य योजना/केन्द्र पोषित योजना में संचालित/वित्त पोषित हों ताकि समानान्तर योजनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो। यदि केन्द्रीय/राज्य सेक्टर योजनाओं में लक्ष्य कम होने की स्थिति में यथावश्यक जिला योजना से अतिरिक्त Target हेतु funding की जाती है तो ऐसी योजनाओं में सब्सिडी का अंश Regular योजनाओं के अनुरूप ही रखा जाय।

(11) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिला योजना में मानदेय भुगतान के मदों हेतु नितान्त आवश्यक धनराशि का प्राविधान ही किया जायें।

उत्तराखण्ड क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप चालू योजनाओं की महत्ता, योजना के स्थानीय लाभ, रोजगार सृजन की सम्भावनायें, उत्पादकता तथा अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं का परीक्षण, जिला योजना समिति द्वारा इस दृष्टिकोण से अवश्य कर लिया जाय कि ऐसी योजनायें/कार्यों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी रखे जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं। योजनाओं के गहन परीक्षणोपरान्त अनावश्यक/अनुपयुक्त योजनायें जिनकी उपादेयता अब क्षेत्र के लिये आवश्यक नहीं रह गयी है, जीरो बेस बजटिंग के सिद्धान्त के आधार पर समीक्षा करके यथा आवश्यकता उन्हें समाप्त किया जाये। विभिन्न समरूपी योजनाओं का युक्ति संगतीकरण
(Rationalization) करके योजनाओं को प्रोजेक्ट रूप में समयबद्ध पूर्ण करने हेतु जिला योजनाओं में रखा जाय।

जिला योजना के लिये निर्धारित वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विभागवार Write Up निम्न को सम्मिलित करते हुये नियोजन विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाय।

1. सेक्टर/कार्ययोजना की संकल्पना (Vision) उद्देश्य एवं लक्ष्य तथा आउटकम ।
2. अभिनव पहल (New Initiatives)
3. नई/चालू योजनाओं का योजनावार औचित्य सहित संक्षिप्त विवरण
4. जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की सम्भावित पूर्ति का विवरण

उपरोक्त विवरण के साथ ही निम्न चार नक्शों को भी तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जायः पहले नक्शे में जिले की मूल भौतिक रेखायें स्पष्ट दिखायी जाये। इसमें कन्टूर (Contour) द्वारा ऊँचाई, वर्षा, नदियाँ, वन क्षेत्र, मिट्टी की प्रधान किश्में, भूमिगत जल की उपलब्धता, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, पानी के भराव (Water Logging) क्षेत्र, कटान ग्रस्त (Ravines) क्षेत्र दिखाये जायें।

दूसरे नक्शे में फसल पद्धति (Cropping Pattern) दिया जाय। विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल भी इंगित कर दिया जाय। इसी नक्शे में औद्योगिक केन्द्र, प्रमुख उद्योगों के स्थल, आदि भी प्रदर्शित किये जाये।

तीसरे नक्शे में संचार प्रणाली, सड़क एवं विद्युत वितरण लाइनों के केन्द्र दर्शाया जाय। विद्युत वितरण में स्पष्ट रूप से 133 के०वी०, 66 के०वी०, 33 के०वी० एवं यथा संभव 11 के०वी० का अंकन किया जाय। प्रमुख सड़कों को राष्ट्रीय राजकीय एवं जिला मार्गों के रूप में प्रदर्शित किया जाय। सिंचाई प्रणाली में नहरों एवं गूलों की लम्बाई/क्षमता भी यथा सम्भव दी जाय।

चतुर्थ नक्शे में प्रशासनिक केन्द्रों तहसील एंव विकास खण्डों को दिखाया जाय। साथ ही निम्न विवरण को भी दर्शाया जाय।

1. 1000 से ऊपर जनसंख्या (2011) के गांव
2. 500 से ऊपर जनसंख्या (2011) के गांव
3. नगर निगम / नगर पालिकायें
4. स्वास्थ्य सुविधायें
5. शिक्षण संस्थायें
6. पशु चिकित्सा सुविधायें
7. कृषि सेवा केन्द्र
8. बीज, उर्वरक एवं कीट नाशक वितरण केन्द्र
9. बैंकिंग एवं ऋण सुविधा केन्द्र
10. पेयजल सुविधा
11. कलस्टरों का विवरण

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधित) अध्यादेश 2020 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 की जिला योजना संरचना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर लिया जाय तथा नियमानुसार अनुमोदित जिला योजना को संलग्न निर्धारित प्रारूप सं0–1 से 8 में हार्ड कापी एवं सॉफ्ट कापी ई–मेल planning39@gmail.com में राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न यथोपरि।

समस्त जिलाधिकारी (नाम से)

भवदीय,

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 24-03-2023 15:44:55

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

पृ० सं०– 460 /168/वा.जि.यो./रा.यो.आ./2016–17 तददिनांकित ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त निजी सचिव, मा० प्रभारी मंत्रीगण, जिला योजना समितियों को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने विभागाध्यक्षों/जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिला योजना संरचना के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश भेजने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग को इस आशय से प्रेषित कि जिला योजना 2023–24 हेतु जनपदवार SCSP/ TSP के लिए निर्धारित फॉंट के क्रम में विस्तृत मार्ग निर्देश समस्त विभागाध्यक्षों/जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव, मा० नियोजन मंत्री को मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
7. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
10. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड ।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

/109473/2023

जिला योजना वर्ष 2023–24 की संरचना हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

जिला स्तर पर जिला योजना की संरचना के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न कार्यक्रमों के लिये जिला सेक्टर परिव्यय के निर्धारण का है। विभिन्न कार्यक्रमों को किस सीमा तक परिव्यय उपलब्ध कराया जाय यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों हेतु विभागीय अधिकारियों का यह प्रयास रहता है कि उनके कार्यक्रमों के लिये जिला सेक्टर परिव्यय का अधिक से अधिक भाग उपलब्ध हो। विभागीय अधिकारियों का सामान्यतः यह प्रयास स्वाभाविक है, कि विभागीय कार्यक्रमों के संचालन एवं विस्तार का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है। सामान्यतः जिलास्तर पर सीमित संसाधनों को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर परिव्यय का विभाजन संतुलित दृष्टिकोण के अभाव में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं होती है। राज्य स्तर पर प्राप्त जिला योजनाओं में विसंगतियां इंगित करते हुए उनमें संशोधन कर दिया जाता है। **अतः यह आवश्यक है कि विभागों द्वारा अपने विभागीय कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत निर्देश जिला योजना संरचना का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जारी किया जाना चाहिये।**

जिला योजना संरचना हेतु उपलब्ध परिव्यय में से जनपद की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुक्रम में विभिन्न विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु परिव्यय उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्राथमिकता/कोटिक्रम निर्धारित किया गया है।

1. चालू कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आगामी वर्ष का अनुमानित व्यय ।
2. चालू कार्यक्रमों/योजनाओं में अपरिहार्य विस्तार तथा उन पर होने वाला व्यय ।
3. केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं अथवा ऐसी अन्य योजनाओं हेतु राज्यांश ।
4. नये कार्यक्रम/योजनाये तथा उन पर अनुमानित व्यय ।

उक्त के अतिरिक्त उन कार्यक्रमों/परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी है जिनसे अन्तर्विकास खण्ड स्तर पर असंतुलन समाप्त हो सके। योजना की संरचना में स्थानीय लोगों के सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ–साथ स्थानीय अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के सहयोग से जिला योजना का निर्माण किया जाय। पर्वतीय क्षेत्र की समस्याये अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ भिन्न हैं । प्रस्तावित योजना को निम्न मूलभूत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नीति सिद्वान्तों के आलोक में बनाने का हरसम्भव प्रयास किया जायः–

(i) कार्यक्रमों के कियान्वयन से संवृद्वि के साथ–साथ सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो। विकास के प्रस्तावित कार्यक्रमों द्वारा रोजगार एवं विकास के अवसर, विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्गो के लिए, उपलब्ध हो सके।

(ii) जनपद के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम एवं सर्वोत्तम उपयोग हो ,जिससे आय तथा स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार एवं रोजगार दोनों में वृद्वि हो सके।

(iii) भूमि, पशुधन, लघु उद्योगों की उत्पादकता की वृद्वि हो सके। इस प्रकार के विकास से जो लाभ सम्भावित हो उसका अधिकांश भाग समाज के दलित वर्ग, छोटे किसान, भूमिहीन कृषक तथा ग्रामीण उद्य मियों को मिले ।

(iv) राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों जिसमें – प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य एंव पेयजल, ग्रामीण सड़के, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास, पर्यावरण सुधार की अधिकाधिक पूर्ति हो सके ।

(v) ऐसे सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थापनाओं का निर्माण किया जाय जिनसे उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हो सके ।

(vi) अवस्थित अवस्थापनाओं /संस्थाओं को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाय, जिनसे निर्धनों के हितों की रक्षा हो सके ।

(vii) रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन किया जाय जिनसे भूमिहीन, छोटे कृषकों, दलित वर्ग, ग्रामीण उद्यमियों आदि को लाभ प्राप्त हो सके ।

(viii) योजनाओं का चयन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण स्थानीय अधिकारियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से किया जाय।

(1) संसाधनों का उपयोगः–

जिला योजना समिति द्वारा योजना बनाते समय संसाधनों के उपयोग की प्रभावी कुशलता एवं समानता पर बल दिया जायेगा एवं विभिन्न विकल्पों का परीक्षण कर निवेश बहुत ध्यान पूर्वक किया जायेगा। वर्तमान में स्थानीय निकायों को ज्यादा संसाधन प्राप्त हो रहे है, फिर भी स्थानीय विकास की सभी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, स्थानीय रूप से भी अतिरिक्त संसाधन जुटाना वांछनीय है। विकास परियोजनाओं आदि में स्थानीय लोगों से व्यक्तिगत और सामुदायिक भागीदारी के रूप में अंशदान किया जा सकता है ।

1. सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को यथा सम्भव सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये, भूमिहीन परिवारों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
2. नगर पालिकायें एवं नगर निगम उन विस्तृत नगर नियोजन योजनाओं को प्राथमिकता दें जो पहले से ही स्वीकृत हो चुकी है, एवं अपूर्ण है। वे स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन तथा गंदी बस्ती विकास आदि पर विशेष जोर दिया जाय ।
3. वर्तमान परिसम्पत्तियों के पुनर्वास को प्राथमिकता तथा उनका श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन परिसम्पत्तियों में बाजार, स्कूल, अस्पताल, जल आपूर्ति व्यवस्था, लघु सिचाई प्राणालियां आदि सम्मिलित की जा सकती है ।
4. पारम्परिक लघु कुटीर उद्योगों के उन्नयन तथा गरीबी उन्मूलन के लिए लगाये जाने वाले लघु उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी जाय। जिला पंचायतों और बडी नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससें निजी निवेश भी प्रोत्साहित हो विशेषकर रोजगार सृजन में ।

(2) जिला योजना के अन्तर्गत विभागों की भूमिकाः–

- जनपदों की विकास योजना संरचना के समय विभागीय विकास योजनाओं को जिला योजना में शामिल कराने के संबंध में विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- योजनाओं का चयन करते समय यह अपेक्षा की जाती है कि ग्राम पंचायत विकास योजना/क्षेत्र पंचायत विकास योजना/जिला पंचायत विकास योजना में चयनित/सम्मिलित योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाय।
- समस्त विभागों द्वारा निर्माण से संबंधित योजनाओं को जिला योजना समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु रखे जाने से पूर्व समस्त योजनाओं की आवश्यकता, स्थल चयन में किसी प्रकार का विवाद न होने विषयक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- जिला सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजनाओं को किसी भी अन्य सेक्टर की अन्य मद में प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
- जिला योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण संबंधी योजनाओं में प्रथम किश्त का बजट आंवटन संबंधी पत्रावली में निर्माण प्रारम्भ होने से पूर्व की फोटो तथा अन्तिम किस्त जारी करने के समय निर्माण समाप्त होने के पश्चात् की फोटो अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिये।
- निर्माण कार्यों के आगणनों की तकनीकी जॉच जनपद स्तर पर गठित तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (TAC) से अनिवार्य रूप से करायी जाय।
- द्वितीय किश्त जारी होने की स्थिति में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- चालू योजनाओं में धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व टास्कफोर्स/तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति से सत्यापन अवश्य करा लिया जाय।
- जिन योजनाओं की उपादेयता के संबंध में किसी जनपद विशेष को सन्देह है, उन्हें संतुष्ट करने और नई योजनाओं के लिये समुचित प्राविधान किये जाने हेतु विभागों द्वारा पहल की जाय।

- योजनाओं का सम्पादन एवं उन पर किये जाने वाला व्यय सार्थक सिद्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस संबंध में विभागों के जनपद/मण्डल और राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा समन्वित भूमिका अदा की जायेगी।
- विभागीय योजनाओं के संबंध में उनकी आवश्यकता, मानक, वचनबद्ध व्यय, केन्द्रांश, स्थल चयन, आगणन आदि के संबंध में विस्तृत मार्गनिर्देश विभागों द्वारा यथा आवश्यकता पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
- विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में नियमित रूप से प्रतिवेदन जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जिला योजना समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु समिति के सचिव/संयुक्त सचिव को उपलब्ध कराया जायेगा।
- जिला स्तर पर भी विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का आंकलन करके उसके अधिकतम उपयोग तथा नियमित अनुश्रवण किया जाना चाहिये।

(3) **अप्रयुक्त परिसम्पत्तियों का उपयोगः–** जनपदों में सृजित परिसम्पत्तियों का शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाये तथा विभागों से इनके उपयोग का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय ताकि निर्मित परिसम्पित्तियों का लाभ जनसामान्य को सुलभ हो सके।

(4) **अधूरे कार्यों/चालू योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकताः–** विगत वर्षों में अनुमोदित योजनाओं में पर्याप्त धनराशि आवंटित होने के बावजूद भी अधिकाश निर्माण कार्य अधूरे रह जाते है, जिससे योजना का लाभ लक्षित वर्ग को नहीं मिल पाता है। ऐसे सभी निर्माण संबंधी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि अधूरे कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने हेतु वरीयता निर्धारित की जाय, अर्थात पहले उन योजनाओं को पूर्ण किया जाय जिन पर 80 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है, तदोपरान्त 50 प्रतिशत इसके पश्चात 25 प्रतिशत से अधिक कार्य वाली परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु जिला योजना में सम्मिलित किया जाय। लोक निर्माण विभाग, जल निगम एवं सिचाई विभाग (नलकूप सहित) जैसे विभागों को राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजना से भी धनराशि प्राप्त होती रहती है इसलिए उक्त विभागों की अपेक्षा अन्य विभागों को जिला योजना में प्राथमिकता दी जाय। नवीन योजनाओं हेतु कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था चालू वर्ष में कर ली जाय। अर्थात टोकन मनी के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति प्रदान न की जाय।

(5) **प्राकृतिक जल स्रोतों का संवर्धन एवं वर्षा जल का उपयोगः–** राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों के स्राव में निरन्तर हो रही कमी को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि जल के कुशल प्रबन्धन एवं मितव्ययी उपयोग के साथ–साथ जल स्रोतो के जल ग्रहण क्षेत्रों (Catchment area) में संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाय। अतः यह आवश्यक है प्रस्तावित योजनाओं में जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को भी अनिवार्य रूप से प्रस्तावित किया जाय। प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना एवं कृषकों की आय दुगनी करना, भारत सरकार तथा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अतः जल की निरन्तर बढ़ रही मॉग को देखते हुए वर्षा जल के दोहन एवं उपयोग की नितान्त आवश्यकता है। समस्त विकास कार्यों में वर्षा जल का भण्डारण एवं उपयोग के साथ–साथ वर्षा जल को छत के माध्यम से एकत्रित कर उसको अघरेलू कार्यों हेतु उपयोग किया जाय। उद्यान विभाग/जल संरक्षण के कार्यों को मनरेगा/नरेगा से डबटेलिंग किया जाय।

(6) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिला योजनान्तर्गत सामान्य, एस0सी0एस0पी0 हेतु 19 प्रतिशत एवं टी0एस0पी0 हेतु 03 प्रतिशत मदों में बजट प्राविधान किया जाता है। एस0सी0एस0पी0 एवं टी0एस0पी0 मदों में उन्ही श्रेणी के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था है अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था नहीं है। यदि एस0सी0एस0पी0 एवं टी0एस0पी0 मद की कोई योजना जिसमे लाभार्थी संतृप्त (Saturation) हो चुके हो तो विभाग क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य कोई लाभार्थीपरख योजना उन्ही मदों **(S.C.S.P, T.S.P)** में जिला योजना समिति **(D.P.C)** से अनुमोदित करा सकता है जिससे अखिल जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के कुल निर्धारित व्यय में परिवर्तन न हो।

(7) **अन्तर्विभागीय समन्वय की आवश्यकताः–** जल संस्थान, लघु सिंचाई, वन एवं पर्यावरण आदि विभागों में मरम्मत की योजनाओं पर धनराशि आवंटित करने से पहले निर्माण वर्ष एवं मरम्मत की पुनरावृत्तियों को आवश्यक रूप से संज्ञान में लाया जाय। जहां आवश्यक हो, यथासम्भव अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर समन्वित रूप से प्रस्ताव बनायें जायें ताकि कार्यों की अधिव्याप्ति **(Overlapping)** न हो। यथा–कृषि, उद्यान, सिचाई, लघु सिचाई, पशुपालन/चारा बैंक, दुग्ध एवं मत्स्य विकास, ग्राम्य विकास/पंचायतीराज आदि विभागों के कार्यक्रमों में **Integrated Cluster Approach** से अधिक लाभ मिल सकेगा। इस हेतु **Integrated Information Development System** तैयार किया जाय। प्रत्येक विकास खण्ड में एक गांव का **Micro Integrated Plan** तैयार कर प्रस्ताव दिये जाय।

(8) **अन्तर्विकासखण्डीय संकेतकों का प्रयोगः–** नियोजन की अवधारणा के अनुरूप संतुलित क्षेत्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पिछडे/असेवित क्षेत्रों/बार्डर ऐरिया ब्लाकों को विकास कार्यक्रमों से प्रथमतः आच्छादित किया जाय। अतः अवस्थापना से संबंधित विभाग योजना प्रस्ताव तैयार करने में विकासखण्ड स्तरीय संकेतांकों के आधार पर क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास अवश्य करें ताकि संतुलित विकास की अवधारणा साकार हो सके। प्रत्येक ब्लॉक में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना **(SECC Survey)** के आधार पर वंचित **(deprived)** जनसंख्या का भी इसके लिये संज्ञान लिया जाय।

(9) **अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजनः–** रोजगार पूरक योजनायें यथा–मत्स्य पालन, कुक्कट पालन, पशुपालन, डेरी, उद्योग, फलोत्पादन, शहतूत, वृक्षारोपण एवं अन्य स्थान विशेष के लिये उपयोगी रोजगार पूरक योजनाओं को जिला योजना में सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया जाय। जनपद में संचालित नवप्रवर्तन एवं उपलब्ध संसाधनों के विदोहन के आधार पर योजनायें तैयार की जाय ताकि जनपदों से पलायन को रोका जा सकें। **पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पलायन प्रभावित ग्रामों में ऐसी योजनायें रखी जाय जो पलायन रोकने में सहायक हो सके।**

(10) **पूर्वगामी एवं पश्चगामी अन्तर्सम्बन्धन (Forward & Backward Linkages)** :– विशेषकर उत्पादन से जुडे हुए विभागों के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन बढाने/गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन से संबंधित समस्त पहलुओं पूर्वगामी एवं पश्चगामी अन्तर्सम्बन्धन पर सम्यक विचार कर लिया जाय। उदाहराणर्थ–फलों के उत्पादन बढाने हेतु फल, पौधों, कीटनाशक, उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं वित्त पोषण, रख–रखाव प्रशिक्षण आदि पूर्वगामी पहलुओं तथा फल उत्पादन के उपरान्त विपणन, शीत भण्डारण, पैंकिग, प्रसंस्करण इत्यादि पश्चगामी पहलुओं/प्रभावों पर पूर्व में ही विश्लेषण कर लिया जाय। इस हेतु Cluster Approach को प्राथमिकता दी जाय, जिससे उत्पादित सामग्री का विक्रय/लाभार्जन सुचारू रूप से सम्पादित हो सके ।

(11) **विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं से डबटेलिंग के आधार पर वित्त पोषणः–** विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का आंकलन करने के साथ युगपतीकरण एवं केन्द्राभिसरण (Dovetailing and Convergence) किया जाय। इससे राज्य संसाधनों पर व्यय भार कम हो सकेगा। इस संबंध में अन्तर्विभागीय संसाधनों से समन्वय आवश्यक है। योजना प्रस्तावों में इन कार्यक्रमों की गत 05 वर्षों की वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों के आधार पर कार्य योजना तैयार कर जी जाय।

(12) **जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर किये जा रहे नवोन्मेशी/नवाचार** (Innovation) कार्यक्रमों को लिया जाना आवश्यक है, इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार/नवप्रवर्तन कार्यक्रमों को पायलेट के रूप में संचालित किया गया है, जो अत्यन्त सफल भी रहें है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न जनपदों के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में E- Learning/IT आधारित शिक्षा के प्रयोग, एक गॉव एक खेत (One Village One Farm) जिसके अन्तर्गत एक ही गॉव में Virtual Consolidation (आपसी सहमति से अस्थायी चकबन्दी) के आधार पर एकीकृत कृषि विकास जिसमें सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बेमौसमी सब्जी (पॉली हॉउस) मधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन मशरूम उत्पादन आदि शामिल है तथा बालिकाओं के विद्यालयों में सैनेट्री नैपकिन, वैण्डिग मशीन, सैनेट्री नैपकिन निर्माण आदि इको पर्यटन, विभिन्न प्रजाति के मशरूम उत्पादन गैनोंडर्मा मशरूम तथा गुच्छी मशरूम पर्यावरण संरक्षण के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा के लिए कृषि

हेतु उपयोग में लाये जाने वाले हलों में लकडी के स्थान पर लोहे के हल के निर्माण एवं उपयोग किये जा सकते है।

(13) जिला सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं को अन्य सेक्टर में कदापि न रखा जाय जिला सेक्टर के अन्तर्गत योजनाओं/मदों की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अन्य सेक्टर (राज्य/केन्द्र एवं वाह्य सहायतित) में **योजनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो।**

(14) विद्यालय/आंगनवाडी में उपलब्ध संसाधनों एवं संस्था की आवश्यकता के **गैप को मध्यनजर** रखते हुये उक्त विभागों हेतु बजट प्रावधान किया जाय।

(15) **सफल अभिनव परियोजनायें (Successful Innovative Projects)** के अन्तर्गत **Wellness Center** का विकास, आयुष विकास कौशल कार्यक्रम रोजगार परक योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय।

(16) विभिन्न **लाभार्थीपरक योजनाओं** एवं स्वरोजगार योजनाओं हेतु बजट आवंटन प्राथमिकता में किया जाय। तथा स्वरोजगार की सम्भावना वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण, क्षमता विकास आदि कार्यक्रमों हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान कर लिया जाय।

(17) आर्थिक विकास से संबंधित विभाग जैसे पशुपालन, दुग्ध, कृषि, उद्यान, मत्स्य, सहकारिता, रेशम, जडी–बूटी इत्यादि विभागों में प्रभावी समन्वय हेतु **Gap Finding** कर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बजट उपलब्ध कराया जाय।

(18) जिला योजना के सदस्य सचिव, मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि जिला योजना की धनराशि में **Parking of Fund न** हो। इस हेतु कार्य प्रारम्भ होने की दशा में ही स्वीकृत धनराशि संबंधित को अवमुक्त की जाय।

(19) निर्माण संबंधी कार्यों हेतु नियोजन विभाग के पूर्व शासनादेश सं0 624/जि0यो0आ/मु0स0/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप निर्माण कार्यों की जांच **TAC एवं Third Party Inspection** द्वारा अवश्य करायी जाय। यथा आवश्यकता इस हेतु धनराशि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

(20) जिला योजना के सभी अस्थाई/स्थाई निर्माण कार्यों का **नियमित अनुश्रवण** किया जाय। इस हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला स्तर के विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य तीन विभागों के अधिकारियों के दल द्वारा जिला योजना समिति से स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर निम्न तीन सदस्यीय दल द्वारा **सत्यापन/मूल्यांकन** किया जाय।

I. अध्यक्ष– संबंधित विभाग का उच्चाधिकारी
II. सदस्य– अन्य विभाग का उच्चाधिकारी (जिलाधिकारी की अनुमति से)
III. सदस्य– अन्य विभाग का तकनीकी उच्चाधिकारी (जिलाधिकारी की अनुमति से)

उक्त दल द्वारा कार्यस्थल की निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला योजना समिति, को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्यों की स्वीकृत धनराशि को दो भागों में संबंधित कार्यों हेतु आंवटित किया जाय, साथ ही उक्त समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्धारित/स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में निर्धारित गुणवत्ता सहित पूर्ण हों। स्वीकृत कार्यों के प्रस्तावित योजना अनुरूप सम्पादन एवं गुणवत्तायुक्त होने का उत्तरदायित्व संबंधित समिति का होगा।

(21) **वर्तमान में प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्यों** के नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण का कार्य जिला स्तर पर भी किया जा रहा हैं। उक्त के क्रम में गत वर्ष जिला स्तर पर एस0डी0जी0की कार्य योजना तैयार करने के दिशा निर्देश शासन स्तर से प्रेषित किये गये थे। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2020–21 तक जिलावार एस0डी0जी0 सूचकांक एवं रैकिंग तैयार की गयी है, जो **www.cppgg.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है। उक्त Index के आधार पर जिन संकेतकों/कार्यक्रमों में

अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, उनमें प्रगति लाने हेतु जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि का प्रावधान कर लिया जाय।

(22) **जिला योजना के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों के आउटकम का आंकलन** किया जाना भी आवश्यक है। अतः जिला योजनाओं का आउटकम आधारित अनुश्रवण किया जाय।

(23) **निर्माण से संबंधित समस्त योजनाओं की Geo Tagging** अवश्य करा ली जाय तथा कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् **Geo Tagging** करना सुनिश्चित किया जाय, ताकि एक ही योजना की बार–बार पुनरावृति न होने पाये।

(24) जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की मरम्मत संबंधी योजनाओं को स्वीकृत करने से पूर्व उक्त कार्यों के निर्माण से संबधित **मूल डी0पी0आर0 का अवलोकन अवश्य** किया जाय ताकि यदि उक्त निर्माण का समय निर्धारित सेवा शर्तों एवं समयावधि के अन्तर्गत है तो उक्त मरम्मत संबंधी कार्य संबंधित कार्यदायी संस्था से निशुल्क पूर्ण कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित निर्माण कार्य किस वर्ष में पूर्ण हुआ था तथा उक्त निर्माण कार्य की आयु कितनी निर्धारित थी खराब गुणवत्ता के निर्माण कार्यों को जिला योजना के अन्तर्गत मरम्मत की धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत न की जाये। विभागीय मद से ही उक्त कार्य कराया जाये तथा खराब निर्माण कार्यों हेतु जिम्मेदार कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(25) **जिला योजना के अन्तर्गत छोटी योजनाओं को प्राथमिकता** प्रदान की जाय, तथा बड़ी एवं बहु ग्राम **(Multi Village Schemes)** योजनाओं को राज्य सैक्टर अथवा केन्द्र पोषित योजनाओं में प्रस्तावित किया जाय।

(26) जिला सेक्टर के अन्तर्गत चयनित योजनाओं में बजट प्राविधान हेतु राज्य सेक्टर एव केन्द्र पोषित योजनाओं यथा मनरेगा, जलागम, स्वजल जैसी योजनाओं के साथ **युगपतिकरण (Convergence) किया जाय।**

(27) **सौन्दर्यीकरण/साज–सज्जा** जैसे प्रस्तावों को जिला योजना में कतई स्वीकार न किया जाये व इन कार्यों को अनिवार्य रूप से विभागीय मदों से ही कराया जाय।

(28) जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर को छोडते हुए शेष 11 जनपदों के 16 विकासखण्ड **"आकांक्षी विकासखण्डों"** के तौर पर अभिचिन्हित किये गये हैं। उपर्युक्त 11 जनपदों में से प्रत्येक जनपद में कम से कम एक विकासखण्ड आकांक्षी विकासखण्ड विद्यमान है। अतः जिला योजना संरचना में कार्यक्रमों के चयन, कियान्वयन एवं अनुश्रवण में इन आकांक्षी विकासखण्डों पर विशेष ध्यान दिया जाय, ताकि ये आकांक्षी विकासखण्ड अन्य समुन्नत विकासखण्डों के समकक्ष आ सके।

(29) Untied Fund का उपयोग यथावश्यकता जिला सेक्टर में महत्त्वपूर्ण कार्यों के Gap को Fill करने हेतु भी किया जाय।

(30) जनपद में जिला सेक्टर परिव्यय से इतर प्राप्त/उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी जिला सेक्टर विकास योजना हेतु किया जाय।

(31) जिला योजनाओं में आंकाक्षी जनपदों को भारत सरकार से प्राप्त Incentive धनराशि के प्रस्तावों को भी सम्मिलित किया जाय जिससे सम्बन्धित सेक्टर में अन्य स्रोत से धनराशि की उपलब्धता में Duplicacy न होने पाय।

****

परिशिष्ट–I

वित्तीय वर्ष 2023–24 में जिला योजना हेतु प्राविधानित धनराशि का जनपदवार विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.	जनपद का नाम	सामान्य	एस.सी.एस.पी	टी.एस.पी.	कुल प्राविधानित धनराशि (2+3+4)
0	1	2	3	4	5
1	नैनीताल	5176.14	1247.00	75.00	6498.14
2	ऊधमसिंहनगर	5163.77	951.00	753.00	6867.77
3	अल्मोडा	5290.49	1608.00	21.00	6919.49
4	पिथौरागढ	4665.48	1585.00	394.00	6644.48
5	बागेश्वर	3991.19	1466.00	62.00	5519.19
6	चम्पावत	4415.87	945.00	41.00	5401.87
7	देहरादून	7127.91	1190.00	890.00	9207.91
8	पौडी गढवाल	9159.51	1895.00	52.00	11106.51
9	टिहरी गढवाल	7402.31	1394.00	18.00	8814.31
10	चमोली	5225.34	1334.00	316.00	6875.34
11	उत्तरकाशी	5319.28	1657.00	111.00	7087.28
12	रूद्रप्रयाग	4356.21	1015.00	13.00	5384.21
13	हरिद्वार	4903.48	1300.00	31.00	6234.48
	योग	72196.98	17587.00	2777.00	92560.98

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख(I)

भाग–3

मैनुअल संख्या–6 से 17

अर्थ एवं संख्या विभाग
उत्तराखण्ड–देहरादून।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
माह मार्च, 2024 की परिलब्धियाँ (₹ में)

जनपद का नाम :– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा

मण्डल का नामः– कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी। अधिकारी /कर्मचारी के माह मार्च , 2024 का वेतन

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0/ सी0पी0एस0एन0पी0	वेतन मैट्रिक्स	लेबल	वेतन	मंहगाई भत्ता	डी0ए0 एरियर	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता /बॉर्डर भत्ता	स्कूटर भत्ता /वाहन भत्ता	कम्प्यूटर भत्ता /अन्य भत्ते	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सुश्री रेनु	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	BRXPR9616L	56100-177500	10	59500	29750	4760	सरकारी आवास का उपयोग	540	0	0	94550
2	श्री कुन्दन लाल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	CPU/57021	44900-142400	10	77700	38850	6216	5650	540	1200	460	130616
3	श्रीमती कोमल साह	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110080974848	44900-142400	7	56900	28450	4552	4500	460	1200	0	96062
4	श्री उदित कुमार वर्मा	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110061085267	44900-142400	7	58600	29300	4688	4500	460	1200	0	98748
5	श्री खीमपाल सिंह घम्याल	प्रधान सहायक	GAU/83155	35400-112400	6	47600	23800	3808	3550	420	0	0	79178
6	कुल्सुम परवीन	वरिष्ठ सहायक	110073748154	29200-92300	5	31900	15950	2552	2950	280	0	0	53632
7	श्री रमेश चन्द	जीप चालक	110193888155	21700-69100	3	26000	13000	2080	सरकारी आवास का उपयोग	200	0	0	41280
8	श्री हर सिंह	अनुसेवक	NTL/2944/00004	21700-69100	3	39800	19900	3184	2550	240	0	90	65764
	योग					**398000**	**199000**	**31840**	**23700**	**3140**	**3600**	**550**	**659830**

प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2024 की परिलब्धियां रू0 में

जनपद/केन्द्र का नामः– बागेश्वर।

मण्डल का नामः– कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0/ सी0पी0एस0एन0 न0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेवल	मूल वेतन रू0	सी0पी0ए0 रू0	विशेष वेतन रू0	महंगाई भत्ता / ऐरियर रू0	मकान किराया भत्ता रू0	पर्वतीय विकास भत्ता रू0	स्कूटर भत्ता रू0	कम्प्यूटर / अन्य भत्ता रू0	कुल परिलब्धियां रू0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्री दिनेश सिंह	अर्थ एवं संख्याधिकारी	111104942832	56100-177500	10	59500	0	0	34510	5650	540	0	0	100200
2	श्री भूपेन्द्र सिंह राना	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	AGU-57615	44900-142400	7	58600	0	0	33988	4500	460	1200	0	98748
3	श्री भारतमणि कनौजिया	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110051340105	44900-142400	7	55200	0	0	32016	4500	460	1200	0	93376
4	श्री राजन सिंह गैड़ा	प्रधान सहायक	G.A.U.A-83819	35400-112400	6	42300	0	190	24534	3550	420	0	0	70994
5	श्री शैलेन्द्र सिंह	वरिष्ठ सहायक	110083995701	29200-92300	5	31900	0	0	18502	2950	280	0	0	53632
6	श्री सतविन्दर सिंह	कनिष्ठ सहायक	110290038626	21700-69100	3	21700	0	0	12586	2200	200	0	0	36686
	योगः–					269200	0	190	156136	23350	2360	2400	0	453636

सूचना अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2024 की परिलब्धियां रू0 में

जनपद का नाम :– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत

मण्डल– हल्द्वानी

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ कर्मचारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पदनाम	जी0पी0ए0फ0न0/ सी0 पी0एस0ए0न0न0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेबल	मूलवेतन रू0	सी0पी0ए0 रू0	विशेष वेतन रू0	महंगाई भत्ता रू0	महंगाई भत्ता ऐरियर रू0	मकान किराया भत्ता रू0	पर्वतीय विकास भत्ता रू0	स्कूटर भत्ता रू0	अन्य भत्ता रू0	कुल परिलब्धियां रू0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्री दीप्तकीर्ति तिवारी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	111106730744	56100-177500	11	59500	0	0	29750	4760	0	1300	0	0	**95310**
2	श्री राजीव कुमार जायसवाल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110050978683	67700-208700	7	56900	0	0	28450	4552	0	1000	1200	0	**92102**
3	श्री लेखराज सागर	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	AGU/59308	67700-208701	7	58600	0	0	29300	4688	4500	1000	1200	0	**99288**
4	श्रीमती राजेश्वरी गर्ब्याल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110070978004	67700-208702	7	55200	0	0	27600	4288	4500	1000	1200	0	**93788**
5	श्री दिनेश सिंह पांगती	प्रधान सहायक	GAU/83080	44900-142400	6	47600	0	280	23800	3808	3550	1000	0	0	**80038**
6	श्री मुनेश्वर सिंह नयाल	वरिष्ठ सहायक	110030961979	29200-92300	5	34900	0	0	17450	2792	0	1000	0	0	**56142**
7	श्री श्रवण कुमार	कनिष्ठ सहायक	110149974056	21700-69100	3	21700	0	0	10850	1736	2200	1000	0	0	**37486**
8	श्री राजेन्द्र सिंह	अनुसेवक	ALM/294400002	29200-92300	5	42800	0	90	21400	3424	2950	1000	0	0	**71664**
योग–						**377200**	**0**	**370**	**188600**	**30048**	**17700**	**8300**	**3600**	**0**	**625818**

प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह फरवरी, 2024 का वेतन

जनपद/केन्द्र का नाम :– कार्यालय जिला अर्थ एंव संख्याधिकारी, नैनीताल

मण्डल का नाम :– कुमांऊ मण्डल, हल्द्वानी

क्र0 सं0	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0 न0/ सी0पी0आई0 न0	वेतन मैट्रिक्स	लेबल	मूल वेतन ₹	सी0पी0ए0 ₹	विशेष वेतन ₹	महंगाई भत्ता ₹	महंगाई भत्ता एरियर	मकान किराया भत्ता ₹	पर्वतीय विकास भत्ता ₹	स्कूटर भत्ता ₹	कम्प्यूटर /अन्य भत्ता ₹	कुल परिलब्धियों का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	डॉ. मुकेश सिंह नेगी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110152807003	56100-177500	10	59500	0	0	27370	29750	0	540	0	0	**87410**
2	श्री कमल सिंह मेहरा	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	111002944395	44900-142400	7	58600	0	0	26956	29300	5400	460	0	0	**91416**
3	श्री हरि शंकर	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110060979209	44900-142400	7	58600	0	0	21622	29300	5400	460	0	0	**86082**
5	श्री सुरेश लाल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110030985506	44900-142400	7	58600	0	0	21622	29300	5400	460	0	0	**86082**
6	श्रीमती शालिनी दीपक कुमार	प्रधान सहायक	GAU/82719	35400-112400	6	49000	0	0	22540	24500	4250	420	0	0	**76210**
7	श्री दीपक चन्द्र मैनाली	वरिष्ठ सहायक	110051683108	29200-92300	5	34900	0	0	16054	17450	0	280	0	0	**51234**
योग						**319200**	**0**	**0**	**136164**	**136164**	**20450**	**2620**	**0**	**0**	**478434**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005–31 मार्च, 2024 की परिलब्धियां

जनपद/केन्द्र का नाम– ऊधमसिंह नगर।

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0/ सी0पी0एस0एन0 नं0	वेतन मैट्रिक्स	लेवल	मूल वेतन	सी0पी0ए0 /एन0पी0 एस0	विशेष वेतन	मंहगाई भत्ता	डी0ए0 ऐरियर	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय/ सीमान्त भत्ता	स्कूटर भत्ता	धुलाई भत्ता	कम्प्यूटर भत्ता	कुल परिलब्धियां
1	श्री नफील जमील	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/53583	67700–208700	11	88400	0	0	44200	7072	0	540	0	0	0	140212
2	श्री संजय सिह,	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	GAUA/83709	47600–151100	8	55200	0	0	27600	4416	3850	480	0	0	0	91546
3	श्रीमती तारा पाण्डेय	अपर सा0अधिकारी	CPU/56096	56100–177500	10	77700	0	0	38850	6216	5650	540	4000	0	0	132956
4	श्रीमती मंजू कालाकोटी	अपर सा0अधिकारी	GAU/68607	44900–142400	7	68000	0	0	34000	5440	4500	460	3000	0	0	115400
5	श्रीमती प्रीति घोपडा	अपर सा0अधिकारी	111001296384	44900–142400	7	58600	12306	0	29300	4688	4500	460	3000	0	0	112854
6	श्री रोशन लाल	अपर सा0अधिकारी	110081085686	44900–142400	7	58600	12306	0	29300	4688	4500	460	3000	0	0	112854
7	श्री कमलेश कुमार	अपर सा0अधिकारी	110031223514	44900–142400	7	58600	12306	0	29300	4688	4500	460	3000	0	0	112854
8	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	अपर सा0अधिकारी	GAU/68078	56100–177500	10	82400	0	420	41200	6592	4500	540	0	0	0	135652
9	श्री सुशील कुमार	कार्टोग्राफिक असिसटेन्ट	GAU/82158	67700–208700	11	85800	0	420	42900	6864	6800	540	0	0	0	143324
10	कु0 भावना राणा	कनिष्ठ सहायक	110128610890	21700–69100	3	22400	4704	0	11200	1792	2200	200	0	0	0	42496
11	श्री शिव बचन	वाहन चालक	110162966384	21700–69100	3	26000	5460	0	13000	2080	2200	200	0	0	0	48940
12	श्री भुवन चन्द्र उप्रेती	अनुसेवक	PTH/2944/00004	29200–69100	5	39200	0	180	19600	3000	2950	280	0	90	0	65300
योग–						**720900**	**47082**	**1020**	**360450**	**57536**	**46150**	**5160**	**16000**	**90**	**0**	**1254388**

प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2024 की परिलब्धियां रू0 में

जनपद का नाम– कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
मण्डल का नाम– कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी अधिकारियों/कर्मचारियों के माह मार्च, 2024 का वेतन

क्र0 सं0	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0न0/ सी0पी0आई0 न0	वेतन मैट्रिक्स	लेवल	मूल वेतन	विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	एरियर	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता	स्कूटर भत्ता	कम्प्यूटर/अन्य भत्ता	कुल परिलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	9	10	13	11	12	14	15	16
1	श्री निरंजन प्रसाद	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110183642053	56100-177500	10	59500	--	29750	4760	5650	540	--	--	100200
2	श्री गणेश चन्द्र	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	GAU-80780	56100-177500	11	88400	--	44200	7072	--	540	1200	--	141412
3	श्री भुवन चन्द्र आर्य	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	GAU-69436	44900-142400	07	68000	--	34000	5440	4500	460	--	--	112400
4	श्रीमती पार्वती ग्वाल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	111001084794	44900-142400	07	58600	460	29300	4688	4500	460	1200	--	99208
5	श्री चन्द्रेश कुमार पाण्डेय	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110021802804	44900-142400	07	55200	--	27600	4416	4500	460	1200	--	93376
6	श्री प्रभाकर सिंह रौकली	प्रधान सहायक	GAUA-83575	44900-142400	07	49000	--	24500	3808	--	460	--	--	77768
7	श्रीमती निर्मला जोशी	वरिष्ठ सहायक	110044205004	29200-92300	05	31900	--	15950	2552	--	280	--	--	50682
8	श्रीमती चित्रा रावत	कनिष्ठ सहायक	110174262228	21700-69100	03	25200	--	12600	2016	--	200	--	--	40016
9	श्री मगन सिंह ग्वाल	अनुसेवक	PTH/2944/00003	25500-81100	04	38600	130	19300	3088	2550	240	--	90	63998

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2024 की परिलब्धियाँ रूपये में

केन्द्र का नाम :– कार्यालय संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमार्क मण्डल, हल्द्वानी।

मण्डल का नाम :– कुमार्क मण्डल

क्र0 सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0 नं0 / सी0पी0आई0 नं0	वेतन मैट्रिक्स	लेवल	मूल वेतन	CPA	विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता	वाहन भत्ता	अन्य भत्ता / DA ARREAR	कुल परिलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्री राजेन्द्र तिवारी	संयुक्त निदेशक	CPU/48000	78800-209200	12	99800	--	540	49900	7900	540	--	7984	166664
2	श्री एस0एस0नेगी	मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/82442	67700-208700	11	88400	--	--	44200	6800	540	--	7072	147012
3	श्रीमती हेमा प्रवीण बिष्ट	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	GAU-80846	47600-151100	08	55200	--	--	27600	4800	480	--	4416	92496
4	श्री स्वदेश मनराल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110081086630	44900-142400	07	56900	--	--	28450	4500	460	3000	4552	97862
5	श्री योगेन्द्र कुमार शुक्ल	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110070978004	44900-142400	07	58600	--	--	29300	4500	460	3000	4688	100548
6	श्री हरीश चन्द्र भट्ट	कार्टोग्राफिक सहायक	GAU/81283	67700-208700	11	85800	--	--	42900	6800	540	--	6864	142904
7	श्रीमती भगवती देवी	अनुसेवक	NTL/2944/00007	29200-92300	05	40400	90	--	20200	2950	280	--	3232	67152
8	श्री कैलाश चन्द्र	अनुसेवक	NTL/2944/00008	29200-92300	05	40400	90	190	20200	2950	280	--	3088	67198
योग–						**525500**	**180**	**730**	**262750**	**41200**	**3580**	**6000**	**41896**	**881836**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005–31 मार्च, 2024 की परिलब्धियां

कार्यालय–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चमोली

मण्डलः– पौड़ी

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0/सी0पी0एस0एन0नं0	वेतन मैट्रिक्स	लेवल	मूल वेतन	सी0पी0ए0/एन0पी0एस0	विशेष वेतन	मंहगाई भत्ता/एरियर	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय/सीमान्त भत्ता	स्कूटर भत्ता	धुलाई भत्ता	कम्प्यूटर भत्ता	कुल परिलब्धियां
1	श्री विनय जोशी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110103464117	67700–208700	10	59500	0	0	34510	0	540	0	0	0	94550
2	श्री भूपाल सिंह	अपर सा0अधिकारी	GAUA/84522	56100–177500	10	77700	0	0	45066	5850	540	1200	0	0	130356
3	श्री मान सिंह कुँवर	अपर सा0अधिकारी	110091340103	56100–177500	7	56900	0	0	33002	0	460	1200	0	0	91562
4	श्री अमित ध्यानी	प्रधान सहा0	110020967208	35400–112400	6	38700	0	1000	22446	4250	420	0	0	0	66816
5	श्री संचित तिवारी	वरिष्ठ सहायक	110131473921	29200–69100	5	30100	0	0	17458	2950	280	0	0	0	50788
6	श्री आशीष नेगी	कनिष्ठ सहायक	110114052667	21700–69100	3	24500	0	0	14210	2200	200	0	0	0	41110
7	श्री राजबर सिंह	अनुसेवक	RPG/2944/00001	18000–56900	1	41600	0	270	24128	2950	280	0	0	0	69228
8	श्री तरूण सिंह	अनुसेवक	110037718516	56100–177500	1	23500	0	0	13630	2100	180	0	0	0	39410
योग–						**352500**	**0**	**1270**	**204450**	**20300**	**2900**	**2400**	**0**	**0**	**583820**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च 2024 की परिलब्धियां रू0 में

जनपद/केन्द्र का नामः–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, देहरादून

मण्डल का नामः– गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

क0 सं0	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0 नं0/ सी0पी0एस0एन0नं0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेबल	मूल वेतन रू0	सी0 पी0 ए0	विशेष वेतन	मंहगाई भत्ता	मंहगाई भत्ता एरियर	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता	स्कूटर भत्ता	कम्प्यूटर/ अन्य भत्ता	कुल परिलब्धियां
1	श्री शशि कान्त गिरि	जि0अ0एवंसं0अ0	जी0ए0यू0/81868	67700–208700	11	88400	0	0	44200	7072	8150	540	0	460	148822
2	श्री प्रतापसिंह भण्डारी	अ0सां0अ0	सी0पी0यू0/56204	56100–177500	10	75400	0	0	37700	6032	6750	540	3000	460	129882
3	श्री धीरज गप्ता	अ0सां0अ0	110080978687	44900–142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
4	श्री राजीव शर्मा	अ0सां0अ0	110022683436	44900–142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
5	श्री बृजपालसिंह	अ0सां0अ0	110080979208	44900–142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
6	श्री नवीन कुमार	अ0सां0अ0	111001271761	44900–142400	7	55200	0	0	27600	4416	5400	460	3000	0	96076
7	श्री अब्बलसिंह नेगी	प्रधान सहायक	जी0ए0यू0ए0/84036	35400–112400	6	41100	0	0	20550	3288	4250	420	0	200	69808
8	श्री बहादुरसिंह चौहान	वरिष्ठ सहायक	जी0ए0यू0ए0/83880	35400–112400	6	46200	0	0	23100	3696	4250	420	0	0	77666
9	कु0 अल्का	कनिष्ठ सहायक	110197345915	21700–69100	3	21700	0	0	10850	1736	2650	200	0	0	37136
10	श्री चन्द्रपालसिंह नेगी	वाहन चालक	110142629621	21700–69100	3	26000	0	0	13000	2080	2650	200	0	90	44020
	योगः–					**529800**	**0**	**0**	**264900**	**42384**	**50300**	**4160**	**15000**	**1210**	**907754**

प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2024 की परिलब्धियाँ

जनपद–हरिद्वार

मण्डल का नाम–संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या गढ़वाल मण्डल पौड़ी

क्र.स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0/ सी0पी0एस0एन0 नं0	वेतन मैट्रिक्स	लेबल	मूल वेतन	सी0 पी0 ए0	विशेष वेतन/ फेमिली प्लानिंग भत्ता	महंगाई भत्ता	डी0ए0 एरियर	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता	स्कूटर भत्ता/ ट्रांसपोर्ट भत्ता	कम्प्यूटर/ अन्य भत्ता	कुल परिलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्रीमती नलिनी ध्यानी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU-82052	67700-208700	11	88400	0	0	44200	7072	6800	540	0	0	147012
2	श्री राकेश चन्द्र बाजपेयी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	GAU-80943	47600-151100	8	53600		280	26800	4288	4800	480	0	0	90248
3	श्री सुभाष सिंह शाक्य	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	CPU-54136	56100-177500	10	77700	0	0	38850	6216	0	540	4000	0	127306
4	श्रीमती शालू भटनागर	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	111000985086	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	4500	460	3000	0	100548
5	श्री नवीन कुमार	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	PRI-28029	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	4500	460	3000	0	100548
6	श्री अरविन्द यादव	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	BHK/25950	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	4500	460	3000	0	100548
7	श्री जयपाल सिंह	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	111004121499	44900-142400	7	52000	0	0	26000	4160	4500	460	0	0	97548
8	श्री नदीम अहमद	कार्टोग्राफिक असिस्टेंट	GAU-81647	67700-208700	11	85800	0	0	42900	6864	0	540	0	0	136104
9	श्रीमती प्रीति भटनागर	वरिष्ठ सहायक	110082609896	29200-92300	5	35900	0	0	17950	2872	0	280	0	0	57002
10	श्री विक्की कुमार	कनिष्ठ सहायक	110146004922	21700-69100	3	9484	0	0	4742	1960	0	77	0	0	16263
11	श्री विपिन शर्मा	वाहन चालक	110153231231	21700-69100	3	26000	0	0	13000	2080	0	200	0	90	41370
12	श्री रविप्रकाश उपाध्याय	अनुसेवक	110024339531	18000-56900	1	21500	0	0	10750	1720	0	180	0	0	34150
	योग–					**626184**	**0**	**280**	**313092**	**51296**	**29600**	**4677**	**13000**	**90**	**1038219**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, माह मार्च 2024 की परिलब्धियां रू0 में

जनपद /केन्द्र का नाम–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौडी गढवाल।

मण्डल का नाम–संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या गढ़वाल मण्डल पौड़ी

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0 नं0/ सी0पी0एस0एन0 नं0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेबल	मूल वेतन रू0	सी0पी0 ए0रू0	विशेष वेतन रू0	मंहगाई भत्ता रू0	मकान किराया भत्ता रू0	पर्वतीय किराया भत्ता रू0	स्कूटर/ अन्य भत्ता रू0	कम्प्यूटर /अन्य भत्ता रू0	कुल परिलब्धियां रू0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्री रामसलोने	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	110031085991	56100-177500	10	59500	8925	0	29750	0	540	0	0	98715
2	श्री विरेन्द्र सिंह नेगी	अ0 सां0 अधिकारी	110061345120	44900-142400	07	58600	8790	0	29300	0	460	1200	0	98350
3	श्री रणजीत सिंह रावत	अ0 सां0 अधिकारी	110090977854	44900-142400	07	58600	8790	0	29300	0	460	1200	0	98350
4	श्री राजेन्द्र कुमार	अ0 सां0 अधिकारी	10091599593	44900-142400	07	58600	8790	0	29300	5400	460	1200	0	103750
5	श्री मंगल मोहन	प्रधान सहायक	GAUA/ 84017	35400-112400	06	43600	25000	130	21800	4250	420	0	0	70200
6	श्री दिगम्बर सिंह	वरिष्ट सहायक	110050971913	29200-92300	03	37000	5550	0	18500	0	280	0	0	61330
7	अखिलेश डंगवाल	कनिष्ठ सहायक	110270014280	21700-69100	03	21700	3255	0	10850	2650	200	0	0	38655
8	श्री जयदीप खण्डूरी	वाहन चालक	110142804885	21700-69100	03	26000	3900	0	13000	2650	200	0	0	45750
योग:–						**363600**	**73000**	**130**	**181800**	**14950**	**3020**	**3600**	**0**	**615100**

जनपद का नाम – कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, टिहरी गढवाल।

मण्डल का नाम– गढवाल मण्डल, पौडी।

अधिकारियों / कर्मचारियों के माह मार्च 2024 का वेतन

क्र0 सं0	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0 नं0/ सी0पी0आई0 नं0	वेतन मैट्रिक	लेवल	मूल वेतन	सी0पी0 एफ0	विशेष वेतन	मंहगाई भत्ता	मार्च 2024 में डी0ए0 एरियर	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता	स्कूटर भत्ता	कम्प्यूटर/ अन्य भत्ता	कुल परिलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्रीमती साक्षी शर्मा	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110156730741	56100-177500	10	59500	9401		29750	4760		540			103951
2	श्रीमती ऋतु नेगी	अपर सॉख्यिकी अधिकारी	110010978525	44900-142400	7	58600	9259		29300	4688		460	1200		103507
3	श्री धारा सिंह	अपर सॉख्यिकी अधिकारी	111000978333	44900-142400	7	58600	9259		29300	4688		460	1200		103507
4	श्री सुरेश चन्द	अपर सॉख्यिकी अधिकारी	111000979966	44900-142400	7	58600	9259		29300	4688		460	1200		103507
5	श्री संदीप कुमार	अपर सॉख्यिकी अधिकारी	110061572713	44900-142400	7	55200	8722	460	27600	4416	4500	460	1200		102558
6	श्री भवानी दत्त	प्रधान सहायक	0/84048	35400-112400	6	43600	6000		21800	3488	3550	420			78858
7	श्री नरेन्द्र सिंह	वरिष्ठ सहायक	110073608962	29200-92300	5	31900	5040		15950	2552	2950	280			58672
8	श्री रमन बमराडा	कनिष्ठ सहायक	111103408249	21700-69100	3	24500	3871		12250	1960	2200	200			44981
9	श्री ताहिर अहमद	वाहन चालक	110135319170	21700-69100	3	25200	3982		12600	2016	2200	200		90	46288

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह–मार्च, 2024 की परिलब्धियां ₹ में

जनपद/केन्द्र का नाम :– रूद्रप्रयाग

मण्डल का नाम:– गढ़वाल मण्डल

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0न0/ सी0पी0एस0एन0न0	वेतन मैट्रिक्स ₹	लेवल	मूल वेतन ₹	सी0पी0ए0 ₹	विशेष वेतन ₹	मंहगाई भत्ता ₹	मकान किराया ₹	पर्वतीय विकास भत्ता ₹	वाहन भत्ता ₹	कम्प्यूटर / अन्य भत्ता ₹	कुल परिलब्धियां ₹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	श्री संदीप भट्ट	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	110090973139	56100-177500	10	59500	0	0	34510	5650	540	0	0	100200
2	श्री सतेन्द्र कुमार सैनी	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	CPU/57320	56100-177500	10	77700	0	460	45066	5650	540	1200	0	130616
3	श्री सन्तोष कुमार	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	111001943169	44900-142400	7	55200	0	0	32016	4500	460	1200	0	93376
4	श्री दीपक कटारिया	प्रधान सहायक	110012635878	35400-112400	6	35400	0	0	20532	3550	420	0	0	59902
5	कु0 ऋतु	वरिष्ठ सहायक	110014111814	29200-92300	5	31900	0	0	18502	2950	280	0	0	53632
6	श्री प्रदीप मरतोलिया	कनिष्ठ सहायक	110126315669	21700-69100	3	23800	0	0	13804	2200	200	0	0	40004
योग:–						**283500**	**0**	**460**	**164430**	**24500**	**2440**	**2400**	**0**	**477730**

१०७

सूचना अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च 2024 की परिलब्धियां रू0 में

कार्यालय–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी

मण्डल:– पौड़ी

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ कर्मचारी का नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	पदनाम	जी0पी0ए0फ0न0 / सी0 पी0एस0एन0न0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेबल	मूलवेतन रू0	सी0पी0 ए0 रू0	विशेष वेतन रू0	महंगाई भत्ता रू0	मकान किराया भत्ता रू0	पर्वतीय विकास भत्ता रू0	स्कूटर भत्ता रू0	कम्प्यूटर / अन्य भत्ता रू0	एरियर	कुल परिलब्धियां रू0
1	चेतना अरोरा	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110186730745	56100-177500	10	59500	0	0	29750	0	1300	0	0	14280	**90500**
2	लखी चन्द	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	CPU/57197	67700-208700	11	88400	0	540	44200	0	1300	1200	0	20592	**135640**
3	श्रीमती किरन शर्मा	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110041406905	44900-142400	7	55200	0	0	25392	4500	1000	3000	0	13248	**102340**
4	नरेन्द्र सिंह	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110000979960	44900-142400	7	55200	0	0	27600	4500	1000	1200	0	13248	**89500**
5	कपिल चौहान	कनिष्ठ सहायक	110143952917	21700-69100	3	24500	0	0	12250	2200	1000	0	0	5880	**39950**
6	बीना नौटियाल	अनुसेविका	110042282063	19900-63200	2	27600	0	0	13800	2100	1000	0	90	6432	**44590**
योग–						**255200**	**0**	**540**	**127600**	**8800**	**5600**	**2400**	**90**	**90**	**400230**

प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2024 की परिलब्धियां रू0 में

जनपद/केन्द्र का नामः– मण्डल कार्यालय पौडी। मण्डल का नामः– गढवाल मण्डल, पौडी

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0/सी0पी0एस0एन0नं0	वेतन मैट्रिक्स रू0	लेवल	मूल वेतन रू0	सी0पी0ए0 रू0	विशेष वेतन रू0	महंगाई भत्ता रू0	महंगाई भत्ता (ऐरियर) रू0	मकान किराया भत्ता रू0	पर्वतीय विकास भत्ता रू0	स्कूटर भत्ता रू0	कम्प्यूटर/अन्य भत्ता रू0	कुल परिलब्धियां रू0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1	श्रीमती गीतांजली शर्मा गोयल	संयुक्त निदेशक	110000967209	78800-209200	12	99800	0	0	49900	7984	0	540	0	0	158224
2	सुश्री शिल्पा भाटिया	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110116730743	56100-177500	10	59500	0	0	29750	4760	0	540	0	0	94550
3	श्री अरविन्द कुमार मिश्र	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	110031275483	44900-142400	7	55200	0	0	27600	4416	0	460	1200	0	88876
4	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/80923	44900-142400	7	50500	0	0	25250	4040	5400	460	0	0	85650
5	श्री राकेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	110126363656	21700-69100	3	23800	0	0	11900	1904	2650	200	0	0	40454
6	श्री रघुबीर सिंह	अनुसेवक	PRI/2944/00005	21700-69100	3	32000	0	0	16000	2560	2650	200	0	90	53500
	योग					**320800**	**0**	**0**	**160400**	**25664**	**10700**	**2400**	**1200**	**90**	**521254**

प्रारूप–क

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 माह मार्च, 2024 की परिलब्धियाँ (₹ में)

जनपद / केन्द्र का नामः–अर्थ एवं संख्या निदेशालय।

क्र0 सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम सर्वश्री / सुश्रीः–	पदनाम	जी0पी0एफ0नं0 / सी0पी0एस0ए नं0 नं0	वेतन मैट्रिक्स	लेबल	मूल वेतन	सी0पी0 ए0	Family Plan.	मंहगाई भत्ता	मंहगाई भत्ता एरियर	मकान किराया भत्ता	पर्वतीय विकास भत्ता	स्कूटर भत्ता	कम्प्यूटर / अन्य भत्ता	कुल परिलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1	सुशील कुमार	निदेशक	GAU/72649	131100-216600	13A	181500	0	870	90750	14520	12000	540	0	0	**300180**
2	पंकज नैथानी	अपर निदेशक	GAU/74402	123100-215900	13	151400	0	760	75700	12112	12000	540	0	0	**252512**
3	मनोज कुमार पंत	अपर निदेशक	GAU/73393	123100-215900	13	151400	0	760	75700	12112	12000	540	0	0	**252512**
4	गौरी शंकर पाण्डेय	संयुक्त निदेशक	GAU/79300	123100-215900	13	160600	0	660	80300	12848	12000	540	0	0	**266948**
5	चित्रा	संयुक्त निदेशक	GAUA/84240	67700-208700	11	99800	0	0	49900	7984	0	540	0	0	**158224**
6	दिनेश चन्द्र बडोनी	संयुक्त निदेशक	110000973382	67700-208700	11	99800	0	0	49900	7984	9500	540	0	0	**167724**
7	मनीष राणा	उप निदेशक	111001225928	67700-208700	11	96600	0	0	48300	7728	8150	540	0	0	**161318**
8	अमित पुनेठा	उप निदेशक	110080967205	67700-208700	11	96600	0	0	48300	7728	0	540	0	0	**153168**
9	इला पन्त बिष्ट	उप निदेशक	110040967207	67700-208700	11	96600	0	0	48300	7728	0	540	0	0	**153168**
10	रश्मि हलधर	उप निदेशक	110020973381	67700-208700	11	96600	0	540	48300	7728	8150	540	0	0	**161858**
11	निर्मल कुमार शाह	उप निदेशक	CPU/57468	67700-208700	11	93800	0		46900	7504	8150	540	0	0	**156894**
12	ललित चन्द्र आर्य	अर्थ एवं संख्याधिकारी	110040973380	56100-177500	10	87400	0	0	43700	6992	6750	540	0	0	**145382**
13	ज्योति जोशी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/76225	67700-208700	11	88400	0	0	44200	7072	0	540	0	0	**140212**
14	राजेश कुमार	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAUA/84560	67700-208700	11	85800	0	540	42900	6864	8150	540	0	0	**144794**
15	ललित मोहन	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/48724	67700-208700	11	88400	0	540	44200	7072	8150	540	0	0	**148902**
16	देवेन्द्रनाथ गोस्वामी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/50680	67700-208700	11	91100	0	460	45550	7288	8150	540	0	0	**153088**
17	संजय शर्मा	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/82686	56100-177500	10	88400	0	0	44200	7072	8150	540	0	0	**148362**
18	गोपाल गुप्ता	अर्थ एवं संख्याधिकारी	CPU/58943	56100-177500	10	88400	0	0	44200	7072	8150	540	0	0	**148362**
19	श्वेतांक प्रताप सिंह	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/82156	56100-177500	10	88400	0	0	44200	7072	0	540	0	0	**140212**
20	अतुल आनन्द	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/83143	56100-177500	10	88400	0	460	44200	7072	8150	540	0	0	**148822**
21	डॉ0 मोनिका श्रीवास्तव	अर्थ एवं संख्याधिकारी	GAU/81681	56100-177501	10	88400	0	0	44200	7072	8150	540			**148362**
22	जीवन चन्द्र चन्दोला	चीफ कार्टोग्राफर	GAU/72341	67700-208700	11	105900	0	420	52950	8472	9500	540	0	0	**177782**
23	सी0एल0 ध्यानी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/68182	56100-177500	10	67000	0	280	33500	5360	6750	540	0	1000	**114430**
24	बी0सी0 काण्डपाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/68109	56100-177500	10	67000	0	460	33500	5360	6750	540	0	0	**113610**
25	भावना बिष्ट	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/75737	56100-177500	10	67000	0	460	33500	5360	0	540	0	0	**106860**
26	जगदीश चन्द्र	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	GAU/79564	47600-151100	10	67000	0	460	33500	5360	6750	540	0	0	**113610**
27	दीपक काण्डपाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	GAU/80165	47600-151100	8	55200	0	460	27600	4416	5750	480	0	0	**93906**
28	अशोक कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	CPU/57582	56100-177500	10	77700	0	0	38850	6216	6750	540	3000	0	**133056**

29	राजेन्द्र सिंह	अपर सांख्यिकी अधि0	CPU/58009	56100-177500	10	75400	0	0	37700	6032	6750	540	3000	0	129422
30	आलोक कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	111002400964	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
31	योगेन्द्र सिंह रोथाण	अपर सांख्यिकी अधि0	110070978682	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
32	रितेश शर्मा	अपर सांख्यिकी अधि0	110001157508	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
33	संदीप पाण्डेय	अपर सांख्यिकी अधि0	110012400963	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	0	460	3000	0	96048
34	सुन्दर सिंह	अपर सांख्यिकी अधि0	110030985361	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
35	रितेश कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	110060976150	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	0	460	3000	0	96048
36	सीमा धिवान	अपर सांख्यिकी अधि0	110090979961	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
37	सुरेश नौटियाल	अपर सांख्यिकी अधि0	110050978117	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
38	शालिनी राठौर	अपर सांख्यिकी अधि0	110063434206	44900-142400	7	56900	0	0	28450	4552	5400	460	3000	0	98762
39	वृजेश कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	110030975624	44900-142400	7	55200	0	0	27600	4416	5400	460	3000	0	96076
40	गायत्री देवी	अपर सांख्यिकी अधि0	110062263012	44900-142400	7	55200	0	0	27600	4416	5400	460	3000	0	96076
41	मनोज कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	110090979717	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
42	धीरेन्द्र प्रताप सिहं	अपर सांख्यिकी अधि0	110070985518	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
43	अरविन्द कुमार	अपर सांख्यिकी अधि0	110081423958	44900-142400	7	58600	0	0	29300	4688	5400	460	3000	0	101448
44	बिनीता	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/81148	35400-112400	6	50500	0	0	25250	4040	5400	460	0	0	85650
45	आलोक मैठाणी	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/81149	35400-112400	6	50500	0	420	25250	4040	5400	460	0	0	86070
46	बीर सिंह नेगी	प्रशासनिक अधिकारी	GAU/80427	35400-112400	6	50500	0	0	25250	4040	5400	460	0	0	85650
47	सुलोचना रतूड़ी	वैयक्तिक अधिकारी	110003797514	35400-112400	6	44900	0	0	22450	3592	5400	460	0	0	76802
48	विकान्त कुमार	व्यैक्तिक सहायक	1100016104530	29200-92300	5	17497			8748		1832	145			28222
49	दीप्ति डडवाल	प्रधान सहायक	110040985075	29200-92300	5	39900	0	0	19950	3192	4250	420	0	0	67712
50	राहुल कुमार रवि	वरिष्ठ सहायक	GAUA/84281	29200-92300	5	32900	0	0	16450	2632	3550	280	0	0	55812
51	सुरेन्द्र पोखरियाल	वरिष्ठ सहायक	110020968388	29200-92300	5	31900	0	0	15950	2552	3550	280	0	800	55032
52	अनूप कुनियाल	कनिष्ठ सहायक				9800			4900		1197	90			15987
53	भूपदेव प्रसाद	कनिष्ठ सहायक				8400			4200		1026	77			13703
54	कविता	कनिष्ठ सहायक	1100162185199	21700-69100	3	7000			3500			65			10565
55	भुपेन्द्र सिहं रावत	कनिष्ठ सहायक				7000			3500		855	65			11420
56	दीपक कुमार	कनिष्ठ सहायक				9800			4900		1197	90			15987
	योग:—					**3920497**	**0**	**8550**	**1960248**		**294332**	**25005**	**48000**	**1800**	**6258432**

सूचना अधिकार अधिनियम–2005, माह मार्च 2024 की परिलब्धियाँ ₹ में

जनपद/केन्द्र का नाम–बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड

क्रं० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जी०पी०एफ० नं०/ सी०पी०एस० एन०नं०	वेतन मैट्रिक्स	लेबल	मूल वेतन	सी०पी० ए०	विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	मकान किराया	पर्वतीय भत्ता	कम्प्यूटर /अन्य भत्ता	धुलाई भत्ता	वाहन भत्ता	कुल परिलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्री तिलोक सिंह अन्ना	संयुक्त निदेशक	111000967204	78800-209200	12	99800	0	0	49900	9500	540	0	0	0	159740
2	श्री महेश चन्द्र कपिल	शोध अधिकारी	GAU/81670	56100-177500	10	77700	0	540	38850	0	540	1000	0	0	118630
3	श्री सुरेश कुमार गोयल	शोध अधिकारी	CPU/55297	67700-208700	11	88400	0	0	44200	8150	540	0	0	546	141836
4	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	वरि० प्रशा० अधिकारी	GAUA/84523	47600-151100	8	52000	0	420	26000	5750	480	0	0	0	84650
5	श्री प्रियंका राजे	वरिष्ठ सहायक	110094706561	29200-92300	5	31900	0	0	15950	3550	280	0	0	0	51680
6	श्री हुकम सिंह	वाहन चालक	110152835741	21700-69100	3	26000	0	0	13000	2650	200	0	90	0	41940
योग						**375800**	**0**	**960**	**187900**	**29600**	**2580**	**1000**	**90**	**546**	**598476**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1)ख(XVI)

लोक राज्य सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉं **(Names, designation and other paticulers of the Public information Officers)**

1–अर्थ एवं संख्या विभाग :–

(1) राज्य स्तर पर

(क) अपील प्राधिकारी	श्री सुशील कुमार , निदेशक अर्थ एवं संख्या निदेशालय, 37 ए, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष–0135–2754871
(ख) लोक राज्य सूचना अधिकारी	डॉ0 दिनेश चन्द्र बडोनी, संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, 37 ए, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष–0135–2655571
(ग) सहा0 लोक राज्य सूचना अधिकारी	श्रीमती भावना बिष्ट, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 37 ए, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष–0135–2655571

(2)–मण्डल स्तर पर

(क) अपील प्राधिकारीः–

(1) श्रीमती गीतांजली शर्मा गोयल, संयुक्त निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी
दूरभाषः– 01368223820 गढ़वाल मण्डल से संबंधित जनपदों के लिए

(2) श्री राजेन्द्र तिवारी, संयुक्त निदेशक, कुमायूं मण्डल हल्द्वानी
दूरभाष :–05942222465 मण्डल से संबंधित जनपदों के लिए

(ख) लोक सूचना अधिकारीः–

(1) मण्डलीय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी
दूरभाषः– 01368223820 मण्डल से संबंधित के लिए

(2) मण्डलीय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, गढ़वाल मण्डल,
पौड़ी दूरभाषः–05942222465 मण्डल से संबंधित के लिए

(ग) सहायक लोक सूचना अधिकारीः–

(1) अपर सॉख्यिकी अधिकारी, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी
दूरभाषः– 01368223820 मण्डल से संबंधित के लिए

(2) अपर सॉख्यिकी अधिकारी, गढ़वाल मण्डल,
पौड़ी दूरभाषः–05942222465 मण्डल से संबंधित के लिए

(3)–जिला स्तर पर

(ख) लोक राज्य सूचना अधिकारीः–

(1) श्री शशिकान्त गिरी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, देहरादून
दूरभाषः–01352652319

(2) श्रीमती नलिनी ध्यानी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरिद्वार
दूरभाषः–01334239377

(3) श्रीमती साक्षी शर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी, टिहरी
दूरभाषः–01376232075

(4) श्रीमती चेतना अरोड़ा, अपर सॉख्किीय अधिकारी , उत्तरकाशी

दूरभाषः—01374222292

(5) श्री राम सलोनी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, पौड़ी
दूरभाषः—01368223185

(6) श्री संदीप भट्ट, अर्थ एवं संख्याधिकारी, रूद्रप्रयाग
दूरभाषः—01364233685

(7) श्री विनय जोशी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, चमोली
दूरभाषः—01372252229

(8) श्री नफील जमील, अर्थ एवं संख्याधिकारी, उधमसिंह नगर
दूरभाषः—05944241411

(9) श्री मुकेश सिंह नेगी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल
दूरभाषः—05942248414

(10) सुश्री रेनू भण्डारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा
दूरभाषः—05962230321

(11) श्री दिनेश सिंह, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागेश्वर
दूरभाषः—05963220725

(12) श्री निरंजन प्रसाद, अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़
दूरभाषः—05964225443

(13) श्री दीप्तकीर्ति तिवारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, चम्पावत
दूरभाषः—05965230699

(4)—विकास खण्ड स्तर पर

(ग) सहायक लोक राज्य सूचना अधिकारी :—

प्रत्येक विकास खण्ड में सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय), सहायक लोक राज्य सूचना अधिकारी नामित है।

बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभागः–

(क) अपील प्राधिकारी–	श्री सुशील कुमार, निदेशक अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून। दूरभाष–0135–2754871 फैक्स–0135–2712604
(ख) लोक राज्य सूचना अधिकारी–	श्री टी0सी0 अन्ना, संयुक्त निदेशक बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 17/2 प्रकाश विहार, धर्मपुर, देहरादून दूरभाष–0135–2669154 फैक्स 0135–2669785
(ग) सहायक लोक राज्य सूचना	श्री महेश चन्द्र कपिल, शोध अधिकारी बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 17/2 प्रकाश विहार, धर्मपुर, देहरादून दूरभाष–0135–2669154 फैक्स 0135–2669785